हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 मार्च, 1981

खण्ड 1, अंक 16

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भानिवार, 28 मार्च, 1981

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उतर	(16)1
नियम 45 के अधिन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उतर	(16)24
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(16)27
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(16)38
वाक आउट	(16)45
ध्यानाकर्शण सूचना– हरियाणा में कृशि मजदूरों, फैक्टरी मजदूरों तथा ईंट भटठा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी संबंधी	(16)46
वक्तव्य–– स्वास्थ्य तथा पर्यटन मंत्री द्वारा मेडीकल कालेज, रोहतक में गरीब मरीजों की दयनीय स्थिति संबंधी	(16)47

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(16)50
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(16)51
रिपोर्ट पे ा करना– पब्लिक अंडर टेकिंग्ज कमेटी की चौथी रिपोर्ट दि पंजाब अर्बन इम्मूवेबल प्रौपर्टी टैक्स (हरियाणा वेलिडे ान) बिल, 1981	 (16)53 (16)53
वैयक्तिक स्पश्टीकरण–– श्री लहरी सिंह मेहरा द्वारा दि पंजाब अर्बन इम्मूवेबल प्रौपर्टी टैक्स(हरियाणा वेलिडे ान) बिल, 1981	 (16)58 (16)59
(पुनराम्भ) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल, 1981	 (16)64
दि पंजाब पंचायत समिति (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1981	(16)78
दि पंजाब प्रौहिबि ान आफ काउ स्लाटर (हरियाणा	

अमैंडमैंट) बिल, 1981	(16)87
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा– (i) वर्श 1978–79 के लिए हरियाणा कृशि वि वविद्यालय, हिसार की वार्शिक रिपोर्ट (ii) वर्श 1978–79 के लिए हरियाणा कृशि वि वविद्यालय, हिसार की वार्शिक आडिट रिपोर्ट (iii) वर्श 1980–81 के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का वार्शिक वितीय विवरण (बजट अनुमान) तथा वर्श 1979–80 के लिए पुनरीक्षित अनुमान।	(16)91 (16)91 (16)101
वक्तव्य– मुख्य मंत्री द्वारा हरियाणा में कृशि मजदूरों, फैक्टरी मजदूरों तथा ईंटों के भट्ठा मजदूरों की न्यूनतम मजदूर संबंधी	(16)103

हरियाणा विधान सभा

भानिवार, 28 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चन्डीगढ़ में प्रातः 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एंव उतर

Pay scales of Government Employees in the Haryana Civil Secretariat and 'A' Class Government Departments in the State

***2192. Shri Mool Chand Jain:** Will the Minister for Finance be pleased to state-

(a) whether pay scales/selection grades/special pays etc. of the clerical establishment (viz. Clerks, Assistants, Deputy Superintendents and Superintendents) of Haryana Civil Secretariat and that of the A-Class Government Departments in the State used to be at par upto the year 1976;

(b) whether it is a fact that the parity as mentioned in part (a) above was disturbed during the year 1976; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to restore parity referred to in part (a) above?

Finance Minister(Chaduhri Khurshid Ahmed):

(a) Yes, Sir.

(b) The parity was changed during 1976, 1977 and 1978 for different categories.

(c) No, Sir.

श्री मूल चंद जैनः क्या मंत्री महोदय, बतायेंगे कि जो डिस्पैरिटी दिखाई गई है, उससे उनके कामों में भी अन्तर आया है या वैसे ही पैरिटी खत्म कर दी गई?

चौधरी खुर ीद अहमदः अध्यक्ष महोदय, उनका पहले भी काम अलग था और अब भी अलग है।

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि एक ही भाहर में सिर्फ 100 गज के फासले पर सिविल सचिवालय के सामने हरियाणा विधान सभा में जो कर्मचारी काम करते है उनके ग्रेडों में डिस्पैरिटी क्यों की गई है, इस का क्या कारण है?

चौधरी खुर ीद अहमदः अध्यक्ष महोदय, यह फैसला तो पहले ही लिया गया था कि 'ए' क्लास आफिसिज के मुकाबले में सिविल सचिवालय को थोड़ा सा ज्यादा महत्व दिया जाये।

डा0 मंगल सैनः क्या विधान सभा 'सी' क्लास है?

चौधरी खुर ीद अहमदः अध्यक्ष महोदय, 'सी' क्लास की तो कोई कैटेगरी है ही नहीं।

स्वामी अग्निवे ः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा में लगभग 220 कर्मचारी है लेकिन.....

Mr. Speaker: No question regarding Assembly staff.

स्वामी अग्निवे ः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल केवल असैम्बली से ही संबंधित नहीं है। मेरा सवाल 'ए' क्लास से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, सिविल सचिवालय में काम करने वाले चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को टैरिकोट की यूनिफार्म मिलती है जबकि यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं मिल रही। अध्यक्ष महोदय मैं यह चाहता हूं कि यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी टैरिकोट की यूनिफार्म मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः क्या आपको पता है कि सिविल सचिवालय में काम करने वाले क्लास–4 के कर्मचारियों को टैरिकोट की यूनिफार्म मिलती है?

स्वामी अग्निवे ः जी हां।

चौधरी खुर ीद अहमदः अध्यक्ष महोदय, यह सैलरी का सवाल है यूनिफार्म का सवाल नहीं है कि कौन कौन सी टैक्सटाईल मिल का कपड़ा कहां कहां पर डिस्ट्रिब्यूट होता है? इसके बारे में ये अलग से नोटिस दे दें, जवाब दे दिया जाएगा।

श्री अध्यक्षः मैं तो यही समझता था कि पे–स्केल आदि में कोइ कोई और डिस्पैरिटी होगी। यदि ऐसी कोई बात है तो मैं यह कहूंगा कि कम से कम वर्दियां तो एक जैसी ही होनी चाहिए।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, हमारे यहां पर 'ए' और 'बी' क्लास के आफिस है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि विधान सभा, जो कि स्टेट का सबसे बड़ा आफिस है, जहां पर सारी स्टेट से चुने हुए नुमायंदे आते है और लीडर आफ दि हाउस यानी मुख्य मंत्री महोदय यहां पर बैठते है, इससे भी बड़ा और कोई आफिस है?

चौधरी खुर ीद अहमदः अध्यक्ष महोदय, हम विधान सभा को पूरा महत्व देते है। विधान सभा के लिए अलग से एक हाई पावर्ड कमेटी बनी हुई है। आपकी अध्यक्षता में पे–स्केल आदि के डिसीजन पहले भी लिए गए है और आगे भी लेते रहेंगे। हम विधान सभा को 'ए' क्लास के जितने भी आफिस है, उनकी निस्बत सबसे टौप पर रखते है।

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, परसों आपकी अध्यक्षता में विधान सभा में ही हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग पे–स्केल आदि के बारे में हुई थी लेकिन हम उस समय किसी नतीजे पर नहीं पहुचं सके थे। जब दोबारा फिर उस कमेटी

की मीटिंग करेंगे, उस समय इस डिस्पैरिटी को दूर करने की कोि ा ा करेंगे।

श्री बीरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, बाबू मूलचंद जैन जी की सप्लीमेंटरी में मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि उनकी डियूटियां अलग अलग है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सिविल सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों का नेचर आफ वर्क और विधान सभा में काम करने वाले कर्मचारियों का नेचर आफ वर्क एक जैसा है तो फिर यह डिस्पैरिटी क्यों रखी गई है?

चौधरी खुर ीद अहमदः अध्यक्ष महोदय, हम भुरू से ही सिविल सचिवालय को ज्यादा महत्व देते रहे है। वहां पर जो काम होता है वह बड़ी जिम्मेदारी का होता है। उनको नोटिंग देनी पड़ती है और पालिसी मैटर तैयार करने पड़ते है। इसलिए यह फैसला किया गया था कि सिविल सचिवालय को ज्यादा महत्व दिया जाये। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यह डिस्पैरिटी करनी पड़ी है।

डा0 मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी फरमाया है कि सिविल सचिवालय में ज्यादा रिस्पौंसिब्लिटी का काम होता है और उनको नोटिंग आदि का काम करना पड़ता है। इसी संबंध में मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि चंडीगढ़ में जो 'ए' क्लास के दफतर है, क्या उनमें काम करने वाले कर्मचारी गैर

जिम्मेदारी का काम करते है? क्या उनको नोटिंग या पालिसी मैटर तेयार नहीं करने पड़ते?

Chaudrhi Khurshid Ahmed: I am comparatively speaking that the Secretariat seat is of more responsibility and when the job bears more responsibility some more advantages must flow on the incumbent.

चौधरी रिजक रामः अध्यक्ष महोदय, बाबू मूलचंद जैन जी ने सवाल के 'ए' भाग में पूछा है "whether pay scales/selection grades/special pays etc. of the clerical establishment (viz. Clerks, Assistants, Deputy Superintendents and Superintendents) of Haryana Civil Secretariat and that of the A-Class Government Departments in the State used to be at par upto the year 1976." इन्होंने इस सवाल का जवाब हां में दिया है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि हमे ा से ही डिस्पैरिटी रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर सिविल सचिवालय में जो कर्मचारी काम करते है इनके लिए सिलैक ान ग्रेड और स्पै ाल–पे आदि दे दी गई है लेकिन नीचे के लैवल को नहीं दी गई इसका कारण है? इसके साथ ही साथ मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि जो स्पै ाल पे और सिलैक ान ग्रेड आदि की फैसिलिटी सिविल सचिवालय के कर्मचारियों को दी गई है क्या असैम्बली के एम्पलाईज को भी वही सहूलियतें दी जायेगी क्योंकि यहां पर भी कम जिम्मेदारी का काम नहीं होता? मैं चाहता हूं कि जो सहूलियतें सचिवालय के

कर्मचारियों को दी गई है, वही विधान सभा के कर्मचारियों को भी दी जानी चाहिए।

चौधरी खुर ीद अहमदः स्पीकर साहब, जहां तक विधान सभा का सवाल है मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक हाई पावर्ड कमेटी बन चुकी है और इनका मामला अंडर कंसिड्रे ान है। उस हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग अभी हुई थी। दोनों में 1976, 1977 और 1978 से डिस्पैरिटी रही है। हमने इसको अभी तक डिस्टर्ब नहीं किया और न ही जरूरत महसूस की है।

श्री मूलचंद जैनः स्पीकर साहब, आजादी के तीस वर्श तक सैक्रेटेरिएट और 'ए' क्लास आफिसिज में पैरिटी की जो प्रथा रही है, उस को डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है। 'ए' क्लास आफिसिज के कर्मचारियों में जो हर्ट बरनिंग है उस हर्ट बरनिंग को दूर करने मे क्या दिक्कत है?

चौधरी खुर ीद अहमदः स्पीकर साहब, 1977–78 में यह मामला बाबू जी के पास रहा। बाबू जी भी इस चीज को दूर कर सकते थे। इन्होंने अपने वक्त में क्यों नहीं किया?

श्री मूलचंद जैनः स्पीकर साहब, मुझे यह बात बहुत बुरी लगती है। मैं तो 1979 में कुछ महीनों के लिये था। उससे पहले तो और थे।

चौधरी भजन लालः बाबू मूल चंद उस वक्त खजाने के मंत्री थे, इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं किया? (ोर एवं व्यवधान)।

श्री मूलचंद जैनः हमारे पास यह सवाल नहीं आया था। (ोर एवं व्यवधान) 1977–78 के बाद 1979 में पे कमि ान बैठा था। पे कमी ान ने सारी चीज तय करनी थी। जो भी चीज हमारे नोटिस में लाई जाती थी, वह सारी की सारी पे कमि ान के सुपुर्द कर दी जाती थी।

श्री अध्यक्षः फिर जो यह चीज चौधरी सतवीर सिंह मलिक ने की होगी। (ोर एवं व्यवधान)।

श्री मूल चंद जैनः इसका कैडिट आप ले लें। आप अब कर दें (ोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः चौधरी सतवीर सिंह मलिक और चौधरी संत कंवर इनके बड़े अच्छे साथी रहे है। जब बाबू मूलचंद जी ने बजट पे ा किया था तो इन दोनों ने बजट की कापियां फाड़ी थीं। (ोर एवं व्यवधान)।

चौधरी सतवीर सिंह मलिकः अगर आप भी किसानों पर टैक्स लगाते तो हम आपकी कापियां भी फाड़ते (ोर एवं व्यवधान)।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, जो कमियां चौधरी सतवीर सिंह मलिक और बाबू मूलचंद जैन जी ने छोड़ दी है, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस डिस्पैरिटी को दूर करने में क्या दिक्कत है?

चौधरी खुर ीद अहमदः हनड्रड परसैंट तो मैं गारंटी नहीं देता। जहां मामला ठीक जंचेगा और जो कमियां छोड़ दी गई है, आफटर प्रौपर एग्जामिने ान उनको दूर करने की कोि ा ा करेंगे। इस वक्त हम कोई कमिटमैंट नहीं कर सकते है।

श्री अध्यक्षः मेरे ख्याल में इस सवाल पर काफी डिबेट हो चुकी है और हाउस को यह बताया गया है कि इनके टाईम से पहले की यह डिसपैरिटी है। लेकिन इन्होंने कहा है कि एग्जामिन करंगा और जिस हद तक पहले कुछ गल्ती हो गई है, उनको सुधारने की कोि ा ा करूंगा that is the sufficient assurance given by the Government.

चौधरी संत कंवरः .....

श्री अध्यक्षः हाउस में इस किस्म की थ्रेट देना कि अगर डिस्पैरिटी दूर नहीं की जाएगी तो काम नहीं करने दिया जाएगा, ठीक नहीं है। (ाोर एवं व्यवधान) It should not be recorded.

कामरेड भांकर लालः स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार के कुछ आफिसिज तहसील लैवल पर है, कुछ डिस्ट्रिक्ट लैवल पर हैं और यहां चंडीगढ़ में कुछ आफिसिज 22 सैक्टर में है, कुछ 17 सैक्टर में है। सैक्रेटेरिएट के कर्मचारियों को जो सहूलियतें मिलती है, व दूसरे कर्मचारियों को नहीं मिलती है। सैक्रेटेरिएट के क्लास तीन और क्लास चार के जो कर्मचारी है, उनको ज्यादा

सहूलियात मिलती है लेकिन दूसर आफिसिज के कर्मचारियों को वे सहूलियात नहीं मिलती है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है?

चौधरी खुर ीद अहमदः हर क्लास के बारे में मुखतलिफ–मुखतलिफ वजुहात है और हर क्लास के बारे में सैपरेट नोटिस चाहिए।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, डैमोक्रेसी के दो विंग है– एक लैजिस्लेचर और दूसरा एग्जैक्टिव। लेकिन उसके अंदर काम करने की जिम्मेदारी सब की बराबर की है। दोनों जगहों पर क्लर्क नोटिंग लिखते है और जो दूसरे अफसर है, वे भी एक जैसा ही काम करते है। पे कमी ान ने कैटेगरीवाइज पे–स्केल रिवाइज कर दिए है और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसको लागू करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

चौधरी खुर ीद अहमदः पे कमि ान की रिपोर्ट पर पूर तौर से गौर किया गया है और जो प्वायंटस फिजिबल थे, वे हमने सारे लागू किए है।

Civil Hospitals in the State

***2093. Chaudhri Ishwar Singh:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) the number of tehsils and sub-divisions in the State where there are no civil hospitals at present;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt., to construct a 30 bed hospital at Guhla; if so, the time by which it is likely to be constructed;

(c) whether any survey has been conducted by the Government regarding the un-registered medical practitioners in the State; if so, the number of such practitioners; and

(d) the number of persons who dies due to the reaction of wrong medicines and injections in the hospitals in the State?

स्वास्थ्य तथा पर्यटन मंत्री(चौधरी गजराज बहादुर नागर):

(क) आठ

(ख) हां, छटी पंचवर्शीय योजना 1980–85 के अंत तक पर्याप्त फंडज की उपलब्धि पर अंकित है।

(ग) ऐसा कोई सर्वेक्षण सरकार द्वारा नहीं किया गया।

(घ) दो, 1980–81 (अब तक) के दौरान।

चौधरी ई वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे सवाल के पार्ट 'बी' के उतर में यह कहा है कि गूलहा में तीस बैडज का हस्पताल बनाना छटी पंचवर्शीय योजना 1980–85 के अंत तक पर्याप्त फण्डज की उपलब्धि पर अंकित है जबकि एक

साल पहले मुख्य मंत्री महोदय ने वहां पर इस के लिये नींव पत्थर भी रखा है। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि गूल्हा में तीस बिस्तरों वाले हस्पताल का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, गूल्हा के हस्पताल के लिये जो जो जरूरी सैंक ांज थीं, वे ले ली गयी है। इस पर काम जल्दी ही भुरू होने वाला है।

चौधरी ई वर सिंहः स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस साल वहां हस्पताल का काम पूरा हो जाएगा?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, इस साल तो यह काम पूरा नहीं होगा।

श्री अध्यक्षः जो जवाब मंत्री महोदय ने दिया है, उसमें और पहले जवाब में मुझे काफी अंतर नजर आ रहा है। मिनिस्टर महोदय अपने जवाब को जरा और कलीयर कर दें। क्योंकि आपने अपने लिखित जवाब में यह कहा है कि छटी पंचवर्शीय योजना 1980–85 के अंत तक पर्याप्त फण्डज की उपलब्धि पर अंकित है और अब आप यह कह रहे है कि इस हस्पताल को बनाने के लिये सभी जरूरी सैंक ांज ले ली गयी है और उस पर काम भुरू होने वाला है।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, इन्होंने पूछा था कि इस तीस बैडज वाल हस्पताल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि है तो इसकी कितने समय तक बन जाने की सम्भावना है? मैंने उसका जवाब दिया हे कि 1980–85 के अंत तक पर्याप्त फण्डज की उपलब्धि पर निर्भर करता है, सारी जरूरी सैंक ांज हमने ले ली है, फण्डज मिलते ही यह काम भाुरू कर देंगे। जहां तक काम भाुरू करने के बारे में इन्होंने पूछा है, बहुत तेजी के साथ इस काम के लिये कदम उठाये जा रहे है। जब से मुख्यमंत्री महोदय ने वहां पर नींव पत्थर रखा है, हमने इस के लिये जरूरी सैंक ांज प्रिकयोर कर ली है।

डा0 बृज मोहन गुप्ताः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने सवाल के पार्ट 'डी' के जवाब में यह बातया है कि गलत दवाईयों और इंजैक ानों की प्रतिकिया के फलस्वरूप मरने वालों की संख्या दो है। क्या मिनिस्टर महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये दो मौतें गलत इंजैक ान से हुई है या कि गलत दवाईयां खाने के कारण हुई है?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, ये जो दो मौंतें हुई है, वे इंजैक ान के रिएक ान की वजह से हुई है।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, सरकार ने कई बार पहले यह आ वासन दिलाया है कि जहां पर प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज नहीं है, वहां पर प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज बनाये जांएगे। सोनीपत हल्के में

एक कथूर ब्लाक है, वहां पर प्राईमरी हैल्थ सैंटर नहीं है। उसके लिये लोगों ने बीस हजार रूपया भी इक्ट्ठा कर लिया है, जमीन भी है तो क्या सरकार वहां पर प्राईमरी हैल्थ सैंटर खोलने का विचार रखती है? अगर हां तो कब तक वहां पर हैल्थ सैंटर बनाकर चालू कर दिया जाएगा?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, इस सप्लीमैंट्री का इस सवाल से कोई संबंध नहीं है। इन्होंने तहसील–वाईज और डिविजन वाइज पूछा था, जिसकी डिटेल मेरे पास है। ब्लाक वाइज इन्होंने नहीं पूछा था, इस बारे में ये नोटिस दें, तो सारी डिटेल इक्ट्ठी करके बता दी जाएगी।

श्री अध्यक्षः मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जब सरकार की यह पालिसी है कि हर ब्लाक में एक प्राईमरी हैल्थ सैंटर होगा तो वे जरा इस बारे में कलीयर बता दें।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः ब्लाक्स से संबंधित इंफर्मे ान मेरे पास नहीं है, क्लैक्ट करके ही बतायी जा सकती है।

चौधरी गया लालः स्पीकर साहब, पिछली सरकार के समय होडल, बावल और गन्नौर में प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज खोलने के लिये नींव पत्थर रखें गये थे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन जगहों पर कब काम चालू हो जाने की संभावना है?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, केवल होडल ही नहीं बल्कि अम्बाला, सोनीपत, उकलाना वगैरह सारी जगहों के लिए सैंक ानज ले रखी है, वहां पर काम जल्दी ही भुरू होने वाला है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः होडल के अलावा आनरेबल मैम्बर ने बावल और गन्नौर के बारे में भी जानकारी मांगी है।

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, गूल्हा, असंध, गन्नौर और बावल में जमीन एक्वायर कर ली गई है और इनकी सैंक ांज भी हो गई है। अगल चालू साल में एक अप्रैल से वहां पर काम चालू होने वाला है। बिल्डिंग्ज कम्पलीट होने पर जल्द से जल्द फंक ानिंग भुरू हो जाएगी।

राव बंसी सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सिविल हस्पताल को बनाते या खोलते वक्त किन बातों को ध्यान में रखा जाता है?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः अध्यक्ष महोदय, सभी जरूरतों को देखकर हस्पताल खोलने का निर्णय लिया जाता है।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहब का पूछने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि सरकार की हर ब्लाक में प्राईमरी हैल्थ सैंटर खोलने के बारे में कमिटमैंट है, उसी तरह डिस्ट्रिक्टस, सब डिवीजंज और तहसीलों में हस्पताल खोलने का सरकार का क्या क्राईटेरिया है, किन किन बातों को मददेनजर रखते हुए हस्पताल खोले जाते है?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, जनरल हस्पताल वहां पर खोले जाते हैं, जहां पर नहीं है और जरूरत हो। जहां बिल्डिंग मिल जाती है, वहां पर हस्पताल खोले जाते है। जरूरत के मुताबिक कहीं पर छोटा हस्पताल खोलते है, कहीं पर बड़ा खोला जाता है।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय, ने अपने सवाल के जवाब में यह बताया है कि 1980–81 में राज्य में गलत दवाइयों और इंजैक ानों की प्रतिक्रिया की वजह से मरने वालों की संख्या दो है। स्पीकर साहब, चूंकि गांवों के बहुत से लोग अनपढ़ और गरीब होते है। उनको मरीज की मौत का सही कारण पता नहीं चलता कि किन कारणों से उसकी मौत हुई है, आया यह मौत दवाई खाने से हुई या टीका लगने से? अगर किसी की मौत डाक्टरों की गलती से, रिएक ान होने से हुई हो तो डाक्टर अपने रजिस्टर में मौत का कोई दूसरा कारण लिख लेते है। क्या सरकार इस तरह का प्रावधान करेगी जिस से कि गांवों के लोगों को अपने मरीज की सही बीमारी और मौत का कारण पता लग सके और डाक्टर लोग उन गरीबों के साथ किसी किस्म का खिलवाड़ न करें।

(इस समय डाक्टर बृज मोहन गुप्ता सप्लीमैंट्री क्वै चन पूछने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, आप जरा बैठिये पहले मिनिस्टर साहब को चौधरी संत कंवर जी की सप्लीमैंटरी का जवाब तो दने दीजिये। (ोर एवं व्यवधान)

डा0 बृज मोहन गुप्ताः स्पीकर साहब, मेरी एक हम्बल, सबमि ान है कि इसी सप्लीमैंटरी से मिलता जुलता ही मेरा सवाल है। स्पीकर साहब, मैं यह प्रिज्यूम करता हूं कि जो मौतें होती है वह इंट्रा–वीनस के कारण होती है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हस्पतालों में जो इस तरह से इंजैक ान लगाये जाते है, उनको लगाने का अधिकार आया डाक्टर्ज को होता है या किसी नर्सों को लगाने का अधिकार होता है?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, मैं दोनों केसिज के बारे में कम्पलीट बात हाउस के सामने रख देता हूं। एक तो श्री ि ाव राम जो दुर्गा कालोनी भिवानी का रहने वाला था, उसकी डेथ हुई (विघ्न) सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जब **(11.00बजे)** कोई भी ऐसी मृत्यु होती है तो उसकी बाकायदा जांच होती है। उसके बाद निर्णय लेते है कि किसका कसूर है। यह बाकायदा देखभाल होती है कि नेचुरल डैथ हुई है या किसी गलत दवाई या रि–एक ान की वजह से हुई है। ि ाव राम जी की मृत्यु के संबंध में श्री चंदन सिंह जो इ0 एस0 आई0 डिस्पैंसरी, भिवानी में फारमिस्ट था, उसको चार्ज भीट कर दिया गया है। दूसरी मृत्यु अम्बाला जिले की श्रीमती रूकमनी देवी की हुई। She was an old lady of 80 years. She was given injection

Bejectal. She got Anaphalactic shock and expired on 20-12-1980. She was suffering from tumor with pain in palvis and breast bone.....

Mr. Speaker: I do not think, there is any need of going into details.

चौधरी गजराज बहादुर नागरः मेरे कहने का मतलब यह है कि बकायादा इनवैस्टीगे ान होती है और जो आदमी जिम्मेदार होता है, उसके खिलाफ एक ान लिया जाता है।

डा0 बृज मोहनः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया?

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, आपने जो सवाल पूछा है उसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

चौधरी नारायण सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फरूख नगर बहुत पुरानी पी0 एच0 सी0 है, वहां पर हस्पताल के लिये पब्लिक ने आज से दस साल पहले पैसा भी जमा करवा रखा है.....

श्री अध्यक्षः यह सैपरेट सवाल है।

श्री जय नारायण वर्माः स्पीकर साहब, मेरे हल्के में 47 गांवों में पत्थर रखने के बारे में तो कोई ि ाकायत नहीं लेकिन मरने की ि ाकायत है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजकीय हस्पताल जितने भी है वहां जब गरीब आदमी इलाज के

लिये जाते है तो उनको दवाइयां उपलब्ध नहीं होती। जहां तक कि कैजुयलटी के अंदर भी मरीजों के साथ वाले लोगों को कहा जाता है कि यह दवाई लेकर आओ और वह दवाई लेकर आओ, वहां से रसूख वाले आदमी तो दवाइयां ले जाते है लेकिन गरीब लोगों को नहीं मिलती। तो इस बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः जहां तक गरीबों का सवाल है उनके लिये बाकायदा सरकार ने इंतजाम कर रखा है, उन्हें दवाइयां दी जाती है। कुछ मरीज ऐसे होते है, जिनके लिये कोई खास तरह की दवाई की जरूरत होती है जो महंगी होती है और हस्पताल में उपलब्ध नहीं होती। ऐसी दवाइयां बाजार से मंगवाई जाती है। गरीब आदमियों के केस ऐसी दवाइयों के लिये रैड क्रास और दूसरे चेरिटेबल ट्रस्टस को रैफर किये जाते है, जो उन्हें दवाइयां उपलब्ध करवाते है।

Capacatiy of Power Sub-Station at Jhajjar

***2126. Captain Mange Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the present capacity of the power sub-station at Jhajjar;

(b) whether the present capacity of the sub-station is sufficient to cope with the needs of the area; and

(c) if not, whether there is any proposal to instal a new power sub-station of a higher capcaity; if so, the higher capcaity of the sub-station to be s9o installed.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(सरदार तारा सिंह):

(क) झज्जर सब–स्टे ान की वर्तमान क्षमता 10 एम0 बी0 ए0 है।

(ख) इस सब–स्टे ान की वर्तमान क्षमता इस क्षेत्र की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए काफी है।

(ग) यद्धपि इस सब–स्टे ान की वर्तमान क्षमता इस क्षेत्र की मांग के लिये काफी है फिर भी भविश्य की मांग को ध्यान में रखते हुए यहां पर 132 के0 वी0 सब स्टे ान की प्रस्तावना है।

श्री अध्यक्षः मिनिस्टर साहब, जरा क्लीयर करने का कश्ट करें कि एम0 बी0 ए0 का क्या मतलब है। दूसरी बात यह है कि इस समय वहां पर 10 एम0 बी0 ए0 की कैपेसिटी है जिसे 132 के0 वी0 करने की प्रोपोजल है। तो 10 एम0 वी0 ए0 और 132 के0 वी0 में कितना अंतर है?

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, एम0 वी0 ए0 का मतलब मैगावाट एम्पायर है और के0 वी0 का मतलब किलोवाट है। जहां तक इनमें अंतर का सवाल है वह बहुत ज्यादा है।

श्री अध्यक्षः मैं मंत्री महोदय से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कम से कम जो यूनिटर है वे एक जैसी होनी चाहिए

ताकि सभी मैम्बर्ज को पता चल जाए। एक जगह तो आप कहते है, "The present capacity of this power sub-station is sufficient to meet with the power needs of the area". फिर उसको आप 10 एम0 वी0 ए0 से 132 के0 वी0 बना रहे है। तो ये दो बातें कुछ समझ नहीं आती।

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, असली पोजी ान यह है कि दस मैगावाट के हमारे पास दो सब स्टे ान है। इसमें एक तो 6 एम0 वी0 ए0 का है और दूसरा 4 एम0 वी0 ए0 का है। हमारा ख्याल था कि 1980–81 में उनकी डिमांड 9 एम0 वी0 ए0 की होगी लेकिन अब तक 8.40 मैगावाट की जरूरत पड़ी है। फिर भी हम समझते है कि 1981–82 में यह 11.5 एम0 वी0 ए0 हो जाएगी। इसको मद्देनजर रखते हुए 132 किलोवाट के लिये प्रस्ताव रखा है।

कैप्टन मांगे रामः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने झज्जर में बिजली के सब–स्टे ान की कैपेसिटी 10 एम0 वी0 ए0 से 132 के0 वी0 बढ़ानें के लिये प्रोपोज किया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। झज्जर खारे पानी की बैल्ट का सब–डिवीजन है इसलिये वहां पर बिजली की बहुत जरूरत है। जो वाटर सप्लाई स्कीम है वह भी इन–कम्पलीट पड़ी हुई है और ट्यूबवैल्ज को बिजली का कनैक ान न मिलने के कारण खेतों में पानी बहुत कम मिलता है। इसके विपरीत राव राम नारायण के हल्के सालहावास में कोसली एक कस्बा है जोकि झज्जर की अपेक्षा बहुत

छोटा है। कोसली में तो 132 के0 वी0 का सब–स्टे ान है जबकि झज्जर में केवल 10 एम0 वी0 ए0 का सब स्टे ान है इसलिये यह बहुत जरूरी है कि झज्जर के पावर सब–स्टे ान को 132 के0 वी0 का सब–स्टे ान बनाने के लिये प्रियार्टी दी जाए।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप सुझाव दे रहे है या सवाल पूछ रहे है?

कैप्टन मांगे रामः स्पीकर साहब, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। इस बात के लिये मैं बड़ा खु ा हूं कि मंत्री महोदय ने झज्जर में बिजली के सब–स्टे ान की कैपेसिटी बढ़ाने के लिये प्रपोज किया है लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस सब–स्टे ान का काम कब से चालू हो जाएगा?

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, प्रिलिमिनरी का काम भुरू हो गया है। लैंड एक्वायर करने के लिये प्रोसैस जारी है। इस समय बिजली की डिमांड बहुत ज्यादा है और हमें यह भी अनुमान है कि 1985 तक और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी इसलिये उस वक्त से पहले हम झज्जर सब–स्टे ान की कैपेसिटी बढ़ा देंगे?

चौधरी कर्म सिंहः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब टोहाना को बिजली का सब–डिवीजन बनाने के लिये अनाउंस करके आए थे। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने टोहाना को बिजली का सब–डिवीजन बनाने के लिये कोई विचार किया है?

सरदार तार सिंहः स्पीकर साहब, यह सवाल तो झज्जर के बारे में है। इस सवाल का टोहाना से कोई संबंध नहीं है।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब यह तो झज्जर के बारे में सवाल है इसके लिये आप अलग से नोटिस दें।

चौधरी कर्म सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि .....(ोर)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप बैठ जाईए। आप बिजली के सब–डिवीजन की बात कर रहे है। यह सवाल तो झज्जर के बारे में है इसलिये मंत्री जी झज्जर के बारे में तैयारी करके आए है। अगर मंत्री जी जवाब दे सकें तो दे दें।

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, इसके बारे में जवाब देना बड़ा मु कल है। माननीय सदस्य अलग से नोटिस दे दें। (ोर)

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, सवाल तो झज्जर के बारे में है लेकिन चौधरी कर्म सिंह जी ने पूछा है कि टोहाना को सब–डिवीजन कब बनाया जाएगा। (ोर)

चौधरी कर्म सिंहः स्पीकर साहब, टोहाना को सब–डिवीजन बनाने के लिये तो मुख्य मंत्री जी तीन फरवरी को पब्लिक मीटिंग में अनांउस करके आए थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने तो मंत्री जी से पूछा है कि 24–9–1980 को टोहाना

में एक पब्लिक मीटिंग में बिजली का सब–डिवीजन बनाने की घोशणा की थी तो उसके बारे में मंत्री जी जवाब दे दें। मैंने यह बात कही थी।

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, मेन सवाल से इस सवाल का कोई संबंध नहीं है। मैं गलत जवाब नहीं देना चाहता।

श्री गुलजार सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने सवाल के जवाब में यह कहा है कि झज्जर के 10 एम0 वी0 ए0 सब–स्टे ान को 132 के0 वी0 सब–स्टे ान बनाने की प्रपोजल है। इसी तरह से हरियाणा प्रांत के बहुत से हिस्से में ट्रांसफरमर्ज पर बिजली का अधिक लोड है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां पर ट्रांसफारमर्ज पर ज्यादा लोड है क्या वहां पर सरकार अच्छी किस्म के 10 एम0 वी0 ए0 के सब–स्टे ान बनाने के लिये विचार करेगी?

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य की यह बात ठीक है। हरियाणा में ट्रांसमि ान सिस्टम पूअर रहा है। पहले इस काम के लिये 5–6 करोड़ रूपये बजट में रखे जाते थे। लेकिन इस साल के बजट में ट्रांसमि ान सिस्टम को मजबूत करने के लिये 15–16 करोड़ रूपये रखे है। जहां जहां भी बिजली के सब–स्टे ान कैपेसिटी के हिसाब से पूरे नहीं है, उनको जल्दी पूरा करने के लिये सरकार विचार कर रही है।

Earth work on a Road

***2215. Shri Bhagi Ram:** Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state whether the earth work has been done by villagers on the Burji 8 road from Havoli to Dhamora Ther in District Sirsa?

लोक निर्माण मंत्री(कंवर रामपाल सिंह): हावोलों नामक कोई गांव नरहीं है। परन्तु गांव अभोली से घमोरा थेड़ (अठ बुर्जों के रास्ते) के कुछ हिस्से पर अर्थ वर्क ग्रामीणों द्वारा करवाया गया है।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने सवाल के जवाब में कहा है कि हावोली नाम का कोई गांव नहीं है और उसके बाद कहा है परन्तु अभोली से घमोरा थेड़ (आठ बुर्जों के रास्ते) के कुछ हिस्से पर अर्थ वर्क ग्रामीणों द्वारा करवाया गया है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इनकी यह बात सही है कि हावोली गांव नहीं है? स्पीकर साहब, मैं यह कहता हूं कि हावोली गांव है।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास इस सवाल की रिप्लाई का हिंदी व र्न नहीं है। पता नहीं हिंदी में क्या लिखा हुआ है।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मेरे पास जो रिप्लाई है इसमें हावोली लिखा है।

श्री अध्यक्ष: कहीं आपने ही आभोली लिख दिया हो?

श्री भागी रामः नहीं जी, मैंने हावोली लिखा था। अध्यक्ष महोदय, गांव वालों ने तीस हजार रूपये देकर मजदूरों से उस सड़क पर मिट्टी डलवाई है। चौधरी देवी लाल जी ने जब वे मुख्य मंत्री थे, इस सड़क को मंजूर किया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस सड़क को प्रैफ्रैंस देकर बनाने के लिए कोई विचार कर रही है?

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने कहा है कि 1978 में चौधरी देवी लाल जी जब मुख्य मंत्री थे, उस समय उन्होंने यह सड़क मंजूर की थी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि चौधरी देवी लाल जी भायद अनाउंसमैंट करके आए होंगे क्योंकि 11–7–78 को जब इस सड़क का एस्टीमेट बन करके आया था, तो उसी सरकार ने इस को रिजैक्ट कर दिया था। दूसरी बात इन्होंन यह कही कि उस सड़क पर गांव वालों ने अपने पैसों से मिट्टी डलवाई है। इसलिये क्या सरकार उस सड़क को प्रियार्टी बेस पर बनाएगी। इस बारे में सरकार का कोई विचार नहीं है। फूड फार वर्क प्रोग्राम के तहत गांव वालों ने सड़कों पर मिट्टी डाली है इसलिये इस बारे में सरकार की कोई पालिसी नहीं है कि ऐसी सड़कों को प्रियार्टी दे कर बनाया जाए।

Mr. Speaker: Is it a double link road?

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, ऐसा है कि अठ बुर्जी और घमोरा थेड़, दोनों गांव नान डायरैक्टरी विलेजिज है।

1971 की गणना के बाद अठ बुर्जी की आबादी डेढ़ सौ की है और घमोरा थेड़ की 108 की है।

श्री वीरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह नि चय है कि 31 मार्च 1981 तक हरियाणा के हर गांव को सड़क के साथ जोड़ दिया जाएगा तो इनको क्यों छोड़ा जा रहा है?

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, ऐसा है कि 250 की आबादी से ऊपर वाले गांवों को 31 मार्च तक सड़क से जोड़ दिया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या अमोली घमोरा थेड़ और अठ बुर्जी ये तीन गांव इस योजना में कवर नहीं होते?

श्री अध्यक्षः यही बात मैंने पूछी थी और इसका जवाब आ गया है।

श्री बीरेंद्र सिंहः आपने दो गांवों के बारे में पूछा था लेकिन ये तीन गांव है जिनके बारे में मैं पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, मैंने डिमांड नं0 8 पर बोलेते हुए बताया था कि 170 गांव खादर के एरिये के है जोकि सैमी हिल्ज एरिया है। खादर का एरिया यमुना के आसपास का इलाका है, कुछ खादर का एरिया डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में भी है। इस तरह सैमी हिल्ज एरिया में 170 गांव है। इन में सड़कें बनाने को काइटेरिया यह है कि जिन गांवों की आबादी 1971 की सैंसिज

के मुताबिक 250 है और जो डायरैक्टरी विलेजिज है, इनको 31 मार्च 1981 तक सड़कों से जोड़ा जाएगा।

चौधरी अजीत सिंहः क्या मंत्री महोदय, बतायेंगे कि जिस प्रकार आदमपुर में ज्यादातर गांवों को डबल लिंक रोड से जोड़ा गया है, उसी प्रकार जिन सड़कों पर फूड फार वर्क प्रोग्राम के तहत लोगों ने मिट्टी डाल दी है, उनको भी डबल लिंक के साथ जोड़ा जाएगा?

कंवर राम पाल सिंहः इस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। फूड फार वर्क प्रोग्राम के तहत मिट्टी डली हुई सड़कों के लिये हमारी कोई पालिसी नहीं है।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जवाब दयिा है कि जिन गांवों में 250 की आबादी होगी, उन्हीं को 31 मार्च तक सड़कों के साथ जोड़ा जाएगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो सड़के बाकी बच गई है और फूड फार वर्क प्रोग्राम के तहत जिन पर गवर्नमैंट का बहुत पैसा खर्च हो चुका है क्या उनको 31 मार्च 1981 के बाद टेक–अप करेंगे?

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, जैसा कि मैंन जिक किया कि खादर के एरिये में कुछ गांव है। उनके लिये जो काइटेरिया बना हुआ है, उसके मुताबिक 31 मार्च 1981 तक लिंक रोड़ से कनैक्ट कर दिया जाएगा। जो बाकी गांव रहते है या जहां फूड फार वर्क स्कीम के तहत काम हुआ है उनको नैक्सट

ईयर में टेक–अप करने की कोि ा ा करेंगे लेकिन यह फाइनैंनसिज पर डिपैंड करता है। नैक्स्ट ईयर में जितना पैसा मिलेगा, उसके मुताबिक जितनी सड़कें बनेगी, उनको आहिस्ता आहिस्ता बनायेंगे। जितने गांव सड़कों से जुड़ सकेंगे जोड़ने की कोि ा ा करेंगे।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, जिला रोहतक में, झज्जर के एरिया में एक गांव है ढानी सैनीवाल। पता नहीं यह गांव कागजात माल में दर्ज है या नहीं। इस गांव की आबादी काफी है गांव के पंच भी है लेकिन सैप्रेट पंचायत नहीं हैं। इस गांव की आबादी 1971 की सैंसिज के मुताबिक कागजात में लिखी है या नहीं यह तो मुझे मालूम नहीं लेकिन इस वक्त उसकी आबादी तीन चार सौ के लगभग है। क्या ऐसे गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा?

श्री अध्यक्षः इस वक्त कैसे बताया जा सकता है, यह तो सैप्रेट क्वै चन है।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि बाकी सड़कों के लिये अगले साल कोि ा ा करेंगे। क्या इस कोि ा ा में ऐसे गांव भी भामिल है जो कागजात माल में भामिल नहीं है और क्या ऐसे गांवों को कागजात माल में दर्ज करने की कोि ा ा करेगें?

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): अगले साल देख लेंगे।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, घमोरा थेड़ गांव के लिये 1978 में सड़क मंजूर हुई थी और इसमें ज्यादातर आबादी हरिजनों की है, मजदूरी करने वाले लोग बसते है, मैं खुद उस गांव में जाता रहता हूं। इस गांव के गरीब लोगों ने पड़ौस के गांव से ट्रक मांग मांग कर सड़क पर मिट्टी डाली और तीस हजार रूपया उस सड़क पर लगा दिया। क्या सरकार इन हरिजनों की मेहनत और मजबूरी को ध्यान में रखते हुए इस सड़क को बनायेगी? अध्यक्ष महोदय, मेरा एक दूसरा सवाल भी है।

श्री अध्यक्षः आप छोटा सवाल पूछें और जो सवाल आपने पूछा है, इसका जवाब तो आलरेडी आ चुका है। कोई दूसरा सवाल है तो वह बतायें।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, दूसरा सवाल मेरा यह है.. .....

कंवर राम पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी पूरी तसल्ली कर देता हूं क्योंकि सारी स्थिति तसल्ली से बताना जरूरी है। इन्होंने कहा कि 1978 में सड़क मंजूर हुई थी लेकिन अब तक नहीं बनी। इसका जवाब यह है कि 1978 में ही चौधरी देवी लाल ने अपनी कलम से इस सड़क को रिजैक्ट कर दिया था। इसके बाद इन्होंने यह भी कहा कि उस सड़क पर गांव वालों ने मिट्टी डाली है। फूड फार वर्क प्रोग्राम के तहत जिन सड़कों पर मिट्टी डली है, उन सड़कों को टेक–अप करने का सरकार का

कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई पालिसी नहीं हैं लेकिन इसके बावजूद भी मैं हाउस की इतलाह के लिये बताना चाहता हूं कि गवर्नमैंट आफ इंडिया एक नयी स्कीम नैशनल रूरल एम्पलायमेंट प्रोग्राम शुरू कर रही है। यह स्कीम डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट के अंदर चलनी है, हम उन से बातचीत कर रहे है। अगर डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट के साथ हमारी बातचीत सिरे चढ़ जाती है तो फूड फार वर्क स्कीम के तहत जिन सड़को पर मिट्टी डली है, उन सड़कों पर हम काम शुरू करवा देंगे ओर जो सड़कें डिपार्टमैंट ने मंजूर की है वे इस नयी स्कीम से कवर हो जायेगी। लेकिन य हस्कीम अभी फाईनल नहीं हुई हैं, विचाराधीन है और जब फाइनल हो जाएगी, तभी काम किया जा सकेगा।

Minors/Lift Irrigation Schemes

***2168. Chaudhri Rizaq Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the names of the Minors/Lift Irrigation Schemes inaugurated in different XEN divisions of the State since September, 1979;

(b) the estimated cost of each of those schemes;

(c) whether the work on these schemes has been started;

(d) if the answer to part (b) is inaffirmative, theprogress of work made in this behalf; and

(e) if the answer to part(d) is in negative the reasons thereof and the period by which the work would be taken up on these schemes?

Irrigation and Power Minister(Sardar Tara Singh): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) 39 nos. Schemes were inaugurated in different Divisions of the State since September, 1979 to-date. The names of the schemes are indicated at Annexure 'A'

(b) The total estimated cost of all these Schemes is Rs. 228.80 lakhs. The scheme-wise cost is indiscated at Annexure 'A'.

(c) Work on 26 Nos. Schemes has been started.

(d) The work on 3 Nos. Schemes has been completed. The progress of works on 23 Nos. Schemes varies from 10 per cent to 95 per cent. The detailed progress on each of these Schemes is indicated at Annexure 'A'.

(e) The work on 13 Schemes could not ble taken up due to various factors such as demand in change of alignment by the irrigators after sanction of the Scheme, time taken in acquisition of land, finalisation of the design work, finalisation of proceedings under the Canal and Drainage Act etc. The latest postion of these Schemes is indicated at Annexure 'A'.

Sr. No.	The name of the Minors/Lift Irrigation Schemes inaugurated in different Xen. divn. of the State since September, 1979	The estimated cost of each of these schemes	Whether the work on those scheme has been started	If the answer to part (c) is in affirmative the progress of work made in the behalf; and	If the answer to part (d) is in negative the reasons there of and the period by which the work would be taken up on these schemes
1	Constructing scheme of Chudani Minor RDO-3000 taking off RD.1,12,550-R, Dulehra Disty.	Rs. 0.95 lacs.	Yes.	Completed and commissioned.	
2	Scheme for Extension of Bhawani Khera	Rs. 0.64 lacs.	Yes.	Work completed	

	Minor RD. 40700-42086				
3	Constructing Gorchi Minor-O-13735 taking off at RD-18865-L Rawalwas Minor	Rs. 10.32 lacs	Yes.	Complete and functioning at site.	
4	Scheme for extension fo Base Minor from RD-9064 to RD-13064	Rs. 3.91 lacs	Yes.	Earth work completed 84% Linning completed.	
5	Construction Mandori Minor O-9000 taking off at RD-2,59,150-R Delhi Branch	Rs. 2.21 lacs	Yes.	Earth work completed Head regulator nearing completion.	
6	Scheme for extension of Bhaini Chanderpal Minor	Rs. 1.94 lacs	Yes.	Earthwork completed. Work of lining and	

	from RD-23922 to RD-28500.			Const. of bridge is yet to be taken up	
7	Constructing New Sarsana Sub-Minor RD-25000 taking off at RD-63200-L Sarsana Minor	Rs. 4.64 lacs	Yes.	Earth work nearing completion.	
8	Constructing -1-R Reclamation Minor RD. O-21000.	Rs. 2.28 lacs	Yes.	90% work completed	
9	Constructing New Khajuri Minor RD-O-12000 taking off at RD-14600-R, Fatehabad Branch	Rs. 3.65 lacs	Yes.	95% Earthwork and 40% Lining completed.	
10	Scheme fro Extension of Kikarpur Minor from	Rs. 3.50 lacs	Yes.	94% Earthwork completed The work of	

	RD-14330 to RD-20500.			remodelling Head regulator and Cosnt. of Pump House is yet to be taken up.	
11	Construction Bassi Minor RD-O-10500 taking off RD-41060-LS-under Disty.	Rs. 5.39 lacs	Yes.	90% Earthwork completed. Head Regulator and Lining work is yet to be taken up.	
12	Constructing Garhi Minor from RD-O-25000 off taking at RD-68900-L Brar Khera Minor	Rs. 9.88 lacs	Yes.	85% Earth work completed. 10% work of Head Regulator completed. Syphon work under the metalled is yet to be taken up.	

13	Scheme for constructing 1-L Brarkhera Minor O-15800 off taking at RD-24400-L Brar Khera	Rs. 3.88 lacs	Yes.	80%Earth work completed. One Head Regulatro and 3 bridges are yet to be constructed.	
14	Scheme for Extension of Mali Sewan Link from RD-33050-36050.	Rs. 0.44 lacs	Yes.	80%Earth work completed. Balance work held up due to stay order by the Court.	
15	Extension of Kachhana Minor RD-19527 to 28280.	Rs. 2.53 lacs	Yes.	50% earth work completed	
16	Scheme for extension of sarsaud Disty. from RD-38000to RD-59500.	Rs. 8.35 lacs	Yes.	50% earth work completed. Lining work is yet to be taken up.	

17	Constructing New Siswala Minor O-21000 taking off at RD-85500-L Kishangarh Sub-Branch	Rs. 7.80 lacs	Yes.	35% Earth work completed. Balance work held up due to alternative alignment and case stands/referred to Govt. The work of Head Regulator and bridges is yet to be taken up.	
18	Constructing New Dhanger Minor by converting outlet RD-18000-R Bigher Disty. to Minor	Rs. 14.50 lacs	Yes.	35% Earth work completed. 3% Lining completed. Head Regulator and bridges are yet to be constructed.	
19	Constructing	Rs. 4.83 lacs	Yes.	Earth work and	

	Qutabgarh Sub Minor O-10200 taking off at RD 12400 L, Jaunti minor			Head Regulator completed. Lining work in progress.	
20	Scheme of Kalwan Feeder taking off at RD-5,29,600-L, Bhakra Main Line.	Rs. 4.98 lacs	Yes.	Over 25% work completed work of Head Regulator and constructing of bridges is yet to be taken up.	
21	Scheme of Constructing Bhaprodha Minor from RD-O-4000 taking off at RD-41953-R, Ismalia Disty.	Rs. 1.41 lacs	Yes.	25% Earth work completed, Construction of 2 Nos. bridges is yet to be taken up.	
22	Constructing Gurar Sub Minor taking off	Rs. 6.09 lacs	Yes.	Earth work completed, Head	

	at RD-2115-R, Sissana Minor			Regulator in progress	
23	Constructing Basara Sub-Minor	Rs. 37.51 lacs	Yes.	20% Earth work completed and lining work is yet to be started.	
24	Constructing 1-R Minor/2-R Minor off taking at RD-25000-R Israna Disty.	Rs. 3.49 lacs	Yes.	(i) Earthwork 1-R Minor RD-9000 completed. (ii) Head Regulator 1-R to be taken up. (iii) Earthwork of 2-R Sub-Minor Head Regulator to be taken up.	
25	Scheme for Extension of Siswala Sub Minor from RD-	Rs. 3.27 lacs	Yes.	26% Earthwork completed. 11%	

	20450 to RD-32000 of Choudhry Minor			Lining completed.	
26	Scheme for Extension of Gawar Minor from RD-12500 to 17890.	Rs. 1.81 lacs	No.		Land Acquisition Proceedings are under progress
27	Constructing Chhatera Lift Canal taking off at RD-1675-R, Nahri Major Disty.	Rs. 3.23 lacs	No.		The scheme remained under review after its sanction and the same has now been finalized.
28	Scheme fro Extension of Sardara Sub Minor RD-6300 to RD-	Rs. 1.16 lacs	No.		Scheme is under revision due to lining.

	12500				
29	Scheme fro Extension of Kurlan Minor RD-21700 to 36500	Rs. 3.67 lacs	No.		Gazettee Notification for acquisition of land under section 4 and 6 have been issued. L.A.O. Rohtak is yet to announce the award.
30	Scheme for Extension of Naultha Minor from RD-42680 to R-48800	Rs. 1.03 lacs	No.		The Irrigatiors demanded change in alignment and the case stands

					referred to the Govt. for final decision. The work will be taken up after decision of the Govt.
31	Scheme for constructing New proposed Dhamtan Feeder taking off at RD-37086-R, Barwala Link to Link at RD-88000 Dhamtan Disty.	Rs. 12.00 lacs	No.		The design work for X-Regulator and Head Regulator, Design and Febrication of gates etc. is in progress and work would be started during 9/81 after

					completion of the design work.
32	Scheme for Extension of Lath Minor from RD-21970 to RD-24000 taking off at RD-34175-I Bhaluat Sub-Branch	Rs. 1.33 lacs	No.		The work on the Scheme will be taken after acquisition of land.
33	Scheme for Extension of Pllana Minor from RD-15000 to 27000 of Kahanur Disty.	Rs. 13.85 lacs	No.		The alignment of the scheme has not been finalized so far.
34	Scheme for Extension of Rithal Disty. from RD-35966 to RD-46966 taking off RD-	Rs. 6.61 lacs	No.		The Land Acquisition proceedings are under

	38220-L Bhaulat Sub Branch.				progress.
35	Scheme for constructing Khadwali Minor O-15850 taking off at RD-50250-L, Khanur Sub Branch.	Rs. 2.92 lacs	No.		The Irrigators have demanded change in the alignment which is under investigation.
36	Constructing Godhan Minor O-21000 off taking at RD-35300-L Dadri Feeder.	Rs. 9.66 lacs	No.		Proceedings under Canal Act and Land Acquisition are in progress.
37	Scheme for Mohalgarh Feeder off taking at RD-76000-R Barwala	Rs. - lacs	No.		The scheme is under investigation.

	Link				
38	Bhaini Bharon Minor No. II in Sewani Canal Division, Hissar.	Rs. 15.77 lacs	Yes.	Approximate 12% earthwork done lining of channel is yet to be done.	
39	Constructing Rajaulka Minor taking off at RD-37900 left of uttawar Disty. of Gurgaon Canal	Rs. 4.07 lacs	No.		The work on the scheme is likely to be taken up by October 1981 after acquisition of land.

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय, ने माईनर्ज/लिफ्ट इरीगे ान स्कीम्ज की जो लिस्ट दी है, इस में सीरियल नं0 26 से 38 तक माईनर्ज और सब–माईनर्ज की इनागुरे ान हुई है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इनकी इनागुरे ान कौन–कौन सी तारीख को हुई और अगर नहीं हुई तो कौन सी तारीख को होगी और इन पर काम कब तक कम्पलीट हो जाएगा?

सरदार तारा सिंहः इनकी इनागुरे ान अभी नहीं हुई क्योंकि अभी काम कम्पलीट नहीं हुआ है। जितनी स्कीमें लिस्ट में बताई है, ये मार्च 1982 तक कम्पलीट हो जाएगीं।

चौधरी रिजक रामः आप डिटेल बतायें कि कौन–कौन सी स्कीम कब कम्पलीट हो जाएगी और कितना काम बाकी है?

सरदार तारा सिंहः जो स्कीम सीरियल नं0 26 पर है यह माच्र, 1982 में क्मपलीट हो जाएगी। इसी तरह सीरियल नं0 27, 28 और 29 पर जो स्कीमें हैं ये भी मार्च, 82 तक क्मपलीट हो जाएंगी। इससे आगे सीरियल नं0 31 कीसकीम जून, 1982 तक कम्पलीट हो जाएगी, सीरियल नं0 32 भी मार्च, 1982 तक कम्पलीट हो जाएगी। सीरियल नं0 33 की 1982, 34 की 1982, 35 की जून, 82, 36 की 1982, 37 की दिसम्बर, 81 और 38 की अक्तूबर, 1981 तक कम्पलीट हो जाने की सम्भावना है।

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरानः स्पीकर साहब, मसानी बैरेज जिला महेंद्रगढ़ में बन रहा है क्या इस बैरेज से फरूखनगर और पटौदीके एरियाज को पानी दिया जाएगा? (व्यवधान) मेरा दूसरा सवाल यह है कि यह स्कीम किस स्टेज पर है? (व्यवधान)

सरदार तारा सिंहः यह सैप्रेट क्वै चन है। इस वक्त तो माइनर्ज की बात है।

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि क्रम संख्या 30 पर जो माईनर है उसकी अलाईनमैंट चेंज करने की डिमांड आई है। क्या मंत्री महोदय को पता है कि इस डिमांड से पहले इसकी स्कीम मंजूर हुई थी और सरकार ने जमीन एक्वायर कर ली है या नहीं?

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, इसके बारे में एक सवाल भी इन्होंने दिया था लेकिन वह आ नहीं सका। यह ठीक है कि इस माईनर की ऐक्सटैं ान का केस था। पहले जमीन एक्वायर की गई। बैनिफि ारीज ने वायदा किया था कि जमीन के पैसे नहीं लेंगे। जमीन के एक लाख कुछ हजार रूपये बन गये। बाद में जमींदार कहने लगे कि अपने खजाने से सरकार पैसे दे। फिर केस तैयार किया गया। जब मंजूरी हुई चौधरी सतबीर सिंह जी मिनिस्टर थे। इन्होंने उसका उद्घाटन किया था। इने वहां के जमींदारों ने ऐतराज उठाया। उन्होंने कहा यह अलाईनमैंट गलत हुई है। महकमें को दोबारा अलाईनमैंट करनी

पड़ी। अब कुछ झगड़ा है। कुछ जमींदार एक तरफ से इलाईनमैंट मांगते है और कुछ दूसरी तरफ से अलाईनमैंट मांगते है। उस पर फैसला अभी होना है। लेकिन जैसा मैंने यकीन दिलाया है अगर फैसला जल्दी हो गया तो हम मार्च, 1982 तक इस स्कीम को कम्पलीट कर देंगें।

स्वामी आदित्यवे ा: स्पीकर साहब, क0 सं0 39 परद जो राजौल्का माईनर है यह पहले गुड़गांव में थी लेकिन अब फरीदाबाद में है। इसकी जमीन को एक्वायर करने का झगड़ा काफी अर्से से चल रहा हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस जमीन को कब तक एकवायर कर लिया जाएगा?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मैंने बताया है कि अक्तूबर 1981 तक यह स्कीम कम्पलीट हो जाएगी।

Mr. Speaker: Hon. Members, the Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उतर

Digging of a Drain and a Minor in Pundri Constituency

***2238. Swami Agnivesh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to dig out a drain from village Deeg

in Pundri Constituency together with the time by which its digging work is likely to be completed; and

(b) whether there is also any proposal to dig out a minor from Pundri Tank to Pundri Drain together with the time by whcih it is likely to be dug out?

Irrigation and Power Minister(Sardar Tara Singh):

(a) Yes. There is a proposal for extension of existing Deeg link drain and increasing capacity of existing pump house, which is likely to be completed before the rainy season of 1982.

(b) No. Instead there is a proposal for construction of Pundri link drain starting from depression near village Pundri and oufalling into the existing Pundri drain. The work on it is also lkikely to be completed beofre the rainy seasoin of 1982.

Bus Stand at Assandh

***2294. Master Jogi Ram:** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) the date on which the sanction for the construction of a bus stand at Assandh Town was accorded;

(b) whether any land has been acquired for the said purpose;

(c) if so, the date on which the said land was acquired; and

(d) the time bvy which the construction work on the said bus stand is lilkely to be started?

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) असंध बस स्टैंड के निर्माण करने की स्वीकृति सितम्बर, 1975 में जारी की गई थी।

(ख) भूमि का कब्जा 30—10—73 को मालिकों की सहमति से लिया गया था तथा

(ग) जबकि भूमि अभिग्रहण बारे औपरचारिक कार्यवाही चल रही है।

(घ) अपेक्षित निर्माण कार्य पहले ही पूर्ण हो गया है।

Lecturers in Regional Engineering College, Kurukshetra

***2310. Shri Baldev Tayal:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) whether it is a fact that some of the Lecturers are officiating on the higher posts in the Regional Engineering College, Kurukshetra as Professors or on other higher posts for months and years together but they are neigher given any extra allowance nor pay-scales of the higher posts for the period they officiate on them; and

(b) whether the Government proposes to appoint such Lecturers on regular basis; if not, the reasons therefor?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती भाांति देवी):

(क) जी नहीं।

(ख) प्र न नहीं उठता।

Cloth purchased by the Sonepat Consumer Store

***2314. Shri Devi Dass:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state the qunatity fo cloth purchased by the Sonepat Consumer Store during the period from Ist January, 1980 to 28th February, 1981 to gether with the criteria adopted by the purchasing agencies for the purchase of the same?

सहकारिता तथा योजना मंत्री(ठाकुर बीर सिंह): भंडार ने 3,19,243 मीटर नियंत्रित कपड़ा तथा 56,530 मीटर अनियंत्रित कपड़ा इस अवधि में खरीद किया।

आव यकता अनुसार इसकी खरीद करने के लये निम्न विधि अपनाई गई:–

(1) नियंत्रित कपड़ा एन0सी0सी0एफ0 द्वारा स्टोरों को सीधा सप्लाई किया जा रहा है।

(2) अनियंत्रित कपड़ा 'कनफड' से खरीद किया जो सीधे तौर पर मिलों से तथा एनःसीःसीःएः से भारी मात्रा में खरीद करती है।

Housing Board Colony at Ambala Cantt.

***232. Shrimati Sushma Swaraj:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state-

(a) the number of persons who have so far deposited the amount of earnest money for the allotment of houses in Housing Colony to be constructed by the Housing Board at Ambala Cantt.;

(b) the category-wise number fo persons who have so far applied for E.W.S., L.I.G. and M.I.G. houses, separately; and

(c) the time by which the work on the said Housing Colony is likely to be started and completed?

विकास मंत्री (राव दलीप सिंह):

(क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या 1,252 है।

(ख) आवेदन–पत्र देने वाले वर्गवार आवेदकों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

(ग) निर्माण कार्य को लगभग दो मास के अंदर–अंदर आरम्भ करने की सम्भावना है इसे भीघ्र–अति भीघ्र पूर्ण करने के लिये प्रयत्न किये जायेंगे।

Housing Colony for the Technical Employees

***2304. Shri Lehri Singh Mehra:** Will the Minister for Development and Panchayaats be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to build a Housing Colony for the technical employees of the Haryana Government Press at Panchkula; and

(b) if so, the number of houses proposed to be built together-with the time by which the said houses are likely to be constructed.

विकास मंत्री (राव दलीप सिंह):

(क) जी नहीं।

(ख) प्र न ही उत्पन्न नहीं होता।

Power Station at Sasrauli

***2311. Rao Ram Narain:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 33 KV Power Station at Sasrauli Village in Salhawas Constituency; and

(b) if so, the time by which it is likely to be set up?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह):

(क) इस समय, साल्हावास निर्वाचन क्षेत्र के ससरौली गांव में 33 के0 वी0 सब–स्टे ान बनाने का कोई प्रस्ताव बोर्ड के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्र न पैदा नहीं होता।

अतारांकित प्र न एवं उतर

Complaint against the Sarpanch or Ex-Sarpanch

474. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state-

(a) whether any complaint of corruption has so far been received by the Government against the present Sarpanch or Ex-Sarpanch of village Taloa, District Rohtak (Jhajjar Block); if so, a copy of the complaint be laid on the Table of the House;

(b) whether the said complaint has been enquired into either by the Panchayat Department or the Vigilance Department; if so, the result thereof;

(c) whether any F.I.R. has been lodged at Jhajjar Police Station regarding this case; if so, when and the stage at which the matter rests now?

Development Minister (Rao Dalip Singh):

(a) Yes, copies of complaints are laid on the Table of the House.

(b) Yes. The complaint against the Ex-Sarpanch was enquired into by the Vigilance Department and the complaint against present Sarpanch is being enquired into by the Panchayat Department. The case against Ex-Sarpanch was got registered with the Police Station Jhajjar as a result of the findings of the Vigilance Department. However, the enquiry against the present Sarpanch has not been completed so far

and action would be taken on the receipt of the report of the enquiry officer.

(c) Yes, F.I.R. No. 124 dated 10.7.79 was registered against the Ex-Sarpanch and the same was cancelled by the Policy on 8.11.79 after investigation, as the case had not been substantiated against him.

''सेवा में

पं0 श्रीराम भार्मा जी, चेयरमैन

विजिलैंस कमेटी, हरियाणा, चंडीगढ।

विशयः ि ाकायत गबन ग्राम पंचायत फंड तलाब।

श्रीमान जी,

हमारे गांव तलाब की पंचायत और सरपंच ने बहुत सा रूपया गबन किया हुआ है। बहुत ही बेकादगियां कर रखी है। निम्नलिखित रिकार्ड पंचायत देखा जाये और इन्कवायरी होने पर ये तहरीरी साबूत देने के लिये मैं तैयार हूं।

1 यह कि ग्राम पंचायत की चक्की जो साल 1965 से 1977 तक मुबलिग 5665 रूपये पट्टे पर दी गई है। जो पट्टेदारों से उक्त रकम वसूल कर ली गई परन्तुं वह किसी बैंक आदि में जमा नहीं करवाई गई जैसा कि चंद सिंह पुत्र कन्हैया लाल से दो साल में 4500 रूपये प्राप्त किया इस के पास रसीद कोई नहीं है।

2 यह कि भट्ठे से 52300 ईंटें आदि हुई जो मुबलिग 6500 रूपये की है गलियों में 1000 या 1500 से ज्यादा खर्चा नहीं हुआ बाकी सरपंच या मैम्बर के काम आई।

3 यह कि सारा ग्राम पंचायत ने साल 1970–71 व 71–72 में मुबलिग 4100 रूपये का निलाम किया है परन्तु बुक में मुबलिग 600 यपये जमा कराये है। 3000 भगवान दास रामता और 1100 रूपये द ा कुम्हार ने।

4 यह कि चौपाल का चंदा मुबलिग 10343 रूपये महंत राम दयाल ने जमा कर के वापिस सरपंच ने वापिस ले लिया और कुछ चौपाल की मुरम्मत में दिखा दिये जो रूपया बाकी बचा वह हजम कर गया सारा रूपया 12723 था।

5 यह कि सात साल पहले मुबलिग 325 रूपये निलामी पुत्ले श्री जुलाल चमार से हरिसिंह पंच ने वसूल कर लिए परन्तु उस की रसीद कोई नहीं दी गई ओर न ही पंचायत रिकार्ड में जमा किये गये।

6 यह कि 1971 में एक जोहड़ कमावांला के वृक्ष 56 रूपये में निलाम किये गये थे जो छत्र सिंह पुत्र श्री मं ाराम ने नकद कै ा दिये गये जिनकी रसीद नहीं दी गई जो मैंने 11 मार्च, 1971 से हरियाणा तिलक में भी यह खबर प्रकाि ात कराई थी।

7 यह कि हांडी वाला जोहड़ का पीपल मुबलिग 115 रूपये में निलाम कर भीखू खाती निवासी खेड़ी को दे दिया जा पंचायत हजम कर गई है।

8 यह कि सरपंच ने अपनी मर्जी से अवारा प ु रोकने का फाटक गिरा कर जो मलबा था उसको बेच कर हजम कर गया है।

9 यह कि रास्तों की पहचान के लिए जो पत्थर सरकार द्वारा दिये गये थे, वह सभी खुर्दबुर्द करके हजम कर गया है।

10 यह कि रामली जोहड़ की मछलियों 1500 रू0 की निलाम करके सभी रूपये को खा गया पंचायत जमा नहीं करवाती।

11 यह कि रैया माईनर का मुबलिग 18000 रूपये भामलात भूमि का मुआवजा था जिस का कोई इंदराज नहीं हुआ उक्त गबन की जांच पड़ताल जल्दी से जल्दी की जावे जो सबूत मुझ से जबानी व तहरीरी लिये जावे हम देने के लिये तैयार है जो जांच की जावे आप की अति कृपा होगी।

प्रार्थी

तारीफ सिंह आर्य पुत्र श्री भयाम चंद,

गांव तलाब, तहसील झज्जर

जिला सोनीपत।''

''तारीफ सिंह आर्य गांव पोस्ट आफिस तालाब

प्रैस रिपोर्टर 9.1.81

(रोहतक)

तिथि 3–1–1987

प्रधान, सदाचार समिति झज्जर

सेवा में,

उपायुक्त महोदय,

रोहतक।

विशयः– िकायत खिलाफ सरपंच ग्राम तालाब का 555/7.1.81

श्रीमान जी,

निवेदन है कि सरपंच के खिलाफ आपके पास िकायत भेज रहा हूं आप जल्दी गौर करें।

2 सरपंच ने अपने पंचायत के चुनाव में बाल्मिकी हरिजनों की कुई बनवाने का अपने पैसे से वायदा किया था अब पंचायत फंड से बनवाई है।

3 जो चक्की पंचायत की है उस को बंद रखता है अपने वोटरों लाला को खु ा करने के लिये।

4 पंचायत फंड के दो हरिजनों मैं पूले, जमीन की निलामी के कई वर्श से बकाया दिखा रहे है खुद सरपंच ने खा रखे है वसूल किये जावें। जुगलाल और हरद्वारी के दिखाये है। और बहुत बातें मौकें पर बतायेंगे।

नोटः– झज्जर ब्लाक का खंड विकास अधिकारी और पंचायत का सैक्रेटरी महा भाराबी है सरपंच से मिले हुए है। खंड विकास अधिकारी कहता है कि मैं सदाचारियों को ठीक करता हूं भ्रश्टाचारी को नहीं। आप तसदीक के लिये रोहतक से ही आदमी भेंजे। यहां हमारी बहुत दरखास्तें दबी हुई है।

प्रार्थी

हस्ताक्षर– तारीफ सिंह आर्य

ग्राम व डाकखाना तालाब,

तह0 झज्जर जिला रोहतक''

''तारीफ सिंह आर्य गांव पोस्ट आफिस तालाब,

प्रैस रिपोटर ओयम राम रोहतक

प्रधान सदाचार समिति झज्जर तिथि

सेवा में

सैकट्री विजिलैंस हरियाणा

राज्य, चंडीगढ़।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह है कि हम अपने ग्राम तालाब की ि ाकायत सरपंच के खिलाफ भेज रहे है जल्दी से जल्दी गौर करें।

1 सरपंच ने अपने सरपंचों के चुनाव में बाल्मिकी हरिजनों से उन की कुई बनवाने का वायदा अपने पैसे से खुद बनवाने का किया था परन्तु अब पंचायत फंड से बनवाई है।

2 अपने वोटरों को लाला को खुश करने के लिय पंचायत की चक्की बंद कर रखी है और हमने सरकार से कर्जा लेकर लगाई और लाला राये चंद्र को पंचायत की ईंटें दे दी थी चुबारा बनाया हुआ है और पहले पंचायत ने एक पीपल को मिलका भामलात देह का 115 रूपये का लाला व सरपंच हजम कर गये है।

3 दो हरिजनों में पंचायत के रूपये निलामी के 2200 और 2500 बकाया दिखा रखे है खुद खा लिये जुगलाल हरद्वारी

लाल है। उन्हें पूले जमीन भामलात निलामी में कई साल पहले की है। बाकी मौकें पर बतायेंगे।

नोटः– झज्जर का ब्लॉक का सैक्ट्री बहुत भाराबी है। वह सरपंचों से मिला हुआ है हमारी बहुत सी दरखास्तों को दबाये बैठा है आप किसी स्पै ाल से पूछताछ करायें।

प्राथी,

हम ग्राम निवासीयान तालाब

बजरियेः– तारीफ सिंह आर्य,

गांव व डाकखाना तालाब।''

''सेवा में

निदे ाक महोदय,

पंचायत विभाग हरियाणा,

चंडीगढ़।

विशयः– ि ाकायत सरपंच ग्राम पंचायत तालाब के सरपंच श्री राम कि ान के खिलाफ।

श्री मान जी,

सविनय निवेदन है कि जो गेहूं सरकार ने काम के बदले अनाज के रूप में दिया था वह गरीब हरिजनों और

बेविसवेदार को नहीं दिया अपने वोटरों और जमींदारों ओर अपने निजी खतो और घर का काम कराने वाले को दे दिया है।

2 जो गरीब आदमियों को सरकार की तरफ से दलिया दिया गया है। गरीब आदमियों को थोड़ा–थोड़ा देकर सब का सब खुद हजम कर गया।

3 5000 रूपये पंचायत फंड से पांच साल के लिये फिक्स डिपोजिट में जमा करा दिये जो कानून गलत है

4 यह कि सरपंच के बहुत गलतियां और बेईमानी कर रखी है मौका पर सब बताई जा सकती है।

5 यह कि उपरोक्त की जांच जल्दी से जल्दी कराई जावे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

हम ग्राम निवासीयन तालाब

हस्ताक्षरः– 3–1–81

तहसील झज्जर, जिला रोहतक

सेवा में भेजी गई प्रतियां

1 उपायुक्त महोदय रोहतक।

Complaint against a Gram Panchayat

475. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state-

(a) whether anyh complaint of corruption has been received against the Gram Panchayat of village Bakra, Block Samiti Beri, District Rohtak: if so, when; and

(b) whether any enquiry has been ordered/conducted into the said complaint; if so, the result thereof?

Development Minister(Rao Dalip Singh):

(a) Yes, on 10.10.1980.

(b) The enquiry into the complaint is being conducted by the Enquiry Officer (Vigilance)Rohtak and the report of the same is awaited.

Provincialization of Roads

483. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Public Works be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provincialize the roads so far constructed by the Panchayats, Panchayat Samitis, Zila Parishads and Market Committees in the State?

लोक निर्माण मंत्री(कंवर राम पाल सिंह): इस प्रस्ताव पर विचार कर सरकार ने यह असूलन फैसला किया है कि केवल पंचायत समितियों तथा जिला परिशदों द्वारा बनाई गई सड़कों का प्रांतीकरण कर दिया जाये।

T.A. drawn by various officers in Cultural Affairs Department

501. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Home be pleased to state the total amount of travelling expenses (T.A.) drawn by various officers in the Cultural Affairs Department on account of official tours during the year 1979-80 and 1980-81 (upto-date)?

गृह मंत्री(श्री कन्हैया लाल पोसवाल): हरियाणा सांस्कृतिक विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने वर्श 1979—80 तथा 1980—81 (आज तक) में निम्न विवरणनुसार यात्रा भत्ता (टी0ए0) को प्राप्त किया है।

वर्श	यात्रा भत्ता (टी0 ए0)	
	रूपए	पैसे
1979—80	631	25
1980—81	393	40

Fee-Concessions to the children belonging to Scheduled Castes and Backward Classes

489. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether it is fact that the children belonging to Scheduled Castes and Backward Classes studying in the

Schools in the State are entitled to fee-concession from the Primary stage onwards irrespective of income or whether income certificates are required to be given to avail of the fee-concessions and; if so, the authorities from whom the income certificates are to be obtained;

(b) whether arrangements have been made for the disbursement of scholarships/stipends regularly every month;

(c) the details of any other concessions which are being given to the members of Scheduled Castes and Backward Classes to promote education amongst them; and

(d) whether Government proposes to take special steps to propmote education amongst Scheduled Castes and Backward Classes; if so, the details thereof?

Education Minister(Chaudhri Des Raj):

(a) At School stage no tuition fee is charged from students belonging to Scheduled Castes. In non-Govt. recognised schools also no tuition fee is charged but it is claimed by such institutions from the Deptt. in the form of grant-in-aid.

However, Scheduled Castes children of gazetted officers or income tax payers are not eligible for any concession.

Backward Classes students whose parents/guardians income exceeds Rs. 4200/p.a. are not entitled to any fee concession. The Backward classes students whose parents income is below Rs. 4200/-p.a. are not charged any tuition fee in Govt. schools and in non-Govt. recognised

schools. But such fee is reimbursed to non-govt. schoosl in lieu of freeships.

Income affidavits from parents, duly attested by the Head of institution, Village Sarpanch, M.L.A., M.P., Municipal Commissioner, Tehsil Welfare Officer or any Gazetted Officer are obtained.

(b) No. This is not feasible since the stipends/scholarships in classes IX, X, XI are sanctioned by the respective S.D.E.O. on submission of vlaims by the Heads of Institutions alongwith income certificate, caste certificate, domicile certificate, and actual attendence of students, which takes time. However, this year S.D.E.Os. have been instructed to make advance payment of 50% of the total amount sanctioned to an institution during thepreceding year and balance on receipt of claims from the institution concerned. This will facilitate the payment of stipend money to students.

(c) (i) In addition, Scheduled Castes girls students on the basis of Middle standard examination are awarded 5 merit scholarships in each class 9th, 10th and 11th in each Distt. @20/-, 25/- and 30/- p.m. respectively.

(ii) The examination fee in respect of Middle/High/Higher Secondary examinations conducted by the Haryana Education Board is reimbursed to students belonging to Scheduled Castes and Backward Vlasses, if the total income of their parents/guardian does not exceed Rs. 4200 p.a. This fee is reimbursed once for a particular public examination.

(iii) The students of Scheduled Castes/Economically Backward Classes and all girl students of Primary Classes are

supplied free stationery articles @ Rs. 5 per student. A sum of Rs. 5.00 lakhs has been spent for this purpose during the year 1980-81. out of this sum 50% has been spent for giving incentives to Scheduled Castes students and the rest 50% on the students belonging to other categories.

(iv) The girl students of secondary classes whose parents income does not exceed Rs. 8000 p.a. are given free books and stationery articles @ Rs. 20 per student. Under this scheme a sum of Rs. 4.00 lakhs has been spent during the year 1980-81 and 20]000 girl students have been benefited

(v) There was a provision of Rs. 20.5 lakhs during the year 1980-81 for book banks for providing free text books to the students belonging to Scheduled Castes/Backward Classes and economically weaker sections.

(vi) The Social Welfare Department has also started two schemes for the supply of free books and stationery. First scheme is to provide books and stationery to the students of Primary classes belonging to Scheduled Castes at the rate of Rs. 5/- per student. A sum of Rs. 2.00 lakhs had been provided during the year 1980-81 for this purpose and 40,000 students were benefited. Second scheme is to provide books and stationery to the students in Middle Classes belonging to Scheduled Castes at the rate of Rs. 20 per students. A sum of Rs. 7.20 lakhs was providced for the year 1980-81 and 36,000 students were benefited.

(vii) Free uniforms are supplied to Harijan girls of Primary and Middle classes, at the rate of Rs. 30/- per

student per uniform and a sum of Rs. 11.87 lakhs has been distributed in the year 1980-81.

(viii) Attendance Scholarships (Prizes) are given to Harijan girls of Primary classes at the rate of Rs. 10/- p.m. and a sum of Rs. 48.00 lakhs has been distributed amongst 40,000 Harijan girl students in the year 1980-81

(ix) The students belonging to Scheduled Castes studying in IX, X and XI Classes are given special coaching in Maths, Science and English after school time. For this purpose 165 centres have been started. This coaching was given during the period from 1-11-80 to 15-2-81. A sum of Rs. 2.00 lakhs has been spent under this Scheme during the year 1980-81

(d) All the above schemes will remain in operation during the year 1981-82 also.

Under the special component plan the following two new Schemes for the welfare of Scheduled Castes students have been worked out this year and proposals sent for approval of the Government in the Social Welfare Departments:-

(i) Award of stipends at the rate of Rs. 10/-p.m. to Scheduled Caste students for studying in 6th, 7th and 8th Classes.

(ii) Award of Scholarships at the rate of Rs. 100/- p.m. each to Harijan students of 6th to 11th classes for residing in schools hostels.

Prevention of Floods in the State

490. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to prevent floods in the State; and

(b) if so, the details thereof and the amont involved for the implementation thereof?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(सरदार तारा सिंह):–

(क) जी हां।

(ख) 1977 के दौरान आने वाली भयंकर बाढ़ के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1977 में 138.3 करोड़ रूपये की मुख्य योजना तैयार और अनुमोदित की थी। योजना के महत्वपूर्ण संघटकों, में नये नालों का निर्माण करना, वर्तमान नालों की क्षमता बढ़ाना, बाढ़ रोक जला ायों/जल संग्रहण की व्यवस्था करना, गांवों के आस–पास बाढ़ रोकने के लिये निर्माण कार्य और रिंग बांधों का निर्माण करना भाामिल है। बाद में 1978 के दौरान यमुना और घग्गर क्षेत्र में आई हुई रिकार्ड तोड़ बाढ़ को देखते हुए इस योजना में उचित सं ाोधन किया गया और 1978 के मूल्य सूंचकांक के आधार पर सं ाोधित खर्च 172 करोड़ रूपये कर दिया गया।

Allotment of Residential Plots to the persons belonging to Scheduled Castes

491. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state-

(a) the district-wise names of the persons belonging to Scheduled Castes and landless persons who have been given physical possession of residential plots in the State during the current year (to-date); and

(b) whether there is any proposal under the consideration of the Government to provide plots to the Scheduled Castes, Backward Classes and landless persons in the State of Haryana if so, the details thereof?

***Interim Reply**

"Subject: Unstarred Assembly Question No. 491 asked by Chaudhri Ram Lal Wadhwa, M.L.A. regarding allotment of plots to the persons belonging to Scheduled Castes-

The Unstarred Assembly Question No. 491 appearing in the list of Unstarred Questions on the 28th March, 1981 in the name of Minister of State for Social Welfare is not ready. The requisite information is being collected from the Deputy Commissioners. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/-

Revenue Minister, Haryana.

To

The Secretary,

Haryana Vidhanb Sabha,

Chandigarh.

U.O. No. 744-Spl. Cell/2047.

Chandigarh, dated the 25.3.1981."

Provision of employment to Engineers and Overseers in the State

492. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) whether it is a fact that capacity of the State Government for providing Employment to the Engineers and Overseers is less than the number of students who finally pass the Engineering and Overseer's courses every year from the institutions in the State; and

(b) if the reply to the part (a) above is in the affirmative, the steps so far taken or proposed to be taken to absorb all the Engineers and Overseers referred to in part (a) above?

Excise and Taxation Minister(Chaudhri Mehar Singh Rathi):

(a) There is no serious problem for the employment of engineering graduates because an average of 200 engineers pass out from the Regional Engineering College, Kurukshetra every year and during the last three years i.e. 1978, 1979 and 1980, 529 engineering graduates were employed in the State

Government Departments/Corporations/Private Establishments.

There is some short fall in the availability of jobs for the diploma holders for the jobs of overseers etc. It is estimated that about 840 diploma holders pass out every year from the Government/Private Institutionss in our State and against that an average of 586 overseers have been absorbed during the last three years.

(b) (i) The Haryana Financial Corporation and Industries Department give financial assistance to the engineering degree/diploma holders for self-employment. Besides, the Haryana Small Industries Development Corporation allots industrial sheds/developed plots to them for setting up industrial units.

(ii) The engineering graduates and diploma holders who pass out from the institutions in Haryana not ony seek employment within the State but they seek employment outside the State as well.

Since the situation of unemployment among engineers and overseers is not alarming in our State, no special steps are required.

Tourist Resorts in the State

500. Swami Agnivesh: Will the Minister for Health be pleased to state the total amount of expenditure so far incurred on the construction of all the Tourist resorts under Haryana Tourism Department, separately, together with the annual expenditure incurred on their maintenance alongwith

net profit accured therefrom during the year, 1980-81 separately?

Interim Reply

D.O.No. 29/5/81/3PP

"Gajraj Nagar Minister for Health Department,

Haryana, Chandigarh.

Dated, 25th March, 1981.

Subject: Unstarred Assembly question No. 500 asked by Swami Agnivesh, M.L.A. regarding Tourist Resorts in the State.

Dear Shri Col. Sahib,

Kindly refer to the above mentioned Unstarred Assembly Question No. 500 asked by Swami Agnivesh, M.L.A. during the current session of the Vidhan Sabha. This question has been fixed for 28th March, 1981. The infomation asked for is not readily available. Ordinarily the figures regarding maintenance, profit & loss are compiled after the close of the year i.e. 31st March. Efforts are being made to collect the requisite figures at the ealiest, which will be made available after 31st March, 1981. In view of this, it will not be possible for the Government to answer this question on the 28th March, 1981. Government, therefore, be given atleast two weeks extension in time for answering this question.

With regards, Yours sincerely,

Sd/-

(Gajraj Ji Nagar)

Col. Ram Singh,

Speaker, Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत हाउस के सामने एक अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः किस विशय पर?

चौधरी उदय सिंह दलालः एक बहुत संगीन मामला है।

श्री अध्यक्षः कहिए।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, पूरे सै ान के दौरान हमारी सरकार और मंत्री चौधरी भोर सिंह जी दावा करते रहे कि सरप्लस जमीन 31 मार्च 1981 तक बांट देंगे। मैं आपके नोटिस में एक बात लाला चाहता हूं कि कालका हल्कें मैं एक सरदार भाम ोर सिंह जी है। उसके पास एक हजार एकड़ जमीन थी जिस पर हरिजन का त करते थे। उस जमीन को एक ऐक्स एम0एल0ए0 ने, जिसकी अपने दिनों में, उस समय के राज में पूरी ताकत थी, पट्टे पर ले लिया। वह एक हजार एकड़ जमीन है लेकिन यह सरकार दावा करती है कि सारी सरप्लस जमीन को 31 मार्च, 1981 तक तकसीम कर देंगे। इस महकमें के मंत्री भी

हरिजन है लेकिन वे सरदार भाम ोर सिंह के घर जाकर खाना खाते है। (विघ्न एवं भाोर)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप इस बारे में मुझे लिख कर दे दें।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह उस एक हजार एकड़ जमीन को ट्रांसफर करके उन हरिजनों में तकसीम करेगी जो उस पर का त कर रहे है?

श्री अध्यक्षः इसके बारे में आप मुझे लिख कर नोटिस दे दें। अब आप बैठिए।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मैं इसका उत्तर दे देता हूं क्योंकि यह बड़ा सीरियस मैटर है। चौधरी उदय सिंह दलाल जी ने जो प्वायंट रेज किया है, मैं उसके बारे में हाउस को आ वासन देना चाहता हूं कि मैं इसकी पूरी जांच करवाउंगा और इसमें हमें जिस किसी का का कसूर मिलेगा, चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, उसको माफ नहीं किया जाएगा और जो सरप्लस जमीन निकलेगी उसे लोगों में बांटा जाएगा।

राजस्व मंत्री(चौधरी भोर सिंह): स्पीकर साहब, अभी चौधरी उदय सिंह दलाल जी ने बोलतें हुए कहा कि कालका हल्के में कोई सरदार भाम ोर सिंह है। उसके पास एक हजार एकड़

जमीन है जो सरप्लस में नहीं बांटी गई। यह भायद भरैली गांव की बात कर रहे है। (विघ्न) इन्होंने यह भी कहा कि मैं उनके घर खाना खाता हूं.....। (विघ्न)

चौधरी उदय सिंह दलालः मुझे जो बताया गया उसके आधार पर मैंने कहा है। (ोर)

श्री अध्यक्षः किसी मैम्बर को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि उसने तो वह कहा है जो चलती फिरती चिड़िया से उसे बताया था। यहां पर जो बात कही जाए वह बड़ी जिम्मेदारी से कही जानी चाहिए।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, जो जमीन का त करते थे उनका एक डैपुटे ान आया था और उन्होंने मुझे यह बात बताई थी। उन्होंने मुझे यह भी बताया था कि उनको लूट लिया गया है।

श्री अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी ने इसका जवाब दे दिया है और हाउस को अ योरैंस भी दे दी है। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन किसी मंत्री के विरूद्ध ऐसा इल्जाम लगाना और उसके बाद यह कहना कि मुझे तो किसी चलते फिरते आदमी ने कह दिया था, यह बात ठीक नहीं है।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब.....

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाईए। उस आदमी के घर रोटी खाने वाली बात का जवाब यदि मंत्री जी देना चाहते हो तो दे दें।

चौधरी भोर सिंहः सर, इस सवाल के दो पार्ट है। एक सवाल तो यह है कि कोई बड़ा जमींदार है, उसके घर मैं खाना खाता हूं। इस बारे में मेरी अर्ज यह है कि मैंने तो उस आदमी की भाक्ल तक नहीं देखी है और न ही मैं उसे जानता हूं। भाायद यहां वह रहता भी नहीं है। स्पीकर साहब, उस जमीन के 6–7 हिस्सेदार है। कोट्र में यह मामला गया हुआ है। यह जमीनप काफी साल से पट्टे पर है। इसके बारे में पूरी कानूनी कार्यवाही की जार रही है। मैं हाउस को अ योर करता हूं कि जो कानून है उसके मुताबिक इस जमीन को एक्वायर किया जाएगा और उसके बाद तुरन्त बांट दिया जाएगा। (विघ्न) यह बात सरासर गलत है कि मैं उसके घर खाना खाता हूं। मैंने उसे देखा भी नहीं है। दलाल साहब ने, जो कुछ इन्हें बताया गया होगा उससे एक प्वायंट फालतू बात की है।

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री(श्री लछमन सिंह): स्पीकर साहब, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि यह मेरे हल्के का सवाल है। इसमें कोई भाक नहीं कि एक हजार एकड़ जमीन बड़े लम्बे अर्से के लिये पट्टे पर है। (विघ्न) इसे हरिजन और गरीब जमींदार का त करते थे। यह ठीक है कि एक आदमी ने ताकत का इस्तेमाल करके इस जमीन को लेना चाहा लेकिन वह नहीं ले सका। यह आज का केस नहीं बल्कि दस साल पुराना केस है।

कानून यह है कि जिसके पास पट्टे पर भी सरप्लस जमीन है, उसको भी डिक्लेरे ान देना पड़ता है अगर वह डिक्लेरे ान नहीं देता तो उसके विरूद्ध क्रिमिनल केस बनता है। (विघ्न)

Mr. Speaker: Anyway, since the Chief Minister has given an assurance, the matter is closed now.

डा0 मंल सैनः स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आप किस विशय पर बोलना चाहते है?

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने अपने एक सवाल के बारे में हाफ एन आवर डिस्क ान मांगी थी। मैंने आपकी सेवा में एक स्टार्ड क्वै चन दिया था लेकिन उसे अनस्टार्ड बना दिया गया। उसका नं0 472 है। जवाब भी बड़ा अजीब सा है। लिखा है कि उसके ऊपर सोच रहे है।

श्री अध्यक्षः आपका हाफ एन आवर डिस्क ान का नोटिस मेरे पास अभी आया है मैं एग्जामिन करके इस पर फैसला करूंगा।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, इसमें बड़ा घपला है।

(इस समय श्री हीरा नंद आर्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्षः आर्य जी, आप किस विशय पर बोलना चाहते है?

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विशय पर बोलना चाहता हूं। पब्लिक सर्विस कमी ान एक महत्वपूर्ण इंस्टीच्यु ान है क्योंकि वह सरकार के एडमिनिस्ट्रे ान को चलाने वाले हाई आफिसर्ज की सिलैक ान करता है। उस सिलैक ान के बारे में मैम्बर, पब्लिक सर्विस कमी ान का एक आर्टिकल इस पत्र में छपा है। इस पत्र का हवाला देते हुए मैं हाउस का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार के दखल से पब्लिक सर्विस कमी ान की आटोनोमी खतरे में है।

Mr. Speaker: You kindly give me your notice in writing.

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्षः आप अखबार के बारे में बात कर रहे है। You kindly give me your notice in writing, I will examine it.

वित मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): स्पीकर साहब, पब्लिक सर्विस कमी ान के बारे में जो कुछ कहा गया है, उसे एक्सपंज करा दिया जाए।

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, इसमें एक आर्टिकल है।

श्री अध्यक्ष: क्या आर्टिकल से आपका मतलब ऐडिटोरियल से है?

Shri Hira Nand Arya: Sir, it is an article by a member of the Public Service Commission, himself.

Mr. Speaker: May be. You kindly give me your notice in writing, I will then examine it otherwise I will not allow you to say anything about the Public Service Commission.

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, पब्लिक सर्विस कमी ान के मुतल्लिक बात रिकार्ड नहीं की जानी चाहिएं।

चौधरी हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, आज आखिरी सीटिंग है और यह विकलांग वर्श भी है। परसों चौधरी गंगा राम जी को एक प्रस्ताव द्वारा बाकी के सै ान के लिये सस्पैंड कर दिया गया था। मैं आपके द्वारा लीडर आफ दि हाउस से प्रार्थना करता हूं कि आखिरी सीटिंग और विकलांग वर्श को ध्यान में रखते हुए उन्हें आज की बैठक में भाग लेने के लिये बुला लिया जाए।

चौधरी खुर ीद अहमद: अध्यक्ष महोदय, इस बात पर बहस हुई थी और हमारे अपोजी ान के लीडर ने तथा चौधरी उदय सिंह दलाल जी ने भी इस बात को मान लिया था कि उनके जाने से हाउस में भांति रैस्टोर हो गई है। (विघ्न)

चौधरी उदय सिंह दलालः आप मुझे बीच में क्यों घसीट रहे है?

चौधरी खुर ीद अहमदः स्पीकर साहब, जिस दिन से वे बाहर गए है उस दिन से हाउस में भांति हो गई है। मैं उस भांति के नाम से हाउस से अपील करूंगा कि हाउस में भांति ही रहने दें। अगर हाउस को अ ांति में तबदील करना है तब तो ऐसी मो ान लाई जा सकती है लेकिन मैं चाहूंगा कि हाउस के काम को भांति से चलने दिया जाए।

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, यह आर्टिकल मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आप मेरे चैम्बर में दे दें। मैं इस एग्जामिन कर लूंगा। मेरी परमि ान के बिना हाउस की टेबल पर कुद नहीं रखा जा सकता।

श्री हीरा नंद आर्यः स्पकीर साहब, मैं तो आपकी परमि ान से रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः मुझे जिस चीज का पता ही न हो कि इसमें क्या लिखा है और आप उसे यहां हाउस में प्लेस कर रहे है। मैं वैसे ही कैसे कह दूंगा कि आप इसे हाउस की टेबल पर रख दें।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मैंने एक काल–अटैं ान मो ान आपकी सेवा में दी थी।

श्री अध्यक्षः किस बारे में थी?

चौधरी संत कंवरः व्हीट की स्पोर्ट प्राइस के बारे में थी।

श्री अध्यक्षः यह सैंट्रल गवर्नमैंट का सब्जैक्ट है। मैंने काल अटैं ान मो ान को स्टडी किया है। आपने कहा है कि सैंट्रल गवर्नमैंट को 150 रूपये रिकमैंड करना चाहिए था। हरियाणा गर्वनमैंट तो आपकी काल–अटैं ान मो ान आने से पहले ही 150 रूपये रिकमैंड करके भेज चुकी है। (व्यवधान एवं भाोर)

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, बे ाक मंग लिया हो। जिस तरीके से सैंट्रल गवर्नमैंट ने गन्ने का भाव पहले 13 रूपये किया था लेनि बाद में स्टेट ने 23 रूपये किया और अब 26 रूपये कर दिया है। इसी तरीके से गेहूं का भाव 130 रूपये से 150 रूपये भी कर दें। आपने यह कहा कि यह मामला असैम्बली में डिसकस नहीं हो सकता लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि गन्ने का भी डिस्कस नहीं हो सकता था। मध्य प्रदे ा की असैम्बली में डिस्कस हुआ है। उन्होंने गेहूं का भाव दस रूपये बढ़ा दिया है।

श्री अध्यक्षः आप मेरे चैम्बर में आयें, वहां पर डिस्कस करूंगा।

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): गन्ने और गेहूं में बड़ा अंतर है। गेहूं की स्पोर्ट प्राइस है। नीचे का भाव तय किया है।

आप जानते है कि गन्ना दूसरी स्टेट में नहीं जा सकता लेकिन गेहूं हिंदुस्तान में कहीं भी व्यापारी या किसान ले जा सकते है। उस पर कोई पाबंदी नहीं है। हरियाणा सरकार ने इसका भाव 150 रूपये रिकमैंड किया था। मैंने मीटिंग में इस बात पर पुरजोर कहा था कि 150 रूपये भाव होना चाहिए लेकिन हम मजबूर है। भारत सरकार भी मजबूर होती है। उसे सारे मुल्क को देखना पड़ता है। खाने वालों का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार ने जो भाव नि चत किया है, वह बहुत सोच–समझ कर किया है। हम उसका स्वागत करते है।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनें (ोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंने आपकी काल–अटैं ान मो ान रिजैक्ट कर दी है। अगर आपने उसके रिव्यू के लिए कहना है तो आप मुझे मेरे चैम्बर में मिल लेना, मैं री–कंसीडर कर लूंगा।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने सैंट्रल गवर्नमैंट का जिक करते हुए कहा कि हम गेहूं का भाव बढ़ा नहीं सकते। इन्होंने यह भी कहा कि गेंहूं बाहर जाता है लेकिन गनना बाहर नहीं जाता। मध्य प्रदे ा की सरकार जब दस रूपये बढ़ा रही है तो ये क्यों नहीं बढ़ा सकते?

श्री अध्यक्षः मध्यप्रदे ा की गवर्नमैंट क्या करती है उससे इस हाउस का कोई संबंध नहीं है। आप मेरे से मिल लेना मैं री–कंसीडर कर लूंगा।

चौधरी संत कंवरः ये कहते है कि हम किसानों का ख्याल रखते है। (ाोर एवं विघन)

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। श्री जय नारायण वर्मा जी आप क्या कहना चाहते है? (ाोर)

चौधरी संत कंवरः हम गेहूं पैदा करते है–(ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप अपनी पार्टी के मैम्बर को भी बोलने नहीं देते। (ाोर) संत कंवर जी या तो आप बैठ जायें वरना मैं आपको नेम कर दूंगा।

श्री जय नारायण वर्माः स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हरियाणा के गरीबों की जनरल डिफिकल्टी के बारे में कहना चाहता हूं। मैं कोई सरकार की पोजि ान इम्ब्रैस करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। यह बड़ा जरूरी मसला है। इस बारे मे सरकार को गौर करना चाहिए। सरकार की तरफ से गरीबों को या जिन के पास जमीन नहीं है, उनको सरप्लस जमीन अलाट की जाती है और सरकार ने यह भी कहा है कि 31 मार्च तक सारी सरप्लस जमीन अलाट कर देंगे। जिन लोगों को सरप्लस जमीन दी जाएगी वे बहुत गरीब होते है। जमीन मालिक अपनी मर्जी से

अपनी जमीन में से कहीं भी दे देता हैं कई बार तो खेत के बीच की जमीन दे देता है, उसके लिए आने जाने का कोई रास्ता नहीं होता। जिसके कारण उसको वह जमीन न अलाट हुई के बराबर है। उसके लिए वह जमीन बेकार होती है। जिसकी जमीन अलाट होती है, उसको उससे कोइ हमदर्दी नहीं होती। वह तगड़ा आदमी होता है। वह गरीब उसके साथ लड़ भी नहीं सकता। अभी पिछले साल.....(ोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः वर्मा साहब, मैं आपकी बात को मानता हूं और आपका प्वायंट बहुत अच्छा है।

श्री जय नारायण वर्माः खेतों के बीच में से रास्ता मिलना बहुत जरूरी है। पिछले साल महर गांव में एक जमींदार का इसी तरह से गन्ना सड़ गया। वह चौधरी भजन लाल जी से मिला। इन्होंने उसकी मदद की। पुलिस को भेज कर उसका गन्ना खेत में निकलवा दिया। पिछले साल तो गन्ना निकल गया लेकिन अब फिर वह पुलिस की मदद के लिए भटक रहा है लेकिन उसको कोई साथ नहीं दे रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को रास्तें दिये जाने चाहिएं।

चौधरी भजन लालः वर्मा जी ने बड़ा वैलिड प्वायंट उठाया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सरप्लस जमीन अलाट की जाती है उसके लिए रास्ता नहीं मिलता। अगर किसी किसान की 20 एकड़ जमीन में से चार एकड़ सरप्लस में आ गई

तो वह उस बीस एकड़ में से कहीं भी जमीन दे देता है और जिसको जमीन अलाट होती है उसको गुजरने के लिए रास्त नहीं देता। उसके लिए हम नीति बनाने जा रहे है। जहां पर सरप्लस जमीन अलाट होगी वहां पर उसके लिए रास्ते का भी प्रावधान जरूर करके देंगे।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हू (ोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किस विशय पर चाहते है?

डा0 मंगल सैनः मैंने दो प्रिविलेज मो ंज आपकी सेवा में दी थी। एक तो एक लड़की ने मुझे टेलीफोन पर थ्रेट किया था। (ोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः आपकी प्रिविलेज मो ंज आयी हुई है। आप जानते है कि मैं पिछले दो–तीन दिन से असैम्बली के काम में कितना व्यस्त था। मैंने उन पर कार्यवाही भ ुरू कर रखी है। जब मैं अपना निर्णय लूंगा I will inform you.

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने आज एक और काल–अटैं ान मो ान दी थी। डबवाली में एक गरीब आदमी का लड़का उठा लिया गया और लड़के की फिरौती के सवा सात लाख रूपये मांग रहे है।

श्री अध्यक्षः आपकी काल–अटैं ान मो ान मुझे सवा दस बजे मिली है।

चौधरी भजन लालः सदन को यह जानकर खु ी होगी कि जिस लड़के को उठाया गया था वह लड़का उठाया नहीं गया था बल्कि अपनी मर्जी से नौकर के साथ चला गया था। अब वह लड़का वापिस घर आ गया है।

Mr. Speaker: All right. No more discussion on this subject.

चौधरी संत कंवरः मेरे को आपने अ योरैंस दी है कि आप मेरे काल अटैं ान मो ान को री–ऐग्जामिन कर लेंगे। अगर आप मंजूर कर लेते है तो भी कोई लाभ नहीं क्योंकि आज हाउस साइने–डाई एडजर्न होने जा रहा है। उसका जवबा तो मुझे मिलेगा नहीं।

श्री अध्यक्षः आप सुझाव दे दें। जैसा आप सुझाव देंगे, मान लूंगा। (ोर)

चौधरी संत कंवरः मैं वाक–आउट करता हूं।

(इस समय चौधरी संत कंवर सदन से वाक–आउट कर गये।)

चौधरी जय नारायणः अध्यक्ष महोदय एक गावं में.....
.....

Mr. Speaker: Nothing will be recorded whatever is being said without the permission of the Chair.

चौधरी जय नारायणः यदि सरकार.....

.....

Mr. Speaker: Nothing will be recorded.

चौधरी उदय सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय.....

.....

Mr. Speaker: Nothing will be recorded.

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है.....

श्री अध्यक्षः यह सब रिकार्ड न किया जाये। (ोर)

हरियाणा में कृशि मजदूरों, फैक्टरी मजदूरों तथा ईंटों के भट्ठा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी संबंधी।

श्री अध्यक्षः मुझे स्वामी अग्निवे ा, एम0एल0ए0 की ओर से ऐग्रीकल्चर, फैक्टरी और किलन लेबरर्ज के मिनिमम वेजिज बढ़ाने के बारे में एक काल अटैं ान मो ान का नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं इसे मंजूर करता हूं। स्वामी अग्निवे ा जी अपना नोटिस पढ़ दें। उसके बाद मंत्री जी अगर जवाब देना चाहे तो दे दें और अगर टाईम चाहे तो टाईम के लिए रिक्वैस्ट कर लें।

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्याव यक लोक महत्व के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं कि बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी 16 रूपए दैनिक से कम नहीं होनी चाहिए, परन्तु हरियाणा के तमाम खेतीहर मजदूरों, फैक्टरी मजदूरों तथा भट्ठा मजदूरों को आठ रूपए दैनिक भी नहीं मिल रहा है।

सरकार के रम विभाग की लापरवाही के कारण ईट भटठा उद्योग में 10,000 से अधिक बंधुआ मजदूर का कर रहे है जो मध्यप्रदे ा के छत्तीसगढ़ के, राजस्थान तथा उत्तर प्रदे ा के गरीब आदिवासी या हरिजन है। आजादी के 32 साल के बाद भी उन्हें जिस तरह अमानवीय व्यवहार का ि ाकार बनाया जा रहा है यह हम सबके लिए भार्म की बात है।

फरीदाबाद, बहादुरगढ़, सोनीपत, यमुनानगर, जगाधरी तथा हिसार आदि औद्योगिक केंद्रों में न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं है और सरकार श्रमिकों तथा श्रमिक संगठनों को न्याय देने के योग्य नहीं है। जबकि फसल की कीमत बढ़ रही है और जमीन मालिकों को बाढ़ तथा ओलावृश्टि आदि से फसल की हुर्ठ हानि का मुआवजा मिल रहा है, खेतीहर मजदूरों की मजदूरी वहीं खड़ी है और बेरोजगारी में पिस रहे लाखों मजदूरों को कोई मुआवजर नहीं मिल रहा है। हरियाणा की पत्थर खानों, सड़कों तथा नहरों के निर्माण कार्यों में रत मजदूरों की हालत भी दयनीय है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव मैंने आपके सामने लोक महत्व का रखा है, मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री जी इस का निि चत रूप से जवाब दे दें। आज सारे हरियाणा के अंदर गरीब भाई जो काम कर रहे हैं वे बहुत दुखी है। आपने भी स्वयं महसूस किया होगा कि खानों के अंदर वायुप्रदुशण में वे किस तरह से काम करते है। मैं यह भी चाहता हूं कि इंटर स्टेट माइग्रे ान लेबरर एक्ट जो केंद्रीय सरकार ने लागू किया है वह एक्ट हरियाणा सरकार भी लागू करे। में ज्यादा न कहते हुए यही कहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है इसलिए मेरी आदरणीय मेहर सिंह राठी जी से प्रार्थना है कि वे इस संबंध में अपना वक्तव्य स्पश्ट करे ताकि हरियाणा के मजदूरों का भला हो सकें।

श्री अध्यक्षः अब मंत्री महोदय अपना जवाब दे दें।

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय,इसका जवाब आज हाए से पहले दे दिया जायेगा।

स्वास्थ्य तथा पर्यटन मंत्री द्वारा मेडिकल कालेज, रोहतक में गरीब मरीजों की दयनीय स्थिति संबंधी

चौधरी संत कंवरः अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, हैल्थ मिनिस्टर ने चौधरी संत कंवर एम0एल0ए0 की काल अटैं ान मो ान के संबंध में जो

रोहतक मैडिकल कालिज के बारे में है, आज अपनी स्टेटमैंट देने के लिए कहा था। अब कृपया वे अपनी स्टेटमेंट दे दें।

Health and Tourism Minsiter(Chaudhri Gajraj Bahadur Nagar): Mr. Speaker, Sir, the medical College Hospital, Rohtak has a beds strength of 1074. In 1979, it had 30,642 indoor patients and 3,55,881 out-door patients. In 1980, the number of indoor patients increase to 32,150 and outdoor patients to 3,80,056. The expenditure on purchase of medicines and surgical goods in 1979-80 was slightly more than RS. 56 lacs. This rose to about Rs. 57 lacs in 1980-81 (till Feb., 1981). Therefore, in the current year, the expenditure on medicines is keeping pace with the number of patients being treated in the Medical College Hospital. This gives an average of about Rs. 14/- per patient treated in the Medical College. Compared to this, the per patient expenditure in other hospitals of the State is only RS. 1.80 paise. It will thus, be observed that per patient expenditure on medicine in Medical College, Rohtak is much higher than in the case of other hospitals in the State. In addition, I/V glucose saline and other specialized fluids worth rS. 6 lacs are prepared in the hospital itself and provided to the indoor poor patients free of cost. This comes to about Rupees 20/- per indoor patient. Steps are being taken to increase the production of these fluids to meet the increased demands of the patients.

It is not possible to supply all the medicines to the patients coming to the hospital because of financial constraint. Medical College Hospital, Rohtak has, therefore, prepared a list of drugs which are generally thought necessary

to be supplied to patients after consulting a list of such drugs prepared by other big and important hospitals like P.G.I., Chandigarh and All India Institute of Medical Sciences in New Delhi. Because of rise in prices, the problem has become more acute but whatever is possible, where financial resources available, is being done. For more costly medicines in the case of poor patients, some assistance is provided by Charitable Societies like Red Cross Soceity and Hospital Welfare Society etc.

It is wrong to say that poor patients in the Medical College, Hospital, Rohtak are not looked after properly by the doctors because they have been allowed to examine private patients and charge fee from them. In this hospital, 210 doctors are not doing any private practice and are being paid N.P.A. Only 18 doctors are such who have opted for private practice on the pay clinic pattern. Therefore, overwhelmingly large number of doctors are not doing private practice.

Government has stopped private practice in the General Hospitals of the State. However, the matter regarding the introduction of a ban on private practice in the Medical College Hospital, Rohtak is under consideration of the Government. Medical College, Rohtak was taken over recently by the State Government and they were till then governed by the rules and regulations of the University. It is being examined whether the new set of rules for common application can be introduced for doctors of Medical College, Rohtak as some of them were Government employees orginally and were governed by the Government regulations while others by the University.

There has been nocomplaint from the public that they have not been attended properly by the doctors in hospital wards. Effective steps have also been taken to see that no dedicines from this hospital are stolen and sold in the bazar to deprive the patients of this facility. The strips of tablets are stamped and cartons are destroyed so that the medicines are not sold in the open market. No body including the staff of the institution administrative control is also exercised on the dispensaries issuing the medicines. It is supervised by the Deputy Medical Superintendent of the Hospital who directly reports to the Medical Superinetendent. Security Officers have also been provided and given powers to detect any pilferage of medicines and other articles of the hospitals. In the years 1979 and 1980, there has been no case of theft or resale of medicines in the hospital. 3 cases were detected in 1978 and services of 4 employees of the hospital were terminated in the three cases.

It will thus, be observed that the provision for medicines in the Medical College Hospital, Rohtak is at a scale much higher than General Hospitals, there has been an effective check on supply of medicines and there has been no case of theft and resale of medicines in the market in the last 2 years. A review of the system of pay clinic hospitals is being undertaken by the Government. There is no cause for any alarm in this regard. The charge of corruption or mis-management under these conditions can only demoralise the staff and curb their enthusiasm in giving of their best. There is no need of appointment of any committee to examine teh matter. On the other hand the staff of the Medical College,

Rohtak, deserves congratulation for the service rendered by them to the people of the State.

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने अपने स्टेटमैंट में बताया **(11.00 बजे)** है कि मैडिकल कालिज के केवल अठारह डाक्टर्ज प्राईवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ये जो अठारह डाक्टर्ज है ये बड़े डाक्टर्ज है ओर इनमें से बहुत सारे हैड आफ दि डिपार्टमैंट है और उनके साथ डी0एम0एस0 है जो दवाइयों का इंचार्ज है वह बहुत ही छोटा डाक्टर है। वह उन बड़े डाक्टर्ज के प्रभाव में रहता है (व्यवधान) यह कमी केवल आपकी सरकार में ही नहीं है। जब जनता सरकार थी उस वक्त भी यह कमी थी। स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि जेा अठारह डाक्टर्ज है जिनको प्राईवेट प्रैक्टिस की इजाजत दी हुई है उनका मैडिकल कालिज पर पूरा होल्ड है क्योंकि वे हैउ आफ दि डिपार्टमैंट है। जो डाक्टर दवाइयों का इंचार्ज है, उस डाक्टर को अगर एम0डी0 की ि ाक्षा लेनी होगी तो वह उन अठारह डाक्टर्ज से ही लेगा और इसलिए वह पूरे तरीके से उन अठारह डाक्टर्ज के प्रभाव में रहेगा और वे अठारह डाक्टर्ज इस चीज का फायदा उठाएंगे। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि वहां दवाइयां बिकती है और मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि बगैर डी0 एम0 एस0 की इजाजत के तमाम बड़े डाक्टर्ज दवाइयां स्टोर से निकलवाते है और बहुत सारी दवाइयों का मिसयूज होता है। अगर सरकार जन प्रतिनिधियों की कमेटी नहीं बनाना चाहती तो कांग्रेस के लोगों

की कमेटी बना दे या डिपार्टमैंट के दो बड़े अफसरों की कमेटी बना दे और उस कमेटी को पंद्रह दिन या महीने भर के लिए वहां भेजा जाए। वह कमेटी वहां जाकर सब बातों की जांच करे। स्पीकर साहब हम उस कमेटी को पूरा सबूत देंगे।

श्री अध्यक्षः आज तो आप बड़े अच्छे सुझाव दे रहे है, क्या बात है?(हंसी)

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, मैं पहले दवाइयों की बात बता रहा हूं। अब मैं प्राईवेट प्रैक्टिस के बारे में सदन को बताना चाहता हूं। ऐसा है कि जो प्राईवेट प्रैक्टिस करते है उनको एक तो एन0 पी0 ए0 नहीं मिलता। इसके अलावा प्राईवेट प्रैक्टिस से जो आमदनी होती है उसमें से पचास परसैंट उनको मिलता है, चालीस परसैंट गवर्नमैंट के खजाने में जाता है औरदस परसैंट स्टाफ के लिए रखा जाता है। जहां तक दवाइयां देने का सवाल है, स्पीकर साहब, सब के साथ यकसां ट्रीटमैंट होता है और गयरीब को पहले दवाई दी जाती है। जिन मरीजों को डाक्टर्ज प्राईवेट तौर पर देखते है उनको अस्पताल में कोई स्पे ाल ट्रीटमैंट नहीं दिया जाता बल्कि आम मरीज जैसा ही ट्रीटमैंट दिया जाता है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजनलाल): स्पीकर साहब, चौधरी संत कंवर ने प्वायंट रेज किया कि रोहतक के मैडीकल कालिज में अठारह डाक्टर्ज प्राईवेट प्रैक्टिस करते है। स्पीकर साहब, हरियाणा

में सरकारी अस्पताल है वहां पर कहीं भी प्राईवेट प्रैक्टिस डाक्टर्ज नहीं करते है। आपको पता ही है कि मैडीकल कालिज रोहतक पहले सरकार के अंडर नहीं था और अब सरकार ने इसको अपने अंडर ले लिया है। हम प्राईवेट प्रैक्टिस को बंद करने के बारे में विचार कर रहे है और जल्दी ही इस बारे में फैसला ले लेंगे कि मैडीकल कालिज का कोई डाक्टर प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करें।

डा0 बृज मोहन गुप्ताः स्पीकर साहब मैं आपके द्वारा सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं। यहां पर डाक्टर्ज की प्राईवेट प्रैक्टिस करने की बात हो रही है। मैं तो यह कहूंगा कि अगर आप उनको एम0 पी0 ए0 भी दे देंगे तो भी वह प्रेक्टिस बंद नहीं होगी, यह तजुर्बे की बात है। मेरा यह सुझाव है कि आप एन0पी0ए0 खोल दीजियेगा।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, आप अपना यह सुझाव सरकार को लिखकर भेज दें।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अतांराकित प्र न था, उसका मुझे जवाब नहीं मिला है।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, इस वक्त मेरे ध्यान में नहीं है कि आपका कौन सा प्र न है?

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, उसका नम्बर 500 है।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, हो सकता है कि सरकार ने उस प्र न पर दो चार दिनों की ऐक्सटैं ान मांगी हो। आप इसके लिये मेरे चैम्बर में आइयेगा। मैं आपको चैक करक बता दूंगा।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, उसका जवाब तो हमें, जो सदन के पटल पर रखा जाता है, वह भी नहीं मिला।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, मैंने आपको कहा है कि हो सकता है कि सरकार ने उस पर दो चार दिनों की एक्सटैं ान मांगी होगी। आप मेरे चैम्बर में आइये। मैं रिकार्ड से चैक करके आपको बता दूंगा।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

वित मंत्री(चौधरी खुर ीद अहमद): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि आज के लिये नि चत की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनि चत काल तक नियम 'सभा की बैठकों' के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि आज के लिये नि चत की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनि चत काल तक नियम सभा की बैठकों के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि आज के लिये निि चत की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिि चत काल तक नियम 'सभा' की बैठकों के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Mr. Speaker: Gentlemen, the Assembly will have continuous sitting till the end of the business. According to my estimate it should last upto 2 p.m. but due to some unforeseen interruptions, it may go up to 2.30 p.m. at the most.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

वित मंत्री(चौधरी खुरशीद अहमद): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि सभा आज की बैठक से उठने पर अनिि चत काल के लिये स्थगित रहेगी।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, सदन में भी और सदन के बाहर भी एक बात होती रही हैं और आप पहले भी और अब भी इस बात के हामी रहे है कि लेजिसलेटिव बिजनैस जो है, उसको र ा थ्रू न किया जाए, उसकी हर क्लाज पर, उसके हर पहलू पर पूरी तरह से हर माननीय मेम्बर को बोलने का पूरा पूरा मौका दिया जाना चाहिये। इसलियें मैं आपसे गुजारि ा करूंगा

कि चुकि आज इंडेफिनिट समय तक बैठक चलने का प्रस्ताव आया है, इसलिए आप सभी मेम्बरों को खुल कर अपने विचार प्रकट करने का मौका दें। यह मेरी सबमि ान है।

Dr. Mangal Sein: It means that he is opposing the motion.

Chaudhri Khurshid Ahmed: He is giving a very sensible suggestion and we welcome it.

Dr. Mangal Sein: It means that the proposal of the Hon. Minsiter was not sensible.

चौधरी खुर ीद अहमदः अध्यक्ष महोदय हम तो इनको बोलने का पूरा पूरा मौका देंगे ताकि ये भाग न जाए। पूरी तरह से डिसक ान करें। हमने खाने वगैरह का भी बंदोबस्त कर दिया है। इसलिये जितनी देर तक मेम्बर साहेबान बोलना चाहें बोल सकते है।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने जो सुझाव दिया है, वह बहुत अच्छा है। मेरी हमे ाा यह कोि ा ा रही है कि हरेक मैम्बर को, जो तकरीबन दो–दो अढ़ाई–अढ़ाई लाख की पापुले ान को रिप्रजैंट करते है कम से कम बजट से ान के टाईम पर तो अपनी कांस्टीचुऐंसी की बातें कहने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिये। इसके लिये जब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, उससे पहले मैं समझता हूं कि सभी वेरीअस पार्टीज की मीटिंग होनी चाहिये।

That is the proper forum to discuss these matters before the meeting of the Business Advisory Committe क्योंकि जो बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें फौरन डिसिजन हो जाता है। (ोर एवं व्यवधान)

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब यह तो वह बात हो गई कि पंचायत का फैसला सिर माथे पर लेकिन परनाला वहीं का वहीं रहेगा। (ोर एवं व्यवधान) कहने को तो बोलने के लिये समय सभी मेम्बरों को मिलेगा लेकिन सिटिंग का समय नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर सभी मेम्बर्ज को सच्चे दिल से आप बुलवाना चाहते है तो समय बढ़ा दिया जाए।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, मैंने सारी बातें, जो यहां पर कही जा रही है, ध्यान से सुनी है और मैंने यह वर्क आउट किया था कि हाउस दो बजे तक चलना था। फिर मैंने काम को देखते हुए 2.30 बजे तक कर दिया। मुझे तो इस में कोई एतराज नहीं है। मैं तो रात के 10 बजे तक बैठने के लिए तैयार हूं।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, अगर मैं एक बात यहां हाउस मे ंनह कहूंगा तो मैं अपना फर्ज निभाने की कोताही करूंगा। आपने जो बात कीं कि बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से पहले सभी पार्टीज की मीटिंग होनी चाहिये। इस को

हम तसदीक करते है। लेकिन स्पीकर साहब, मैंनें बार बार आप से रिक्वैस्ट की थी बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में कि इसके लिये वक्त और चाहिये परन्तु लीडर आफ दी हाउस ऐडामैंट थे, वे ऐक्सटें ान नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको यह आर्डर था कि उन्होंने जल्दी जाना है। बड़ा दुःख होता है कि हमें इनके सरमन सुनने पड़ते है। Inspite of our best attempts we were not heard, Sir.

Mr. Speaker: Anyway, the recommendations of the Business Advisory Committee were accepted by the House. मुमकिन है कि भाायद मुख्य मंत्री महोदय को पता हो कि डाक्टर साहब की भानिवार या इतवार को कहीं पर एंगेजमैंट है, इसलिए काम जल्दी खत्म कर दें।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरी कहीं पर एंगेजमेंट नहीं है जी। हमारी तरफ से तो चाहे सोमवार और मंगलवार भी से ान कर लें, हमैं कोई ऐतराज नहीं है। (ाोर एवं व्यवधान)

डा0 बृज मोहन गुप्ताः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी चौधरी खुर ाीद अहमद जी ने कहा था कि ये (मैम्बर्ज) भाग न जाएं। मेरी आप से यह इल्जाम है कि ये लफज कार्यवाही में से निकाल दिये जाएं।

श्री अध्यक्षः यह कोई महसूस करने वाली बात नहीं है।

चौधरी खुर ीद अहमदः मेरा कहने का मतलब यह था कि मैम्बर साहेबान को डिबेट में भाग लेने का पूरा मौका मिले।

चौधरी संत कंवर.....

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):.....

श्री अध्यक्षः ये बातें तो हंसी मजाक की है, इन्हें रिकार्ड न किया जाए।

प्र न है–

कि सभा आज की बैठक से उठने पर अनि चत काल के लिए स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः.....

चौधरी कर्म सिंहः.....

वित मंत्री(चौधरी खुर ीद अहमद):.....

श्री अध्यक्षः ये बातें रिकार्ड पर नहीं आएंगी। अब पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी के चेयरमैन श्री सुमेर चंद भट्ट पब्लिक अंडर टेकिंग्ज कमेटी की वर्श 1980–81 की चौथी रिपोर्ट पे ा करेगी।

रिपोर्ट पे ा करना

Shri Sumer Chand Bhatt(Chairman, Committee on Public Undertakings): Mr. Speaker, Sir, I beg to present the Fourth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1980-81 in respect of Haryana State Handloom and Handicrafts Corporation.

(At this stage, Mr. Deputy Speaker occupied the Chair)

Excise and Taxation Minister(Chaudhri Mehar Singh Rathee): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move-

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Validation) Bill be taken into consideration at once.

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब इम्मूवेबल प्रोपर्टी टैक्स (हरियाणा वैलिडे ान) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

डा0 मंगल सैन(रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहब, श्री मेहर सिंह राठी जी, जो ऐक्साइज एंड टैक्से ान मिनिस्टर है, सदन में एक विधेयक लाए है और हमसे चाहते है कि हम इसको पारित

कर दें। विधेयक का नाम है पंजाब नगरीय अचल सम्पति कर (हरियाणा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981। डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने 1974–75 में 1975–76 और 1976–77 में एक वैल्यूए ान लिस्ट बनाई थी जिसके बेसिज पर फरीदाबाद में टैक्स लगाया था। जिन पर यह टैक्स लगाया गया वे हाई कोर्ट में चले गये। उनकी सिविल रिट पैटी ान का नम्बर 943 आफ 1979 है। (ाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, इस सदन में कई माननीय सदस्य ऐसे है जो टिक कर नहीं बैठ सकते। मेरे भाई जगन नाथ जी अपनी सीट से उठ कर वहां चले गये है और वहां से बीच में बोल रहे है। ये 1962 में अपोजी ान में थे और प्रताप सिंह कैरों के सामनें बैठ कर बोला करते थे। आज तो यह सरकार उससे भी गई बीती है। (विघ्न) अगर आप में साहस होता तो इधर हमारे पास आकर बैठते। असैम्बली तो टूट ही जानी है इसमें कोई भाक नहीं है। (ाोर) अगर कहीं बच बचा कर रह गई तो जगन नाथ जी आपका नम्बर तो जरूर कट जाएगा, इसलिये अभी इधर आ जाओ।

श्री लहरी सिंह मेहराः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। डा0 साहब, हर दसवें दिन कह देते है कि असैम्बली कल को टूट रही है या आज टूट रही है। इनको ऐसा कहते हुए दो साल हो गये है–(ाोर)

श्री उपाध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

डा0 मंगल सैनः लहरी सिंह जी तुम मत बोलो, तुम तो मेरे पड़ोस में रहने वाले हो। गाड़ी लेकर रोज आया जाया करते थे। आपको ख्याल करना चाहिए कि जिनकी तुम इज्जत से देखते हो, मैं भी उनकी इज्जत करता हूं। अच्छा नहीं लगता यदि मैं आपके बारे में कुछ कह दूं। यह ठीक बात है कि सरकार के टूटने से आपको तकलीफ तो होगी लेकिन आपको तो नहीं बोलना चाहिए। भजन लाल जी ने आपका तो ऐसा मूढ़ा मढ़ रखा है कि हरिजन कल्याण निगम से आपके साथी को हटा दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात तो वैसे ही चल गई अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री लहरी सिंह मेहराः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पर्सनल ऐक्सप्लेने ान देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः मैं बाद में आपको समय दूंगा।

डा0 मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि हाई कोर्ट में रिट पैटी ान की गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने 1974–75, 1975–76 और 1976–77 में जो भी वसूली की है वह गलत की है, गैर काननी कीहै। तो डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता ही है कि उस समय जो सरकार यहां बैठा करती थी वह कैसी सरकार थी। उस समय कोई बोल भी नहीं सकता था। किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थीं। यह तो दुआएं दो उन लोगों को जिनमें लहरी सिह भी भाामिल

थे। करनाल जेल में इनके साथ और लोग भी भामिल थे जिनमें से अब कुछ ट्रेजरी बैंचिज की तरफ भी है और कुछ अपाजी ान में भी है और कुछ ऐसे लोग भी थे जा इस हाउस में नहीं आए। ऐसे इस दे ा में करोड़ों लोग है जिन्होंने आपात काल का डट कर मुकाबिला किया था। उन्हीं की कुर्बानी की वजह से वह अंधेरी रात टूटी थी और स्वतंत्रता की सुबह लौट कर जुल्म हुआ है जो यह पैसा वसूल किया गया है। अब यह सरकार चाहती है कि उस समय की सरकार ने जो गलती की या जो भी नालायकी की या अभद्रतापूर्ण कृत कहूं या क्रिमिनल ऐक्ट कह दूं किया उसको दूर किया जाए। यह सरकार यह चाहती है कि उस पैसे को वैलिडेट किया जाए, वापिस ने लौटायाजाए। उन बेचारों का क्या कसूर है? जब सरकार ने वह पैसा उनसे गलती से वसूल किया है तो वापिस क्यों नहीं देती? इसलिए डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): डिप्टी स्पीकर साहब, जो पंजाब नगरीय अचल सम्पति कर (हरियाणा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1981 सदन में पे ा हुआ है मैं उसका बहुत बुनियादी मुद्दों पर विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल को यहां लाने की पृश्ठभूमि यह है कि 1974–75, 1975–76 और 1976–77 में फरीदाबाद के रेटिंग एरिया से सरकार ने कुछ प्रोपर्टी टैक्स के रूप में पैसा वसूल किया था। करदाताओं ने उन मूल्यांकन सूचियों की वैधता को

हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट ने सारे मामले की सुनवाई करने के बाद उन सूचियों को अवैध घोशित कर दिया। हाई कोर्ट के उस फैसले के परिणामस्वरूप वह लिया हुआ पैसा सरकार को उन करदाताओं को वापिस करना था और बकाया की जाने वाली वसूली को रोका जाना चाहिए था। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अफसोस की बात है कि बजाये इसके कि सरकार हाई कोर्ट कीजजमेंट को, हाई कोर्ट के फैसले को सिर झुका कर स्वीकार करती, इस ने न्यायपालिका का अपमान करने के लिए न्यायपालिका की जजमैंट पर और जजमैंट देने के लिए इस बिल को सदन के सामने रखा है। जिसके कारण यह भविश्य में इस तरह से वसूल किए जाने वाले पैसे को ही नहीं बल्कि रिट्रोस्पैक्टिव वैलीडे ान यानी जो पैसा पहले वसूल यिका जा चुका है उसको भी मान्यता देने के लिए यह बिल सदन में लाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय यह बहुत ही गलत प्रथा इस दे ा के अंदर चल रही है। आप जानते है कि भारत के संविधान के तीन अलग–अलग अंग बताए गए है। एक विधानपालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। इन तीनों संस्थाओं का दायरा भारतीय संविधान में बहुत विस्तार से बताया गया है। विधानपालिका कानून बनाने का अख्तियार रखती है, कार्यपालिका विधानपालिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को कार्यान्वित करती है, अमल में लाती है और न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करती है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी बीरेंद्र सिंह पदासीन हुए) सभापति महोदय, जब तक इन तीनों

संस्थाओं के दायरे अलग–अलग रहते है तथा एक दूसरे के दायरे को ट्रैसपास करने की कोि ा ा नहीं की जाती तब तक संवैधानिक ढ़ांचा चलता रहता है। लेकिन मुझे यह बात कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि 1975 से दे ा के अंदर सुनमेसी आफ पार्लियामैंट का नारा दे करके न्यायपालिका का गला घोंटने की कोि ा ा की गई है। जब तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला उनके खिलाफ दे दिया तब उन्होंने सुपरमैसी आफ पार्लियामैंट का नारा देकर पार्लियामैंट में ऐसा कानून लाया जिससे हाई कोर्ट के उस फैसले की भी रिट्रोस्पैक्टिव वैलीडे ान हो गई थी। सभापति महोदय, उसी प्रथा को जारी रचातें हुए आज यह बिल हमारे सामने आया है। अगर विधानपालिका कोई गलत कानून बना देती है और उस कानून से कुछ लोग दुःखी होते है तो वह न्यायपालिका में जा कर उस कानून को चुनौती दे सकते है ताकि न्यायपालिका उस कानून को देख कर यह बताए कि वह कानून लोगों के हित में बना है या अहित में बना है। अगर न्यायपलिका के न्यायधी ा इस बात को देखते है और महसूस करते है कि यह बना हुआ कानून लोगों के अहित में है तो वह उस कानून को अवैध घोशित कर देते है। उसके बाद विधानपालिका के न्यायाधी ा इस बात को देखते है और महसूस करते है कि यह बना हुआ कानून लोगों के अहित में है तो वह उस कानून को अवैध घोशित कर देते है। उसके बाद विधानपालिका का यह फर्ज है कि वह न्यायपालिका द्वारा दिये

फैसले को सिर झुका कर स्वीकार करे लेकिन यह जो एक ट्रैसपास का नया सिलसिला और सुपरमैसी आफ पार्लियामैंट का नारा दे कर न्यायपालिका का गला घोंटने की नई साजि ा इस दे ा में 1975 से भुरू हुई है उसी के तहत आज यह बिल सदन में लाया गया है। सभापति महोदय करदाताओं ने जो चीज न्यायपालिका के माध्यम से प्राप्त कर ली है और न्यायधी ा ने इस बात का फैसला करके यह फैसला दे दिया है कि यह कर का पैसा सरकार ने गलत तौर पर वसूल किया था इसलिए यह उनको वापिस किया जाना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका के फैसले को समाप्त करने के लिए बुनियादी मुद्दों पर मैं इस बिल का सख्त विरोध करती हूं और सारे के सारे सदन से यह गुजारि ा करती हूं कि या तो हम कराधान मंत्री को यह बिल वापिस लेने के लिए मजबूर करें, अगर वे इस बिल को वापिस न लें और पे ा करे रखें तो सारा सदन इस बिल को पास न करे और इसको रिजैक्ट कर दे ताकि न्यायपालिका कीगरिमा को हम लोग बना कर रख सकें और सुपरमैसी आफ पार्लियामैंट के नारे के तहत न्यायपालिका पर की जाने वाली साजि ा को रोकने में हम लोग कामयाब हो सकें। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपना स्थान लेती हूं। धन्यवाद।

श्री मूलचंद जैन(सम्भालखां): चेयरमैन साहब, जो बिल कराधान मंत्री जी ने हाउस के सामने रखा है, ज्यादा अच्छा होता कि ये इसकी व्याख्या भी करते। जितने भी बिल इस हाउस में

इस तरीके से आते है, मंत्री महोदय उनको पे ा करते वक्त उनकी व्याख्या नहीं करते। मैं यह समझता हूं कि उनको व्याख्या करनी चाहिए कि यह बिल किस लिए लाया जा रहा है। चेयरमैंन साहब इस बिल के आबजैक्टस एंड रीजन्ज के बारे में उा0 मंगल सैन और बहन सुशमा स्वराज जी ने काफी तवज्जों दिलाई है। लेकिन इस बिल के साथ जो फाईनैं ि ायल मैमोरेंडम हैं उसमें यह लिखा है कि 65 लाख 91 हजार 500 रूपए फरीदाबाद के रेटिंग एरिया से प्रोपर्टी टैक्स के रूप में सरकार के पास इक्ट्ठे हो चुके है जोकि हाई कोर्ट के फैसले की वजह से रिफंड होने है और 17 लाख रूपया लोगों से रिकवरेबल है उसको भी यह सरकार रिकवर करना चाहती है। अब 6 वर्श के बाद सरकार यह चीज करना चाहती है जबकि हाई कोर्ट ने उस वैल्यूए ान लिस्ट को रद्द कर दिया है। चेयरमैंन साहब, मैं सरकार की इस बात को रीजनेबल समझता अगर सरकार यह कहती कि वह वैल्सूए ान लिस्ट तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दी जो 1974–74, 1975–76 और 1976–77 में बनी थी और जिस आधार पर हाई कोर्ट ने वह वैल्यूए ान लिस्ट रद्द की उसको तो यह सरकार चैलेंज नहीं करती। पता नहीं यह सुप्रीम कोर्ट में गए नहींयाह इनको जाना चाहिए था लेकिन उस वैल्यूऐ ान लिस्ट की बजाय यह सरकार नई वैल्यूए ान लिस्ट भी नहीं बना रही है। उन नई लिस्टों को बनाने के लिए अगर वैलीडे ान एक्ट की जरूरत होती तो भी हम इस बिल का स्वागत करते और कहते कि ठीक है वह वैल्यूए ान लिस्ट तो हाई कोर्ट ने किसी वजह से रद्द कर दी अब यह

सरकार नई वैल्यूए ान लिस्ट बनाने के लिए यह बिल लाई है लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। चेयरमैंन साहब जिन वैल्यूए ान लिस्टों को हाई कोर्ट ने नाजायज करार दे दिया आज यह सरकार उस सारे पैसे को इस बिल के जरिए जो पैसा रिफंड होने के काबिल है उसको रिफंड नहीं करना चाहती और जो पैसा बकाया है उसको वसूल करना चाहती है इसलिए यह सरकार जुडीि ायरी को अंडरमाइन कर रही है जिसका मैं बहुत सख्त विरोध कर रहा हूं। चेयरमैंन साहब डैमोक्रेसी के चार पाए है। एक लैजिस्लेचर, दूसरा जुडीि ायरी, तीसरा ऐग्जैक्टिव और चौथा प्रैस। यदि हम इनमें से एक पाए को इस तरह से लंगड़ा करते चले गए तो डैमोक्रेसी कमजोर होकर समाप्त हो जाएगी। चेयरमैन साहब, यह हकीकत है कि जब 1977 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी इसने जुडीि ायरी का`समाप्त करने की कोि ा ा की और दोबारा जब यह पिछले वर्श से पावर में आई है चाहे सैंटर में हो चाहे स्टेट में हो अब फिर जुडीि ायरी को कमजोर किया जा रहा है। यह तो इस विशय का वाइडर पहलू है। लेकिन इस सीमित पहलू पर भी मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आया सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में इस बिल की मंजूरी से पहले इस बात पर विचार यिका कि वह करने क्या जा रही है? चेयरमैन साहब, मैं नहीं जानता कि यह बात चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में है या नहीं कि हरियाणा में अब तो प्रोपर्टी टैक्स कतई खत्म हो गया है। प्रोपर्टी टैक्स हरियाणा में लागू ही नहीं है। सिर्फ म्यूनिसिपल कमेटीज में हाउस टैक्स लागू है। लेकिन जब

यह प्रोपर्टी टैक्स लागू था उस समय कितनी ही जगह पर बिक्री टैक्स के इंसपैक्टर्ज जब पिछले तीन–तीन वर्श की वैल्यूए ान लिस्ट बनाते थे तो एक तीन वर्श का पीरियड खत्म हुआ और अगला भुरू हुआ तो 10 गुणा, बीस गुणा इस तरीके से वैल्यूए ान लिस्ट बना देते थे। उन लिस्टों को लोगों ने हाई कोर्ट में चेलेंज किया। आज जब वे हाई कोर्ट में चले गये तो इन्होंने वैल्यूए ान लिस्ट को नाजायज करार दे दिया। मैं मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि जो लिस्ट इतने सालों से बनी हुई थी वह हाई कोर्ट में जाने सेपहले तक तो ठीक थी लेनि अब गलत कैसे हो गई? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर गलत थी तो बजाये इस के कि लिस्ट को ठीक करेन की कोि ा ा करते, उल्टा टैक्स वसूल करने के लिए बिल ले आये है। जैसे कि बहन सुशमा स्वराज और डा0 मंगल सैन ने कहा, मेरा इनसे किसी प्वायंट पर मतभेद नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इनको टैक्स से ऐग्जम्पट कर दें, वसूल ही न करें मैं इसे ठीक नहीं समझता। मेरा मेन प्वायंट यह है कि वैल्यूए ान लिस्ट जिस को हाई कोर्ट ने नाजायज करार दे दिया है, वह लिस्ट ठीक थी या नहीं, इस बात पर डिपार्टमैंट ने क्या सोचा, मिनिस्टीरियल लैवल पर क्या सोचा है? इस बात को क्लयर करें कि जिस लिस्ट को हाई कोर्ट ने नाजायज करार दयिा है, यह इन–इन आधारों पर ठीक थी और हाई कोर्ट ने इन इन आधारों पर इसको नाजायज करार दिया है और अब सरकार ने दोबारा सोच लिया है कि ये आधार ठीक नहीं थे इसलिए बिल

आना चाहिए। इससे तो जुडीि ायरी को धक्का पहुंच रहा है, अगर इस तरीके से सरकार जुडीि ायरी के साथ बिहेव करती रही तो नतीजा यह होगा कि दूसरे दे ाों के लोग यह समझेंगे कि हिंदुस्तान में जुडीि ायरी ऐग्जैक्टिव के रहम पर है। दूसरे दे ाों की वर्किंग के बारे में कहना उचित नहीं है लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस तरह करने से प्रजातंत्र की प्रणाली जो हमारे दे ा में चल रही है इसको जबरदस्त धक्का पहुंचेगा। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण

श्री लहरी सिंह मेहरा द्वारा

श्री लहरी सिंह मेहराः आन ए प्वायंट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेने ान। चेयरमैन साहब डा0 मंगल सैन ने मेरे एक साथी का नाम लिया.....

डा0 मंगल सैनः मैंने नाम नहीं लिया, मैंने एक चेयरमैन का जिक किया है।

श्री लहरी सिंह मेहराः ठीक है, चेयरमैन का जिक करतसे हुए कहा कि मेरे मुह पर ताला लगाया हुआ ंहै। ऐसे लफ्ज इन्होंने कह दिये ओर मैं मैम्बर साहब को आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि मैंने उस वक्त प्रैस में भी स्टेटमैंट दिया था कि अगर एक परसैंट भी किसी प्रकार की इंवाल्वमैंट उस आदमी की किसी भी केस में साबित हो जाएगी तो मैं असैम्बली से

इस्तीफा दे दूंगा। मैं उस बात को आज भी दोहराता हूं कि इसकी इंक्वायरी हुई थी, इस इन्कवायरी के मुताबिक इस आदमी का जीरों परसैंट भी कसूर नहीं है, इसको ये खाहमखाह बदनाम कर रहे है।

दि पंजाब अर्बन इम्मूवेबल प्रौपर्टी टैक्स (हरियाणा वैलीडे ान) बिल, 1981 (पुनराम्भ)

चौधरी राम लाल वधवा(करनाल): सभापति महोदय, इस विशय पर मैं दो मिनट का टाईम लूंगा, इसमें लंबी चौड़ी बात कहने की है ही नहीं। मेरे दोस्त श्री मांगे राम गुप्ता इस वक्त हाउस में बैठे है। इन्हें याद होगा जब मैं उस तरफ बैठा करता था और मंत्री होने के नाते यह महकमा मेरे पास था और ये इधर बैठा करते थे उस वक्त ये कहा करते थे कि हाउस में अ योरैंस दें कि प्रौपर्टी टैक्स खत्म करेंगे। उस वक्त मैंने हाउस में अ योरैंस दी थी और जनता सरकार ने प्रोपर्टी टैक्स खत्म कर दिया था। लेकिन सरकार की गलती की वजह से टैक्स की जो वसूली हुई थी उसके खिलाफ अदालत नेफैसला दे दिया है। इस बिल के द्वारा आज सरकार उस गलत वसूली को कहती है कि अदालत का फैसला गलत है, हमारा फैसला सही है, हम मनवा के रहेगें। यह गलत प्रथा है जो आज इस सदन में डाली जा रही है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला फरीदाबाद से संबंधित है। कई लोगों से यह टैक्स वसूल कर चुके है औरकईयों से वसूल करना बाकी है। आज जबकि हम इस टैक्स

को खत्म कर चुके है और किसी से यह टैक्स वसूल करना रह गया है तो इसको छोड़ देना चाहिए, इसकी वसूली का सवाल क्यों खड़ा कर रहे हो इस बिल के माध्यम से, जबकि टैक्स खत्म हो चुका है। अगर कोई आदमी कहता है कि किसी आदमी ने जुर्म किया है और अदालत ने फैसला दे दिया कि उसने जुर्म नहीं किया तो क्या आपकी पार्लियामैंट या असैम्बली इस बात पर बहस करने के लिए बैठेगी यह साबित करेन हेतु कि उसने जुर्म किया? इसका मतलब यह हुआ कि बे ाक अदालत ने उसको निर्दोश साबित कर दिया लेकिन सरकार चाहती है कि उसको मुजरिमों के कटघरें में पहुंचायेगे और सजा दी जाएगी। यह हमारा जुडीि ायरी के साथ मजाक है। श्री मूलचंद जैन ने ठीक कहा कि डैमोक्रेसी के तीन स्तम्भ है और हर एक स्तम्भ का अलग–अलग फंक ान है। ऐग्जैक्टिव का फंक ान है कानून बनाने के लिये सलाह देना और उसको लागू करना है और इसके बाद जुडीि ायरी का फंक ान है यह देखना कि कहीं ऐग्जैक्टिव पब्लिक के साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रही है। अगर ऐग्जैक्टिव की कोई गलती है, ज्यादती है तो उस पर अदालत अपना फैसला देती है। ऐग्जैक्टिव को जुडीि ायरी के फैसले को मद्देनजर रखते हुए उसके आगे अपना सर झुकना चाहिए। वैसे तो आज डैमोक्रेसी सही मायनों में डिक्टेटरि ाप बन गई है। लैजिस्लेचर में मैजोरिटी में होने के कारण सरकार बिल को पास करवा लेती है क्योंकि असैम्बली में मैजोरिटी की जो राय होगी वही होगा, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। असैम्बली से कोई

भी चीज सरकार पास करवाना चाहे तो पास करवा लेगी लेकिन अदालत के फैसले को नल एंड वाईड करके बिल में कोई तरमीम की जाए तो यह तरजेहकूमत के खिलाफ बात है। तीसरी बात फरीदाबाद से संबंधित है। सरकार ने एक लिस्ट बनाई, उसमें गलती हुई और वह गलती अब भी कायम है। ये समझते है कि यह कानून पास होने से गलती हुई और वह गलती अब भी कायम है। ये समझते है कि यह कानून पास होने से गलती में सुधार हो गया। जब सरकार ने यह टैक्स लगाया था तो एक–एक मकान की वैल्यूए ान की होगी लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक यह गलत था। अगर गलत था तो इनको दोबारा वैल्यूए ान करवानी चाहिए थी लेकिन नहीं करवाई और यह बिल ले आए। मैं इस बिल को वायोले ान आफ एक्ट मानता हूं। इस स्टेज पर अगर बिल लाना ही है तो लिस्ट की दोबारा असैसमैंट करवानी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने जिन लोगों की जेबों से गलती से रूपया निकाल लिया है, उसी गलती का सहार लेकर दूसरे लोगों से वसूल करना चाहते है। उन लोगों को कम से कम एक अपौर्चुनिटी दी जानी चाहिए ताकि वे अपना केस सरकार के सामने रख सकें। यह नहीं कि अगर निकाल लिया तो निकाल लिया, इसके लिए कानून ले आयेंगे। सभापति महोदय, यह उनके साथ धांधली है। मैं एक बात कह कर समाप्त करूंगा। फरीदाबाद में 1975–76 और 1976–77 मैं जो मकान वहां बनाये गये थे, उन पर प्रौपर्टी टैक्स लगाकर सरकार ने वसूल कर लिया, इसमें कोई भाक की बात नहीं है लेकिन इतना टैक्स लेने के बावजूद भी आज

आप जाकर फरीदाबाद की हालत देख लें न वहां पूरे तौर पर नालियां है, न बिजली है, न पूरे तौर पर कोई अन्य फैसिलिटी दी गई है। सीवरेज की फैसिलिटी भी पूरे तौर पर नहीं है। इन हालात में लोगों से प्रौपर्टी टैक्स वसूल करना लोगों के साथ बहुत अन्याय है। सरकार इस बिल को वापिस ले लेगी। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी उदय सिंह दलाल(बादली): सभापति महोदय, हमारे अपोजी ान के लीडर ने इस बिल का विरोध किया है, मैं भी इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री मूल चंद जैन ने सारी बातें खोल कर सदन के सामने रखी है। सरकार अपनी गलती का सुधार करने के लिए यह बिल सदन में लाई है। अगर सरकार ने सही मायने में सुधार करना ही है तो मैं एक सुझाव देता हूं जिससे सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी। हरियाणा में जितने भी ईंटों के भटठे है वे 280 या 290 रूपये प्रति हजार के हिसाब से ईंटें बेचतें है और कै ामीमो 150 या 200 रूपये प्रति हजार का काटा जाता है। जब पूछा जाता है तो कहते है कि ट्रक का कैरिज भाामिल है। ट्रक का तो इतना खर्चा आता है नहीं। आप हिसाब लगा कर देख लो एक किलोमीटर पर बीस रूपये प्रति हजार की ढुलाई कहां तक जस्टिफाईड है?

श्री सभापतिः यह तो सेल्ज टैक्स का मामला है, जब सेल्ज टैक्स पर डिस्क ान होगी तब बोल लेना।

चौधरी उदय सिंह दलालः मैं तो सरकार को सुजै ान दे रहा हूं। अगर भट्ठे वालों से दोस्ती करके ये भटठ् वालों की तरफ से आंख मीचना चाहते है तो बे ाक मीच लें। लेंकिन यह बात सही है कि भट्ठे वालों के आदमी जितना अमाउंट वसूल करते है उतना कै ा मैमो काट कर नहीं देते, बे ाक आप जांच पड़ताल कर लें, मैं सही कह रहा हूं। मु ी ही कह देता है कि आपने रसीद को क्या करना है, अगर बार–बार कहने के बाद रसीद दे भी दी तो एसमें एक लाईन लिख देते है रिसिव्ड विद कैरेज। ईटें कुछ देते है और वसूल कुछ करते है। अगर वे बीस रूपये हजार के हिसाब से भी कमाएं तो पता नहीं कितनी इंकम उनकी बढ़ती है। ये इंकम भी पूरी नहीं दिखाते। ये टैक्स के मंत्री है, ये इस बात को देख लेंगे। हम तो बार–बार इस बात को इसलिए कह रहे है ताकि ये इंकार न कर सके। (विघ्न) चेयरमैंन साहब सरकारी बैंचों पर जो भी जाकर बैठ जाता है उसका एक तरीका बन जाता है कि मुझे कमरे में बताएं या लिख कर दें। जब हम एक बात हाउस में कह रहे है, उसकी प्रोसीडिंग्ज लिखी जा रही है, टेप–रिकार्ड हो रही है और उसकी एक किताब बनेगी तो कमरे में जाकर कहने और लिख कर देने की क्या जरूरत है? इनको चाहिए कि ये प्रोसिडिंग्ज की किताब को पढ़ लें और अपने अपने महकमें की कहानी को समझ लें। अगर हम लिख कर देंगे तो उस बेचारे को दंड हो जाएगा। वह दंड से छूटने के लिए सिफारि ा ढूंढेगा और कुछ ले देकर छूट जाएगा। इसलिए राठी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि दोस्ती को

छोड़कर ये कुर्सी के फर्ज को निभाएं। (विघ्न) सरदार लछमन सिंह जी भी यहां बैठे है। इनसे भी मेरी प्रार्थना है कि ये भी अपने महकमें से कहें कि वह ठीक से काम करे। इनका महकमा एक नया जुर्म करने लग रहा है। एक क्वालिटी की ईंट दूसरी क्वालिटी में मिला रहे है। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपनी जगह लेता हूं।

श्री मूलचंद मंगला(पलवल): चेयरमैन साहब, सन् 74, 75, 76 और 77 में फरीदाबाद कंप्लैक्स पर जब यह प्रौपर्टी टैक्स लगाया गया तो लगभग 65 लाख रूपया वहां के लोगों से वसूल किया गया। इसके खिलाफ कंप्लैक्स के लोग हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने यह मान लिया कि उन पर यह टैक्स नाजायज तौर पर लगाया गया है। चेयरमैन साहब, उस फैसले को मैंने पढ़ा है। अगर उस फैसले को असैम्बली के हर मैम्बर को डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जाता तो पता लगता कि उन लोगों के साथ कितनी ज्यादती हुई है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए भी कि वहां के लोगों से नाजायज पैसा वसूल यिका गया है, हमारे कुछ साथी इस बिल पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा कर रहेंगे। प्रजातंत्र के अंदर अगर लोग सही बात को सही कहने के लिए भी तैयार न हों तो बड़े दुख की बात है। 17 लाख रूपये ये उनसे और वसूल कर लेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर इस नाजायज फैसले को मानें तो बढ़िया बात नहीं है। चेयरमैन साहब, कंप्लैक्स के जितने मुलाजिम है उन्हें पता था कि मकान मुकम्मल नहीं है

या जिनकों जो फैसिलिटीज कंप्लैक्स की ओर से मिलनी चाहिए थी वे नहीं मिल पाई है उन पर प्रौपर्टी टैक्स नहीं लग सकता लेकिन उसके बावजूद अगर लोगों पर टैक्स लगाया जाए तो यह बिल्कुल नाजायज बिल आ रहा है। मैं इसका डट कर विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि सब एम0एल0एज0 को फैसले की नकल दी जाए। उस फैसले को पढ़ने के बाद अगर मैम्बर्ज समझते है कि यह बिल ठीक है तब तो इसको लागू किया जाए वरना यह निहायत ही बुरी बात है। इससे जनता में हमारे प्रति अश्रद्धा पैदा होगी और वे सोचंगे कि हम असैम्बली में नाजायज बिल लाते है। जब जुडि ायरी ने यह कह दिया कि टैक्स नाजायज है तब भी सरकार बिल पे ा करे तो ठीक बात नहीं है।

चेयमैन साहब, इस संबंध में मेरी एक प्रार्थना है। जब जुडी ायरी ने यह कहा कि यह टैक्स नाजायज था तो कम से कम उन पहलुओं पर विचार होता और जैसा मेरे कुछ दोस्तों ने कहा जितने पीरियड का पैसा नाजायज है वह वसूल न किया जाए और जो जायज बनता है वह वसूल कर लिया जाए। यह तो वह बात हुई कि कभी किसी को गलती से सजा दे दी और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से सजा माफ करा ली लेकिन फिर भी यह कहा जाए कि सजा बहाल रहनी चाहिए यह जानते हुए भी कि उसने जुर्म नहीं किया है। इससे ज्यादा ज्यादती क्या हो सकती है? यह प्रजातंत्र के साथ मजाक है। इन भाब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

आबकारी तथा कराधान मंत्री(चौधरी मेहर सिंह राठी): सभापति महोदय, जो बिल हाउस में पे ा हुआ है इसके बारे में मैं एक दो बातें कहना चहात हूं। हाई कोर्ट में एक फर्म गई थी और इस टैक्निकल ग्राउंड पर कि हमारी दो साल की लिस्ट पांच साल से ज्यादा चल गई उन्होंने इसे रिजैक्ट कर दिया। टैक्स नाजायज नहीं था लेकिन वे कहते थे कि इसे हम पांच साल मैं दोबारा रीवैलिड करते है। इसके अलावा इस दौरान कई जो छोटी बिल्डिंग्ज थी वे बड़ी हो गई। फिर यह टैक्स जो है वह कंप्लैक्स पर खर्च होगा। चौधरी राम लाल वधवा एक तरफ तो कह रहे है कि फैसिलिटीज नहीं मिलीं लेकिन दूसरी तरफ कह रहे है कि पैसा वसूल न करो। चेयरमैन साहब, एक ही समय में ये दो दो बोली बोलते है। इसमें जुडीि ायरी के हक पर छापा मारने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने तो इसे टैक्निकल ग्राउंड पर रिजैक्ट कर दिया था। इन भाब्दों के साथ मेरी प्रार्थना है कि इस बिल को पास किया जाए।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

श्री मूल चंद मंगला: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या हाई कोर्ट के फैसले की कापी इनके पास है?

चौधरी मेहर सिंह राठी: उसे आप मेरे कमरे में आकर पढ़ लेना।

श्री उपाध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

प्र न है कि –

दि पंजाब अर्बन इम्मूवेबल प्रौपर्टी टैक्स (हरियाणा वैलिडे ान) बिल पर तुरंत विचार किया जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा

क्लाजिज 2 तथा 1

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाजिज 2 तथा 1 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फामूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Excise and Taxation Minister(Chaudhri Mehar Singh Rathee: Sir, I beg to move-

That the Bill be pleased.

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव है–

कि बिल पास किया जाए।

श्री मूलचंद जैन(सम्भालखा): डिप्टी स्पीकर साहब, जो कुछ मैं पहले कह चुका हूं उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन इस सरकार को मैं अंतिम चेतावनी देना चाहता हूं कि यह बिल फिर चैलेंज होगा और बतौर वकील के मैं यह कह सकता हूं कि हाई कोर्ट इस बिल को नाजायज करार देगी।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल, 1981

Excise and Taxation Minister(Chaudhri Mehar Singh Rathee): Sir, I beg to move-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

श्री मूल चंद जैन(सम्भालखां): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मैंने पहले बिल **(12.00 बजे)** पर बोलते हुए कहा था कि मिनिस्टरों को कंसीड्रे ान की स्टेज पर यानी हाउस के सामने बिल पे ा करते समय यह बताना चाहिए कि इस बिल की क्यों आव यकता हुई?

मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जनता पार्टी के जमाने में जो टैक्स रिव्यू स्ट्रक्चर कमेटी बनी थी उस की सिफार ात को सामने रखा गया था या नहीं। दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं कि इस बिल में कोई खास क्रांतिकारी तबदीली नहीं है। क्लाज पांच के द्वारा निगरानी की मियाद आठ साल मुकर्रर कर रहे है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी वकील रहे है और मैं भी छोटा–मोटा वकील रहा हूं लेकिन आने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि इतनी लम्बी मियाद दी गई हो। मंत्री महोदय जवाब दें कि पहले जो धारा चालीस थी उसमें कोइ मियाद नहीं थी लेकिन आज आप आठ वर्श करने जा रहे है। मुख्तलिफ कानून में यह प्रोविजन होता है कि तीन महीने से ज्यादा कोई अफसर निगरानी के केस को नहीं सुनता। कोई

खास हालात हो तो दूसरी बात है लेकिन ये उस बात को आठ वर्श करने जा रहे हैं। मेरे पास इस वक्त इस बात का सबूत नहीं है। मगर मुझे ऐसी बू आती है कि कोई खास केस इनके नोटिस में आया है जिसके लिये ये करना चाहते है। पहले कानून में निगरानी सुनने की मियाद नहीं थी लेकिन पहले कन्वैन ान तीन मास की पड़ी हुई थी आठ वर्श की नहीं थी। आप उन अफसरों को और भी पावर दे रहे है जिन्होंने आठ वर्श तक दुबारा फैसले का उलट–पुलट करना है। मंत्री महोदय बातायें कि आया यह बिल कैबिनेट से स्वीकृत हुआ था या नहीं। कैबीनैट मैं जाने से पहले मिनिस्टर, एक्साइज एंड टैक्से ान कमी ानर और सैक्रेटरी ने भी इस बारे में विचार किया है या नहीं। मुझे इस पर बड़ा भारी भाक है। इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

चौधरी बीरेंद्र सिंह(उचाना कलां): उपाध्यक्ष महोदय सेल्ज टैक्स अमैंडमैंट बिल हाउस के सामने आया है। तीन मुख्य बातों को ले कर यह बिल पे ा किया गया है। एक तो बैरियर पर चैकिंग स्ट्रिक्ट हो, दूसरे रिटायर्ड आफिसर्ज को सेल्ज टैक्स की प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाये और तीसरी बात इसमें यह है कि डरायर फलैट्स को ि ाड्यूल में भामिल किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा सेल्ज टैक्स एक्ट बड़ा कम्पीलकेटिड सा है। आज से दो साल पहले मैं ऐस्टीमेटस कमेटी का मैम्बर होता था। हमने ऐक्साइज एंड टैक्से ान डिपार्टमैंट को पूरी गहराई से ऐग्जामिन किया था। मैंने अपने

कुछ सुझाव भी रखें थे लेकिन जो कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाती है उस पर सरकार भायद ही किसी तरीके से अमल करती हो।

मैं इसमें यही कहना चाहता हूं कि सेल्ज टैक्स जिस व्यापारी की असैसमैंट होती है, उसका सम्पर्क वहां के जिला स्तर के अफसरों से होता है। वे ई0टी0ओ0 या डी0 ई0 टी0 सी0 होते है। असैसिंग अथोरिटी के सामने वकील भी पे ा करते है यानि उन व्यापारियों का सारा काम वही करते है। उन व्यापारियों का वकीलों से साल भर का पैसा बंधा होता है। उनकी सारी लिखा पढ़ी वकील ही करता है। उनकी बही या लेखा–जोखा वकील के पास होता है। आपने सुना होगा कि जब किसी किस्म की बात हो तो वकील स्वयं जाता है। असैसी का तो वकील भी हो और जो अधिकारी उसे सुन रहा है वह अधिकारी भी किसी हद तक उसका जानकार होता है यानी वह भी पक्ष ले सकता है। यह बात विचारने की है। सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं होता। सरकार को चाहिए कि वे अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिये सिर्फ इंसपैक्टर और ई0टी0ओ0 पर रिलाई न करे। सरकार अपनी वकील मुकर्रर करे ताकि वे सरकार का पक्ष प्रस्तुत कर सकें। अगर असैसी की असैसमैंट ठीक न हो तो वह अपील कर सकता है। हायर अथोरिटी से भी उसकी सैटिसफैक ान न हो तो वह ट्रिब्यूनल में जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, कितनी ऐनोमली है कि असैसी की सैटिसफैक ान न हो तो वह अपील कर सकता है।

अगर सरकारी पक्ष की सैटिसफैक ान न हो तो उसकी तरफ से अपील नहीं हो सकती। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी कार्यवाही है, वह एक पक्षीय है। यह इसलिये है क्योंकि वे कुछ धन–रा ि ा सरकार के खजाने में जमा करवा रहे है। अपील के बड़े अधिकारी यानी ऐक्साइज एंड टैक्से ान अफसर को यह अधिकार है कि वह सुओ–मोटो रिव्यू करे। मेरा अनुरोध है कि इस एक्ट में यह प्रोविजन करना निहायत जरूरी है कि सरकार एक सैल कायम करें जिसमें निर्धारित किया जाये कि फलां केस की ठीक असैसमैंट हुई है या नहीं। उस सैल के अधिकारी लीगल ऐक्सपर्ट होने चाहिए। सरकार को असैसमैंट के विरूद्ध हक होना चाहिए कि वह भी अपील के अंदर जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं क्लाज 4 के बारे में कहना चाहता हूं। इस में जो प्रोवाइजों डाला गया है वह इस प्रकार है–

"Provided further that in the case of an appeal against any order, which has to be communicated by the appropriate authority to the assessee, the period of sixty days shall commence from the date of receipt of the copy of the order by the assessee and in the case of an appeal against any other order made under this Act, the time spent in obtaining the certified copy of order shall be excluded in computing the period of sixty days."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें पहले यह प्रावधान था कि जिस तारीख से फैसला होता था उसके साठ दिन में अपील करनी होती थी परन्तु अब यह कर दिया है कि डिसीजन की कापी लेने के बाद अपील के लिए साठ दिन का पीरियड होगा क्योंकि इसमें लिखा हे कि for the purposes of calculating the period of sixty days the period spent in obtaining the copy of the order shall be excluded.

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा है कि अगर असैसी डिसीजन की कापी लेने को एवायड करता रहे तो इसमैं बहुत लम्बा समय निकल सकता है। उसके बाद ऐक्ट में लिमिटे ान पीरियड भी होता है। अब इसमें डेट आफ नालेज से करने जा रहे है। यह बात करने से सिर्फ डिले होगी। इस तरह से असैसमैंट कम्पलीट होने में कई साल गुजर सकते है। इसलिये असैसी के हाथ में आप एक ऐसा अधिकार सौंपने जा रहे है जिससे सरकार को नुक्सान हो सकता है?

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस एक्ट द्वारा यह प्रोवीजन किया है कि इस महकमैं के जो रिटायर्ड गजटिड आफिसर है और जिन्होंने पांच साल तक ऐज ऐ असैसिंग अथोरिटी है उनके सामने अपीयर हो सकेंगे, यानी उनको अपीयर होने की इजाजत होगी। उपाध्यक्ष महोदय मैं किसी आफिसर की इंटेग्रिटी को डाउट नहीं करता। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस प्रकार की रियायत इन रिटायर्ड आफिसरों को दे

देंगे तो ठीक नहीं होगा। आप किसी भी तरीके से सोच लिजिए, एक बुजुर्ग के नाते या एक कलीग के नाते उनको किसी ने किसी स्टेज पर किसी न किसी हद तक दबना पड़ता है। उनको ओब्लीगे ान लेना पड़ता है। इस प्रकार से कोई फेयर जजमैंट नहीं हो सकता। सरकार ने जो यह नीति अपनाई है मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि इससे फैसलों पर असर पड़ने वाली बात है।

इस बिल में कुछ ऐसे सुझाव भी लाए गए है जिनसे बैरियरों की चैकिंग अच्छी प्रकार से सख्ती के साथ हो सकेगी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में बार–बार सुझाव आते रहे है लेकिन कोई खास कदम नहीं उठाये जा रहे जिन से बैरियरों की चैकिग से चोरी को रोका जा सके। उपाध्यक्ष महोदय यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि किस प्रकार से लोग राजस्थान के नाम पर एक 39 नं. फार्म को प्रक्योर करते है मुझे इस बारे में पूरी तरह से पता नहीं है क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं करता। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोग चना हिसा से ट्रकों में भरते है और फिर उसको दिल्ली पार करा दयिा जाता हैं यह बड़ी सीरियस बात है। मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस एक्ट के जरिये ऐसे स्टैप्स उठायें जाने चाहिएं जिससे इस प्रकार के लोग कोई नाजायज फायदा न उठा सकें। इन भाब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करतें हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी राम लाल वधवा(करनाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस बिल की क्लाज 11 और 12 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस बिल की क्लाज 11 में लिखा है:–

"In entry 14 of Schedule B to the principal Act, after the words "woolen durees and cotton floor durees" the words "and dryer felts whether made from cotton, wool or man made fibre" shall be deemed to have been added for the perido commencing on the 26th day of April, 1971 and ending with the 6th day of September, 1978."

इसके साथ ही साथ मैं क्लाज 12 को भी पढ़ देता हूं ताकि फिर दुबारा न पढ़ना पड़े।

"Not withstanding any judgement, decree or order of any court or other authority to the contrary, any levy, assessment, reassessment or collection of any amount by way of tax or penelty made or purporting to have been made in respect of dryer felts, whether made from cotton, wool or man made fibre, for the period commencing on the 26th day of April, 1971 and ending with the 6th day of September, 1978 and any action taken or thing done or purporting to have been taken or done in relation to such levy, assessment, reassessment or collection shall be deemed to be as valid and effective as if such levy, assessment, reassessment or collection had been made or action taken or things done under the principal Act."

उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले वाले बिल को तो हम रो रहे थे लेकिन यह बिल तो अब उसका भी बाप निकला है।

फरीदाबाद में एक प्रोपर्टी टैक्स लगाया गया, उसकी वसूली रहती थी। ये कह रहे थे कि गलती हो गई। कोर्ट ने कह दिया कि वह गलत है। अब तो भायद उस का फैसला भी आ चुका होगा या ये बता नहीं रहे है क्योंकि स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एंड रीजंज में लिखा है:–

"Amendments to the Haryana General Sales Tax Act, 1973 are being proposed to remove certain lacunae observed in administering the Act. The provisions relating to payment of interest and limitation are being rationalised and the checking of evasion of Sales Tax at the barriers is being made more effective. Provision is being made to enable the retired Gazetted Officers with requisite experience to appear before the Sales Tax Authorities. It is also proposed to regularies recovery of sales tax on Dryer Felts prior to 6th September, 1978."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस में क्या लकूना आ गया कि डरायर फैल्टस का टैक्स जायज था या नाजायज। अब इस आईटम को इन्कलूड क्यों कर रहे है? अगर इस चीज को इसके अंदर इस ि ाड्यूल में भामिल करते तो बात समझ में आ सकती थी। स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एंड रीजंज में यह बतायें कि इसके भामिल करने का मुद्दा क्या है, इसको भामिल किया जा रहा है, भामिल ही नहीं किया जा रहा बल्कि यह समझा जाये कि 26 अप्रैल, 1971 से लेकर 6 सितम्बर, 1978 तक भी इसको भामिल किया जायेगा तो जिन लोगों ने इस का

कोई टैक्स नहीं देना होगा या उनके केसिज सेल्ज टैक्स अथेरिटीज के पास पैंडिग पड़े होंगे, उसका मतलब यह होगा कि चाहे उन्होंने पैसे वसूल किए है या नहीं किए है लेकिन उस पीरियड का टैक्स उन्हें लाजमी तौर पर देना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अन्याय है, इनजस्टिस है और कानून के विरूद्ध है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी दिलचस्प बात और है इस बिल के क्लाज 12 के भाग (बी) और (सी) में लिखा है–

"(b) No suit or other proceedings shall be maintained or continued in any court or obefore any authority for the refund of any such tax or penalty so collected; and

(c) no court or authority shall enforce any decree or order directing the refund of any such tax or penalty so collected."

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के जरिये जो यह कानून पास कराने जा रहे है इससे बेचारे गरीब आदमीयों को इस डैमोक्रेटिक दे ा के अन्दर अदालत के दरवाजे खटखटाने की गुंजाई ा नहीं रहेगी। इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा अन्याय यह सरकार नहीं कर सकती। इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं अभी कुछ देर पहले बाबू मूलचंद जैन जी ने इस बिल के बारे में कुछ अपने विचार रखे है। बाबू जी बड़े सीनियर मैंबर है। मैं उनसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि वे इसे ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाय। (ोर एवं विघ्न).....

उपाध्यक्ष महोदय, अनैक्सचर में जो ओल्ड सैक ान 40 है उसमें लिखा है–

"The Commissoner may on his own motion call for the record of any case pending before, or disposed of by, any assessing authority or appellate authority, other than the Tribunal, for the purposes of satisfying himself as to the legality or to propriety of any proceedings or of any order made therin and may pass such order in relation thereto as he may think fit."

भायद बाबू जी से जल्दी में पढ़ने में गलती रह गई। इसमें अनलिमिटिड पावर दी गई है। पहले जहां अनलिमिटिड पावर थी कि पंद्रह साल का, बीस साल का या दस साल का रिकार्ड कमि नर मंगवा सकता था और पहले आर्डर्ज को रिवाइज कर सकता था अब इन्होंने लिमिट लगाई है कि आठ साल से ऊपर का रिवाइज नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जिसका असैसमैंट होना है वह आठ साल तक अपनी सारी बहियां सम्भाल कर रखेगा। पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ये लोग उसको नोटिस भेज देंगे कि तुम.....

श्री उपाध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाए। (ोर एवं व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, आज भी आप देखिये कि तहसील लेबल पर जो रजिस्ट्रियां होती है उनसे

स्माल सेविंग के लिए चंदा लिया जाता है। जब तक स्माल सेविंग में पैसा न दिया जाए तब तक रजिस्ट्री नहीं होती है। (ोर एवं व्यवधान) आप मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखा दूंगा (ोर एवं व्यवधान)। यह टैक्स पेयर के साथ बड़ा भारी अन्याय है.....
.....

वित मंत्री(चौधरी खुर ीद अहमद): आन ए प्वायंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं.....
.....

श्री उपाध्यक्षः महोदय; यह काई प्वायंट आफ आर्डर नहीं हैं। यह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि उन लोगों के साथ बहुत बड़ा इनजिस्टस है। आप टैक्स पेयर के साथ इंसाफ नहीं कर रहे है। एक बार आपने हिसाब लगाकर और चैक करके पैसा ले लिया और वह सरकार के खजाने मैं जमा हो गया लेकिन अब तो यह रख दिया कि नोटिस देकर रिवाइज कर देंगे। इसके अंदर यह प्रोविजन बिल्कुल गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 9 में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट के रिटायर्ड आफिसर जो ऐपिलैट अथोरिटी रहा हो या असैसिंग अथोरिटी रहा हो उसको प्रैक्टिस करने की उसी दफ्तर में इजाजत दी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे भ्रश्टाचार का रास्ता खुलेगा। इसमें गवर्नमैंट

का लौस होगा। इसलिए मैं इसका विरोध करते हुए अपनी सीट लेता हूं।

स्वामी आदित्यवे ा(हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, कराधान मंत्री ने जो यह बिल सदन के समक्ष रखा है, मैं इसका समर्थन करना चाहूंगा क्योंकि सरकार ने लोगों की कठिनाई को अनुभव करते हुए इसके क्लाज 3 में साफ लिखा है कि बरियर पर अगर किसी आदमी को या ट्रक ड्राईवर को पकड़ लिया जाएगा तो उसे सुना जाएगा और सुनने के बाद उस पर जुर्माना आदि किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, पहले बैरियर पर जो भी पकड़ा जाता था उसको बिना सुने ही जुर्माना लगा दिया जाता था लेकिन अब ऐसी बात नहीं होगी बाकायदा पहले उसके केस को सुना जाएगा और फिर एक ान लिया जाएगा। अगर बिना सुने उसके ऊपर जुर्ताना लगा दिया जसए तो फिर यह बड़ा भारी अन्याय है। अब सरकार ने ठीक कर दिया है और उसकी कठिनाई को दूर करने के लिए इस बिल में प्रावधान किया है कि उसको सुना जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि उस ट्रक में क्या माल है वह कहां जा रहा है, सुनने के बाद उस पर कर लगाया जाएगा या जुर्माना लिया जाएगा। इससे पहले क्या होता था कि एक ट्रक बैरियर से जा रहा है और बैरियर पर जो अधिकारी बैठते है वे कुछ पैसा लेकर छोड़ दिया करते थे। अधिकारियों में और ट्रक वालों में सौदा हो जाया करता था और इसी सौदेबाजी को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है.....

श्री मूलचंद जैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य ने बिल को पढ़ा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, अब जो बिल लाया जा रहा है इस बिल के क्लाज 3 में लिखा है कि उसको सुनने का मौका दिया जाएगा और जो एग्जिस्टिंग ऐक्ट है उसके सैक ान 37 (6) अनैक्सचर, सफा 6, में लिखा है–

"Provided that no penality shall be imposed unless the owner of goods has been given a reasonable opportunity of being hear."

तो जो पहले एक्ट था उसमें भी सुनने की बात कही गई है और जो अब बिल लाया गया है उसमें भी सुनने की बात कही गई है।

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, पहले सुनने का कोई मौका नहीं दिया जाता था लेकिन अब यह प्रावधान किया गया है कि जो आदमी ट्रक लेकर जाता है, जो सामान लेकर आता है, उसको सुना जाएगा।

श्रीमती सुशमा स्वराजः स्वामी जी आप कैसे कह रहे है कि पहले सुनने का प्रावधान नहीं था? उसमे लिखा हुआ है ''ओनर आफ दि गुड्ज'' और इसकी हिंदी में मतलब होता है ''चीजों का मालिक''। In the proviso to section 37(6), it is written&

"Provided that no penalty shall be imposed unless the owner of goods has been given reasonable opportunity of being heard."

स्वामी आदित्यवे ा: डिप्टी स्पीकर साहब, इस में साफ लिखा हुआ है कि जो उसका प्रतिनिधि होता था, पहले उसको सुनने का मौका नहीं दिया जाता था अब इन्होंने यह कर दिया है चाहे ओनर आफ दी गुडज हो या प्रतिनिधि हो, उसको सुनने का पूरा मौका दिया जाएगा तब उसके बाद जाकर के कहीं जुर्माना वगैरह या जो कुछ करना होगा, होगा। एक बात और इस बिल के जरिये सरकार करने जा रही है जिससे गरीबों को काफी राहत मिलेगी। पहले प्रिंसीपल एक्ट में यह होता था कि एक आदमी फर्ज कीजिए 400 रूपये लोन लेता था, अगर वह कुछ वर्श वासि नहीं करता था तो उसके ऊपर 700–800 रूपया ब्याज लग जाता था लेनिक अब इस सरकार ने यह कर दिया है कि 500 रूपये की रा ि ा तक अगर कोई लोन लेता है और चाहे वह 100 साल तक उस कर्जे को वापिस नहीं करता तो उसका ब्याज मूल रकम से ज्यादा नहीं होगा। ऐसा करने से सरकार के खजाने पर भार नहीं पड़ेगा। इस अमैंडमैंट के द्वारा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही इस रिकवरी के लिये कोई अलहिदा स्टाफ लगाना पड़ेगा, जो पहले स्टाफ है उसी से ही काम चल जाएगा, इसलिये सरकार की यह पालिसी सराहनीय है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रिंसीपल एक्ट के तहत ऊन से बने कपड़ों पर,

कम्बल पर, जर्सी पर और लोई वगैरह पर टैक्स था लेकिन रूई के नमदों पर कोई टैक्स नहीं था। इसका लोगों ने काफी विरोध किया और कहा कि या तो इन पर भी टैक्स लगाओ नहीं तो हमारे ऊपर से भी टैक्स हटाओ अब हस सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे किसी को भी कोई गिला नहीं होगा। इससे सरकारी खजाने में भी वृद्धि होगी। इन बातों के साथ ही मैं इस बिल को स्पोर्ट करता हुआ इसकी सराहना करता हूं।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक(नौलथा): डिप्टी स्पीकर सहब, मैं इस बिल का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल से सरकार की गलत नीति की बदबू आती है। ये उन आदमियों को जन्होंने कंज्यूमर्ज से टैक्स ले लिया है लेकिन खजाने में जमा नहीं करवाया है, इस बिल के द्वारा हर प्रकार का लाइसैंस हर प्रकार की छूट देने जा रहे है। डिप्टी स्पीकर साहब, जो पुरानी सैक ंज थीं, उसके तहत यह था कि अगर एक आदमी सेल्ज टैक्स जमा नहीं करवाता तो उससे एक परसैंट के हिसाब से ब्याज वसूल किया जाएगा अब इस बिल के तहत सरकार यह करने जा रही है कि अगर किसी आदमी ने सेल्ज टैक्स जमा नहीं करवाया है और कंज्यूमर्ज से ले रखा है, पब्लिक मनी अपने पास रखी है तो उसको इस बात का लाइसैंस दे दिया है कि वह सेल्ज टैक्स जमा करवाये या न करवाये। ऐसा है कि अगर एक आदमी के पास पांच सौ रूपये है तो मूल रा ि ा से ऊपर उस पर टैक्स नहीं होगा चाहे वह उस रा ि ा को सौ साल

तक अपने पास रखे। ऐसा करके सरकार जो पूंजीपतियों को उत्साह दे रही है, यह कोई उचित बात नहीं है, सरकार की यह गंदी नीति है। पूंजीपतियों की, सरकार दलाली कर रही है। इस तरह से करप ान बढ़ेगी। सरकार इस प्रकार से इस बिल के जरिये सेल्ज टैक्स की चोरी करने वालों को प्रोत्साहन दे रही है, इस तरह का लाईसैंस दे रही है कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, सरकारी खजाने को दबा कर लूटो। क्योंकि यह सरकार पूंजिपतियों की सरकार है इसलिये पूंजिपतियों को राहत दे रही है।

डिप्टी स्पीकर साहब, क्लाज 4 के बारे में चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की बात को मैं स्पोर्ट करता हूं। पहले यह था कि फैसला होने के बाद साठ दिन के अंदर–अंदर आप आगे अपील कर सकते थे लेकिन अब इन्होंने यह कर दिया है कि जिस दिन फैसले की नकल आदमी को मिलती है, उस दिन के बाद साठ दिन के अंदर–अंदर अपील की जा सकेगी। इस तरह की छूट अब ये देने जा रहे है। तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जो कुछ इस बिल के जरिये करने जा रही है इससे केवल पूंजीपतियों को ही राहत मिलेगी गरीब आदमी को इससे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी छूट तो भायद कभी भी नहीं दी गई होगी कि एक आदमी कर्जा लेकर चाहे कहीं पर चला जाए और सौ साल तक भी अगर वह उस पैसे को रिटर्न न करे तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसलिये मैं

दोबारा फिर यह कहना चाहता हूं कि जो लोग टैक्स चोरी करते है, कंज्यूमर्ज से पैसा इक्ट्ठा करते है, और खजाने में जमा नहीं करवाते है, उनको नाजायज छूट दी जा रही है (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक दो बातें और कहकर समाप्त कर दूंगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, इससे पहले ऐक्ट में यह होता था कि एक कमि नर को काफी पावर्ज थी। अगर उसके नोटिस में यह लाया जाता था कि फलां आदमी ने टैक्स की चोरी की है, सेल्ज टैक्स नहीं दिया है तो वह कमि नर दोबारा अपने फैसले को रिव्यू कर सकता था लेकिन अब राठी साहब ने भायद इस को पढ़ा नहीं, और भायद अफसरों ने भी इनको बताया नहीं होगा, अब इन्होंने इसके लिये टाईम फिक्स कर दिया और कहा कि आठ साल से ज्यादा फालतू असैसमैंट नहीं करेंगे। इसलिये यह एक और किस्म की बदबू इनके इस बिल से आ रही है इससे सरकारी की नीति साफ जाहिर हो जाती है कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है ओर पूंजीपतियों को ऊपर लाना चाहती है। चौथी बात डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं और इस बात का विरोध करता हूं कि सरकार ने सरकारी अधिकारियों को जो उसी विभाग में काम कर चुके है प्रैक्टिस करने की इजाजत दे दी है। आपको पता है कि एक जज हाई कोर्ट से रिटायर होकर केवल सुप्रीम कोर्ट में ही वकालत कर सकता है इसलिये जो उसी विभाग के अधिकारी है वे ऐक्साईज विभाग के दूसरे अधिकारियों से मिल कर करप ान को बढ़ावा देंगे इसलिये इस एक्ट के तहत जो यह

सरकार करने जा रही है कि इसी विभाग के अधिकारी रिटायर होकर वहीं पर वकालत कर सकते है, यह नीति सरकार की उचित नहीं है। मैं इस एक्ट का विरोध करता हूं और राठी साहब से भी यह कहता हूं कि वह भी इनकी दलाली करना छोड़ दें। जिन्होंने टैक्स की चोरी की है, ऐसे लोगो के खिलाफ एक ान लें। अगर इसी तरह यह सरकार चलती रही तो 49 करोड़ का जो घाटा है, वह बढ़कर सौ करोड़ तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।

श्रीमूलचंद मंगला(पलवल): डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इस बिल में सेल्ज टैक्स को खत्म करने की अमैंडमैंट लाई जाती तो मैं इस बिल की स्पोर्ट करता। मैं यह समझता हूं कि कोई भी सरकार टैक्स के बगैर नहीं चल सकती। पीछे सैंट्रल गवर्नमैंट ने सारे प्रांतों के टैक्से ान मिनिस्टरों को बुलाया था और कोि ा ा की थी कि सेल्ज टैक्स खत्म करके इसकी जगह कोई और डयूटी लगाई जाए। मैं यह चाहता हूं कि सेल्ज टैक्स को खत्म करके इसकी जगह कोई ऐक्साइज डयूटी लगाई जाए या लाइसैंस फीस लगाई जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो हमारे व्यापारी भी जिनकों आज बेईमान कहा जाता है इस इलजाम से बच जाएंगे और हमारे सरकारी अधिकारी भी बच जाएंगे जिनको कहा जाता है कि वे रि वत खाते है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस मसय जो टैक्स लगता है वह 75 प्रति ात चीज पर लगता है क्योंकि उसमें से 25 प्रति ात चीज तो खराब हो जाती है लेकिन अगर एक्साइज डयूटी लग जाए तो वह कारखाने से माल निकलते

वक्त सारे माल पर ही लगेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल में कोई ऐसी तरमीम लाकर हरियाणा सारे दे ा में इस चीज की पहल करे। ऐसा करने से व्यापारियों को भी बेईमान नहीं कहा जाएगा और अफसरों को भी रि वतखोर नहीं कहा जाएगा।

कामरेड भांकर लाल(सिरसा): डिप्टी स्पीकर साहब, सेल्ज टैक्स के बारे में ंजो बिल आया है और अभी हमारे साथी वधवा साहब तथा दसूरे साथियों ने इस बारे में जो कहा मैं उसकी स्पोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सेल्ज टैक्स के बारे में बहुत दिन से यह प्रचार हो रहा था कि इसको खत्म करेंगे। मैं इस बारे में बहुत दिन से यह प्रचार हो रहा था कि इसको खत्म करेंगे। मैं इस बारे में यह सुझाव देना चाहता हूं कि जहां से चीज बनती है उसी जगह से उस चीज पर टैक्स लग कर आए। ऐसा करने से टैक्स कीचोरी नहीं होगी ओर दूसरे जो अफसर लोग है वे दुकानदारों पर ज्यादा हावी नहीं होंगे। वे अफसर छोटे दुकानदारों के ऊपर उस तरह से हावी रहते है जैसे सरकार स्माल सेविंग स्र्टीफिकेट अलाट करती है और हर हंस्पैक्टर या अफसर के जिम्मे लगा देती है कि आपने इतने लाखे के स्र्टीफिकेट जरूर बेचने है और वे जाकर लोगों पर हावी हो जाते है इसी प्रकार से ये अफसर दुकानदारों पर हावी हो जाते है कि आपसे इतना टैक्स लेना है।

श्री उपाध्यक्षः कामरेड जी, आप अमैंडमैंट के बारे में बोलें। जो बात आप कह रहे है इसका अमैंडमैंट में कोई जिक्र नहीं है।

कामरेड भांकर लालः ये सेल्ज टैक्स अफसर दुकानदारों से जब्रदस्ती पैसा लेने की कोि ा ा करते है। ये लोग इतनी धांधलेबाजी करते है कि लोगों के साथ बहुत अन्याय होता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे दुकानदारों के ऊपर यह टैक्स लागू नहीं होना चाहिए, जहां से चीज बन कर आए वहीं पर टैक्स लगे।

आबकारी तथा कराधान मंत्री(चौधरी मेहर सिंह राठी): डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने एतराज किया कि महकमें के अफसरों को रिटायरमैंट के दो साल बाद प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमने जो फैसला किया है वह ठीक ही किया है। पंजाब में यह आलरेडी है। एक अफसर जब रिटायर हो जाता है तो उस ने अपने बाल बच्चे भी पालने होते है। हमारी स्टेट इतनी बड़ीहै कि वह कहीं भी जाकर लग सकता है। यह जरूरी नहीं कि जहां से वह रिटायर हुआ है उसी जगह पर ही लगे। फिर भी अगर हमें कोई ऐसी ि ाकायत मिलती है या मिलेगी तो हम उसी वक्त उसको हटाने के लिए तैयार रहते है। इसलिये यह जायज बात है। इसके बाद जहां तक बैरियर्ज की चैकिंग की बात है, हम तीन चार जीपें खरीदनें जा रहे है और चैकिंग का काम काफी किया करेंगे।

अभी पीछे कुछ ट्रक चने के निकल गये थे जिससे स्टेट में काफी घपला हुआ। हमने उसकी चैकिंग करवाई है और ऐक ान लेने जा रहे है, किसी कसूरवार को छोड़ेंगे नहीं।

श्री मूलचंद जैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सरकार ने क्लेम किया है कि वह टैक्स की इवेजन रोकने के लिये बैरियर्ज की चैकिंग बढ़ा रही है। लेकिन इस बिल में कौन सा प्रोवीजन है कि बैरियर्ज पर चैकिंग की जाएगी?

चौधरी मेहर सिंह राठीः जैन साहब, ने आठ साल की बात कही। पहले एक व्यापारी अगर मर जाता था तो उसके बच्चों पर तलवार लटकी रहती थी और सेल्ज टैक्स वाले कभी आकर चैक कर सकते थे। लेकिन अब हमने आठ साल का पीरियड फिक्स कर दिया है। यह कहां का इंसाफ था कि एक आदमी का दादा कुछ कर गया और बेटे को आकर पकड़ लो। ऐसा करके तो हमने इंसाफ किया है। ये सारी बातें टैक्स स्ट्रक्चर कमेटी की मीटिंग में आ चुकी है और इन पर पुरी तरह से बहस के बाद तथा हर आदमी को पूरा मौका देने के बाद हम यह अमैंडमैंट लाए है। जहां तक अपील की बात है, इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर महकमें वाले किसी को नक्ल न दें और अपील का टाईम चला जाए तो यह व्यापारी के साथ इंसाफ नहीं होगा। कोर्टस में भी ऐसा ही है और इंकम टैक्स महकमें में भी ऐसा ही है कि जो दर्खास्त देता है उसको नकल देने का टाईम इन साठ दिनों में निकाल दिया जाता है। यह तो हमने

अच्छी बात की है कि उसे टाईम दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाजिज 2 से 8

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाजिज 2 से 8 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की क्लाज 9 पर सदन में बहुत एतराज उठाए गए है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार इसमें एक्साइज एंड टैक्से ान डिपार्टमैंट के आफिसर्ज को यह सुविधा प्रदान कर रही हैं कि वह अपनी रिटायरमैंट के दो वर्श बाद उन्हीं असैसिंग अथोरटीज के सामने प्रैक्टिस करने का अधिकार रख सकता है। भाई वीरेंद्र सिह ने इस पर बोलते हुए एक बहुत साउंड दलील

दीथी कि जो भी व्यक्ति एक्साइज एंड टैक्से ान डिपार्टमैंट में काम कर गया है बतौर असैसिंग अथोरिटी, बतौर रिवाइजिंग अथोरिटी वह जब जा कर उस समय की तत्कालीन असैसिंग अथोरिटी के सामने काम करेगा तो वह जो सबोर्डिने ान का एक आम एहसास होता है वह उस जज के मन में बना रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप यह जानते है कि कोई भी न्यायधी ा चाहे वह ऐग्जैक्टिव अथेरिटी हो जब वह जुडि ियल अथोरिटी के सामने बैठता है तो हर आदमी चुंकि आफटरआल हुमन बीइंग तो है, उसके अंदर हुमैन वीकनैसिज होना बहुत जरूरी है तथा मन के किसी न किसी कोने में थोड़ा बहुत लिहाज जरूर रह जाता है। उपाध्यक्ष महोदय यह बात तो ठीक है कि जजिज को अकोमोडे ान आफि ियली दी जानी चाहिए वरना अगर वह किसी मकान मालिक के बारे में सोफ्ट कोरनर रह जाता है जिससे कि न्याय करने में दिक्कत और बाधा उत्पन्न होती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके है कि एक व्यक्ति जिस बड़े आफिसर का सबोर्डिनेट रह चुका है तो पुराने लिहाज मुलाहिजें उसके सामने जरूर आते है जब वह व्यक्ति बतौर वकील की हैसियत से उसके सामने किसी भी व्यक्ति की पैरवी करता है।

श्री उपाध्यक्षः मैडम, आप तो उन्हीं बातों को रिपीट कर रही है जो बातें पहले हाउस में आ चुकी है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, उन बातों को रिपीट करने की आव यकता महज इसलिये पड़ी क्योंकि मंत्री

महोदय ने इनका जवाब नहीं दिया है मैं पहले ही बोल लेती लेकिन चूंकि मैंने यह महसूस किया कि इन तमाम दलीलों का जवाब मंत्री महोदय भी अपने किसी साउंड आर्गुमैंटस से देंगे लेकिन आपने भी सुना होगा मंत्री महोदये ने उन तमाम गम्भीर दलीलों को मजाक में उड़ा दिया यह कह करके कि उन आफिसर्ज को अपने बच्चे पालने है तो उनको पै ान भी मिलती है, वह कोई बिजनैस भी कर सकसते हैं, फारमिंग कर सकते है, अपनी खेतीबाड़ी कर सकते है और कुछ नहीं तो चुनाव लड़ सकते है। लेकिन मंत्री महोदय उन तमाम चीजों को छोड़ करके इतने मजाक की दलील दें कि उन्हें अपने बच्चे पालने है तो कोई बात जंचती नहीं है। इसलिये मुझे बोलने के लिए खड़ा होना पड़ा। (ाोर)

श्रम उप मंत्री(चौधरी लाल सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, अभी बहन जी ने कहा कि अगर किसी आदमी के पास कुछ काम नहीं है तो वह चुनाव लड़ लें। क्या बहन जी, चुनाव लड़ना उन्हींक का काम है जिनके पास कोई काम नहीं? (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। (ाोर)

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई साउंड दलील पहले ही हाउस में आ गई हो और उस दलील का जवाब भी उतना ही साउंड आ गया होता तो मुझे उठने की

जरूरत ही नहीं थी लेकिन मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि ये इस दलील का जवाब दें कि वाकई यह बिल क्यों ला रहे है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा(मेहम): उपाध्यक्ष महोदय, बहन सुशमा जी ने एक बात कही कि अगर किसी महकमे के आफिसर को रिटायरमैंट के बाद प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाएगी तो जो सवोर्डिने ान काएक आम एहसास होता है वह उसजज के मन में बना रहेगा लेकिन ऐसी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जो मिनिस्टर्ज है इनमें से बहुत से मिनिस्टर्ज लाइयर्ज है और जब मिनिस्टर नहीं रहते उस वक्त वह प्रैक्टिस करते है। डी0सी0 के सामने भी अपीयर होते है, कमी नर के समाने भी अपीयर होते है और डायरेक्टर कंसोलीडे ान के सामने भी अपीयर होते है। अगर सर्बोडिने ान की कोई बात हो तो वे लोग भी ऐसा फील कर सकते है लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई सबोर्डिने ान की बात नहीं है। इसमें बात नीयत की है। अगर प्रिजाइडिंग आफिसर अच्छा होगा तो वह सबोर्डिने ान की बात नहीं देखेगा। इसलिये यह बहुत अच्छी प्रथा है कि एक आदमी अपनी रिटायरमैंट के बाद रोजी कमा सके। इन भाब्दों के साथ मैं इस क्लाज का समर्थन करता हूं।

आबकारी तथा कराधान मंत्री(चौधरी मेहर सिंह राठी): उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती सुशमा स्वराज जी ने इस क्लाज पर बोलते हुए काफी कुछ कहा है लेकिन हाई कोर्ट के कितने ही जजिज होते है सुप्रीम कोर्ट के कितने ही जजिज होते है ओर

नीचे लोआ कोर्टस के भी कितने ही सब जजिज होते है जिनको प्रैक्टिस करने की इजाजत हैं पंजाब में यह बात अभी भी है। काम करके खाने में क्या दुख है? अगर कोई भाई कमा करके खाना चाहता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिये इस बिल को पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है.

कि क्लाज 9 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाजिज 10 से 12

श्री उपाध्क्षः प्र न है कि–

कि क्लाजिज 10 से 12 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आबकारी तथा कराधान मंत्री(चौधरी मेहर सिंह राठी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री मूल चंद जैन(सम्भालखां): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बात कीतरफ सरकार की तवज्जों दिलाना चाहता हूं कि यह जो निगरानी की मियाद आठ वर्श की मुकर्रर की है इस बारे में मेरे प्वायंटस का मिनिस्टर साहब ने कोई जवाब ही नहीं दिया। इन्होंने एक और प्वायंट ले लिया कि साहब असैसिज के ऊपर काफी अर्सें से तलवार लटकती चली आ रही थी जैसे दादा के समय में टैक्स लगा हो तो पोतों तक के

अकाउंटस भी मंगवाये जा सकते थे। क्या मंत्री जी ऐसी कोई मिसाल बातएंगे कि कभी ऐसा हुआ है? डिप्टी स्पीकर साहब, अगर किसी आदमी ने बिक्री टैक्स को छिपाया है तो उसके लिये तो कानून में काफी प्रोवीजंज है। उन प्रोविजंज में न सिर्फ रिवीजनल अथोरिटीज ही फाईनल अथोरटी है बल्कि असैसिंग अथोरटी भी उसको रिवाइज कर सकती है। यह जो प्रोवीजन है इसमें मेरा यह जो भाक हैस उसका जवाब मिनिस्टर साहब ने नहीं दिया। ये तो उन लोगों के लिये जिनकें जिम्मे लाखों और करोड़ों रूपए टैक्स के बाकी है, उनके टैक्सिज को रीवाइज करने के लिये यह पावर ले रहे हैं। यह मेरा भाक है लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मेरी इस बात का मिनिस्टर साहब जवाब दें।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1981

Development Minister(Rao Dalip Singh): Sir, I beg to move-

"That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill taken into consideration at once.

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब पंचायत समितिज(हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

डा0 मंगल सैन(रोहतक): डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने पंजाब पंचायत **(13.00बजे)** समितिज (हरियाणा सं ोधन) विधेयक, 1981 के सदन में पे ा किया है और जो सं ोधन सरकार करना चाहती है वह बड़ा सीरिया है, इसके जरिये ग्रामीण क्षेत्र में एक नई लीडरीि ाप प्रोवाइड करने वाली बात है। इस अमैंडिग बिल द्वारा सरकार ग्राम समूह की व्यवस्था को ठीक करने के लिए और उनकी स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए यह कदम उठा रही है। समिति क्षेत्र जो समिति की परिधि में आता है, उसमे लोगों ने अपने–अपने पंच और सरपंच अपने प्रतिनिधि चुनने है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस अमैंडिंग बिल के जरिये से चौधरी भजन लाल की सरकार मौलिक अधिकारों का हनन करके लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। इन्होंने बिल में कहा है कि दो सदस्य सहकारी समितियों की ओर से नौमीनेट होंगे। क्यों नौमीनेट होंगे? उस क्षेत्र में जो सहकारी समितियां है उन मैं से चुनकर क्यों नही आयेंगे? इस बात का कोई जवाब नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये भी उस सज्जन की तरह करना चाहते है जिन्होंने पावर में आते ही मार्किट कमेटियों के चुनाव समाप्त कर दिये थे लेकिन जब वे स्वयं ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे तो उन्हें नौमीने ान करने में कितनी दिक्कत आई थी और उसके बाद काम करने में कितनी परे ाानी का सामना करना पड़ाा

था यह वे जानते है। इसलिए इसमें इलैक्टिड ऐलीमैंट होना चाहिए निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए, नौमीने ान करना उचित नहीं है। फिर इन्होंने फर्माया कि जोन बनेंगे तहसील समितियां बनेगी। यह जोन कौन बनायेगा? सरकार बनायेगी और नोटीफाई करेगी। मेरे विचार में इतना अधिकार सरकार को नहीं देना चाहिए क्योंकि सरकार को निर्बाध अधिकार देना बिल्कुल गलत है प्रजातंत्र का गला घोंटने वाली बात है। सरकार पर अंकु ा रहना चाहिए इनकी मर्जी के ऊपर इनके विम पर सारा मामला नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हाई कोर्ट का जज हो चाहे कोई ऐडवोकेट हो चाहे लीगल रिमैम्बरेंसर हो, इन में से किसी के पास भी डिपार्टमैंट के अधिकारी जाएं और दिखाएं कि हम यह कानू बनाने जा रहे है क्या यह ठीक है या गलत ज्योग्राफिकली ठीक है या गलत। इन सब बातों पर वे विचार करें और सोचें कि अगर यह अधिकार सरकार को दे दिये जाएं तो सरकार इस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेगी। डिप्टी स्पीकर साहब, इस अमैंडिंग बिल के जरिये सरकार नये ब्लाकों की डिमारके ान इस ढंग से करवा देगी जिससे इनके अपने आदमी, इनके अपने चहेते चुने जा सकें। मुझे आपति इसी में है कि सरकार नये ब्लाक्स अपनी मर्जी के मुताबिक बनायेगी। इसलिए नये ब्लाकों का चुनाव होना चाहिए और इस चुनाव के लिए एक समिति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार ने समितियों के नये चुनाव करवाने का संकेत बिल्कुल नहीं दिया। मैं राव दलीप सिंह जी से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं ये बड़े सज्जन आदमी है बड़ी देर से मेरे साथ विधान सभा में है, मैं

एक टर्म चुन कर नहीं आ सका लेकिन ये हमे ा चुनकर आये, मैं इनसे प्रार्थना करता हूं कि समितियों के चुनाव की तारीख तय कर लें। आपने नागरिक ब्लाकों का चुनाव जून में करने का फैसला तो कर लिया है, बाकी चुनाव भी जून तक करवाने की कृपा करें। डिप्टी स्पीकर साहब, 1978 में ग्राम सभा के चुनाव हुए थे, अब तीन साल के बाद सरकार अंगड़ाई लेकर उठी है, अब भी पता नहीं कितने दिन लगेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब इनको लोकतंत्र पर जनता पर वि वास होना चाहिए। जनता अपना प्रतिनिधि चुने या ने चुने लेकिन प्रभुसता जनता जनार्दन के हाथ होनी चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

स्वामी आदित्यवे ा(हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की तीन वि ोशताएं है। एक तो यह है कि ब्लाक के मैम्बर जो चुने जाते थे वे एक ही जगह से आ जाते थे जिसके कारण दूसरे क्षेत्र प्रतिनिधित्व के बिना रह जाते थे। इस बिल मैं सं ोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि एक क्षेत्र से एक से ज्यादा प्रतिनिधि न आ पायें। ब्लाकों को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देंगे ताकि हर क्षेत्र को रिप्रैजैटे ान मिल सके। इससे पहले बैकवर्ड क्लासिज और ि ाड्यूल्ड ट्राईबज के लिए बिल में कोई प्रोविजन नहीं था। इस लकूना को दूर करने के लिए सरकार ने यह प्रोवीजन कर दिया है कि ब्लाकों में 25 परसैंट ि ाड्यूल कास्ट्स और ि ाड्यूल्ड ट्राईबज लिए जाएंगे। यह बड़ा

सराहनीय कदम उठाया गया है। जब सरकार कानून सदन के सामने रख रही है तो इससे संबंधित होता है कि सरकार चुनाव भी जल्दी ही करवायेगी। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

चौधरी संत कंवर(हसनगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, इस एक्ट में जो अमैंडमैंट लाई गई है मैं इसका पुरजोर लफ्जों में विरोध करता हूं। अगर कोई अमैंडमैंट लानी ही थी तो यह लानी चाहिए थी कि ब्लाक समितियों के अन्दर सरकारी नौमिने ान नहीं होगा। आपने विधेयक के पृश्ठ 3 पर यह लिखा है–

''पंचायत समिति की अधिकारिता के भीतर सहकारी सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य जो सरकार या किसी ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा नामतद किए जाएं जो सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः ये प्रतिनिधि भी पब्लिक के नुमांयदे ही होंगे।

चौधरी संत कंवरः ये जो सदन में बैठे हुए है ये भी पब्लिक के आदमी है यही नामजद करेंगे क्योंकि जैसा आदे ा सरकार का होगा उसके मुताबिक पंचायत समितियों के मैम्बर और चेयरमैन चुने जायेंगे। इसके बाद पंचायत समितियों का जो फैसला हुआ करेगा वह सरकार के आदे ा से होगा इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, जिला

परिशदोयं के चुनाव का प्रावधान सरकार ने आज तक नहीं किया। मैंने इस सिलसिलें में एक मंत्री से बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर जिला परिशद बना दी गई तो जिला स्तर पर दल–बदली भाुरू हो जायेगी। इससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि डा0 मंगल सैन कुछ ऐसा ही कह रहे थे कि मुख्य मंत्री दल–बदल कर 37 सदस्यों के साथ कांग्रेस (आई0) में गये लेकिन कांग्रेस (आई0) ने उनको आज तक भाामिल नहीं किया, प्रोबे ानल पीरियड पर काम कर रहे है। (व्यवधान) इस तरह दल–बदल कर और प्रोबे ानल पीरियड पर यह सरकार चल रही है, अगर जिला स्तर पर जिला परिशदें बनाने से दल–बदल जायेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? (व्यवधान) अगर आप में हिम्मत है तो इसी वक्त चुनाव करवा कर देख लो जल्दी चुनाव करवाओ और देख लो कि क्या रिजल्ट निकलता है? (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार द्वारा यह जो नौमिने ान किया जा रहा है यह बहुत ही गलत साबित होगा। इसके इलावा मैं साथ ही साथ एक सुझाव देना चाहता हूं कि पंचायत समितियों को अधिकार बहुत ही कम है, इनको ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। बी0डी0ओ0 जिस ढंग से फैसला करता है जो भी फैसला उसके द्वारा होता है वह सरकार के दबाव आफिसर्ज के दबाव के जरिये करता है। मौजूदा सिस्टम के मुताबिक पंचायत समितियां नाकारा हो जाएंगी इसलिए एक्ट में यह बात आनी चाहिए कि अगर ब्लाक डिवैल्पमैंट आफिसर कोई गलत काम करता है तो उसका डिसीजन बदलने के लिए ब्लाक समितियों को कम्पीटैंट होना चाहिए, लेकिन एक्ट के मुताबिक यह

व्यवस्था नहीं है। यह बहुत जरूरी है ब्लाक डिवैल्पमैंट आफिसर कई मामलों में ज्यादती कर जाते है। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

स्वामी अग्निवे ा(पुंडरी): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1981 आया है मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित विधेयक लाया गया हैं । पंचायत समितियों का गठन किया जाना अपने आप में एक अच्छा कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले पंचायत समिति के अंदर एक गांव से एक दो और तीन चार गांवों से सारे सदस्य चले जाते थे लेकिन अब जो गांवों का जोन बनाया जा रहा है उससे ऐसी संभावना है कि पूर इलाकें को प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह एक अच्छा काम है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। दूसरे हरिजन भाईयों के लिए आम तौर पर बीस प्रति ात आरक्षण की बात है लेकिन इस विधेयक के अंदर 25 प्रति ात आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए रखा गया है। यह भी बहुत अच्छी बात है। इसलिए भी मैं इसका अनुमोदन करता हूं। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, इसका नाम मुझे बड़ा अजीब लगता है। आप स्वयं देखें कि हरियाणा को बने हुए 15 साल से ज्यादा होने जा रहे है लेकिन इस बिल का नाम क्या है? पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1981। एक्ट जो हे वह पंजाब के नाम से और सं ाोधन हरियाणा के नाम से। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सरकार क्यों नहीं एक बिल लाकर

यह करती है कि जितने भी हमारे हरियाणा के अंदर पंजाब के एक्टस चल रहे है उनके नाम पंजाब की जगह हरियाणा पढ़ा जाए? मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस बात का आ वासन सदन को दें।

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): ऐसा करने के लिए सारे एक्टस बदलने पड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्षः 1961 में यह एक्ट बना था जबकि हरियाणा एग्जिस्टैंस में नहीं था। इसलिए सारी बातों को देखना पड़ता है।

स्वामी अग्निवे ा: जब अंग्रेजों के सारे कानून स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद बदल दिए गए तो इन्हें क्यों नहीं बदला जा सकता?

श्री उपाध्यक्षः वे भी अभी चल रहे है। आप जरा उनको देखें।

चौधरी राजेंद्र सिंह(बल्लभगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमैंडमैंट बिल राव दलीप सिंह जी ने पे ा किया है मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बिल सारे प्रदे ा के वि ोशकर ग्रामीण लोगों के भले का बिल है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले हरेक ब्लाक समिति के अंदर दो या तीन गांव के ब्लाक समिति के मैम्बर्ज का होल्ड हुआ करता था और सारा पैसा दो, तीन या चार गांवों में लगा करता था। यह बहुत ही बढ़िया

बिल राव साहब ने पे ा किया है। इससे ब्लाक समिति के सारे गांवों को जोन बनने से ठीक रिप्रैजैंटे ान मिलेगा और सारे क्षेत्र के अंदर डिवैल्पमैंट होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, डा0 मंगल सैन ने बोलते हुए जो कहा कि कोआप्रेटिव सोसाइटिज की तरफ से चुने हुए दो मैम्बर्ज होने चाहिए, मैं उसका विरोध करता हूं और कहता हूं कि ये नौमिनेटि ही होने चाहिए। इन भाब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ब्लाक समितिज के चुनाव भीघ्रति ीघ्र करवाएं जाए।

चौधरी उदय सिंह दलाल(बादली): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं किसी की नुक्ताचीनी की वजह से तो नहीं कह रहा हूं लेकिन यह सच है कि मेरे बहुत से साथियों को न तो पंचायत एक्ट की जानकारी है और न ही वे पंचायत के नुमांयदे रहे है। जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है इनकी पहले भी ब्लाक समिति में कोआप्रे ान होती थी और चार हरिजन लिए जाते थे। यह सरकार ने कोई नई बात नहीं की है। हां रिजर्वे ान जो 20 से 25 परसैंट की गई है यह बढ़िया बात है। यह बात पहले नहीं थी। डिप्टी स्पीकर साहब, में उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता जो पहले कही जा चुकी है लेकिन इतना कहूंगा कि चुनाव सिस्टम को सिकोड़ कर देहाती लीडर ाप को खत्म करने का सरकार का प्रोग्राम है। यह कभी भी किसी कसे सेध सकता है। हालात का क्या पता है लेकिन अगर ये रिवाज डाल देंगे तो यह

रिवाज सेधेगा। ब्लाक समिति पूरे ब्लाक की होती थी। डिप्टी स्पीकर साहब कोआप्रेटिव सोसाइटीज के दो नुमांयदे पहले चुने होते थे लेकिन अब ये उनको नौमिनेट करने का प्रोग्राम बना रहे है। यह ठीक बात नहीं है। हो सकता है ऐसा करने से कोई ऐसे आदमी उनके सिर पर आकर बैठ जाएं जिनकी कोई हैसियत न हों, जिनकी बात कोई मानता न हो और सोसाइटीज वाले उनको पसंद न करते हों। इसलिए मैं मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि पहली बार ही वे ऐसा बिल हाउस में लाकर पाप न करें। इससे हमारे माथे पर कलंक लगेगा कि हमने चुनाव सिस्टम को तोड़ दिया है।

चौधरी रिजक राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तीन दफा खड़ा हो लिया लेकिन आपने मुझे बोलने का टाईम नहीं दिया। What is prejudice against me? क्या ऐसे ही यहां बैठे है? मैं हर स्टेज पर बोलने के लिए खड़ा हुआ लेकिन आपने न कंसिड्रे ान की स्टेज पर और न ही पास करने की स्टेज पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एंड वेलिडे ान) बिल पर भी बोलना चाहता था लेकिन आपने उस वक्त भी मुझे बोलने के लिए टाईम नहीं दिया। क्या आप यह समझते है कि हम यहां फजूल ही बैठे है?

श्री उपाध्यक्ष: चौधरी साहब, आप अब बोल लीजिए।

चौधरी रिजक रामः पता नहीं क्यों आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते?

श्री उपाध्यक्षः चौधरी साहब, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अब बोल लीजिए।

चौधरी रिजक रामः अब मैं नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्षः मंत्री महोदय।

विकास मंत्री(राव दलीप सिंह): आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, इस विधेयक के बारे में अगर कोई अपोजी ान है तो यह है कि कोआप्रेटिव सोसाइटीज की तरफ से इलैक ान होने चाहिए नौमिने ान नहीं। मैं आपके माध्यम से हाउस को बताना चाहता हूं कि कोआप्रेटिव सोसाइटिज के नुमायंदे आम तौर पर काफी देर से ब्लाक समितिज में चुन कर आते है और कई बार आते ही नहीं तथा सीटें खाली रहती है। उन सीटस को जल्दी भरने के लिए नौमिने ान का प्रोविजन रखा गया है। मैं स्वयं पंचायत समिति में रहा हूं और डिपार्टमैंट का भी यह अनुभव है कि वे सीटें अक्सर खाली रहती है। उनको जल्दी फिल–अप करने के लिए और पंचायत समिति फंक ान करे इस परपज के लिए यह प्रोवीजन रखा गया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल का जो स्पै ाल रिडीमिक फीचर है उसकी स्वामी अग्निवे ा जी को छोड़ कर किसी ने सराहना नहीं की। वह है कि हरिजनों की रिजर्वे ान

20 परसैंट से 25 परसैंट की गई है। पहले हरिजन मैम्बर्ज कोआप्रे ान में लिए जाते थे लेकिन अब वे चुन कर आएंगे। चौधरी उदय सिंह दलाल7 जी इस बात को ऐप्रि ाएट नहीं कर सके। डिप्टी स्पीकर साहब, एक मैम्बर जो कोऔप्ट होकर आता है उसका स्टेटस और होता है। वह अपने को इलथ्क्टड रिप्रैजैंटेटिव के बराबर का नहीं समझता। जो मैम्बर चुन कर आता है उसको मान और सम्मान मिलेगा। पहले जो दो तीन आदमी कोऔप्ट होकर आते थे वे आने आपकों चुने हुए लोगों के बराबर नहीं समझते थे और वे अपने आपको आजाद महसूस नहीं करते थे। आज हमने उनको बराबर का मैम्बर बनाया। उनको 25 परसैंट रिप्रैजैंटे ान देकर बराबर का मैम्बर बनाया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आदरणीय डा0 साहब ने कहा कि इलैक ान के लिए टाईम नि चत नहीं किया गया है। हमारा पूरा विचार है कि छः महीने मैं इलैक ान करा देंगे। अभी जोन बनाने है रूल्ज बनायेंगे उनकी नोटिफिके ान होनी है इसलिए उनमें टाईम तो लगेगा। फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते कि दो महीने में जोन बन जायेंगे। हम चाहते है कि जल्दी से जल्दी इलैक ान हों।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: There is an amendment to this clause from Dr. Mangal Sein. He may please move it.

Dr. Mangal Sein: Sir, I beg to move-

For the proposed clause '(14)' fo section 2 of the Principal Act, the following clause be substituted-

"(14)" "Zone" means such area as may be decided by a Committee comprising of a sitting High Court judge and Legal Remembrance of the State Government, then Government may delcare, by notification, to be zone, taking into consideration the number of Panchesa and Panchayats."

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

For the proposed clause '(14)' of section 2 of the Principal Act, the following clause be substituted-

"(14)" "Zone" means such area as may be decided by a Committee comprising of a sitting High Court judge and Legal Remembrance of the State Government, then Government may delcare, by notification, to be zone, taking into consideration the number of Panchesa and Panchayats."

डा0 मंगल सैन(रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि सरकार की मर्जी के मुताबिक जोन्ज की डीलिमिटे ान होगी। यह सरकार के अंदर नहीं होनी चाहिए

बल्कि वह जुडीि ायल बैकग्राउंड के व्यक्ति के अंडर होनी चाहिए। यह काम कम से कम किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज को किसी लीगल रिमैम्ब्रैसर को साथ लगा कर करना चाहिए। यह मेरा सं ोधन है।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

For the proposed clause '(14)' of section 2 of the Principal Act, the following clause be substituted-

"(14)" "Zone" means such area as may be decided by a Committee comprising of a sitting High Court judge and Legal Remembrance of the State Government, then Government may delcare, by notification, to be zone, taking into consideration the number of Panchesa and Panchayats."

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker: There is also amendment to this clause from Dr. Mangal Sein. He may please move it.

Dr. Mangal Sein: Sir, I beg to move-

In proposed clause (aa) of clause 3(i) (d), for the words "nominated by the Government or any other officer, who

may be authorised in this behalf by the Government," the words, "elected as prescribed" be substituted.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

In proposed clause (aa) of clause 3(i), for the words "nominated by the Government or any other officer, who may be authorised in this behalf by the Government," the words, "elected as prescribed" be substituted.

डा0 मंगल सैन(रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रथम वाचन में भी यह बात कहीं थी और यह निवेदन किया था कि इसमें नौमिने ान नहीं होनी चाहिए लेकिन राव दलीप सिंह जी ने कहा कि हमारे डिपार्टमैंट का यह तजुर्बा है और अपना भी तजुर्बा बताया कि सहकारी समिसति के लोग प्रतिनिधि चुनने में बड़ी देर कर देते है और कई प्रतिनिधि चुनते ही नहीं हैं। यह संतोशजनक उतर नहीं है। अगर यही कठिनाई है तो सरकार को पहले यह बात करनी चाहिए कि हम एक महीने की अवधि सहकारी समिति वालों को देंगे कि वे इस अवधि में अपना प्रतिनिधि चुन लें वरना सरकार अपना नुमाइंदा चुन लेगी। मुझे सरकार की नीयत पर भाक है, खदसा है डाउट है कि इन्होंने माइनियोरिटी को मैजोरिटी में तबदील करने की नीयत से ऐसा रास्ता अख्यितार किया है। ऐसा करके ये अपने आदमी को उपाध्यक्ष चुन लेंगे। यह गलत है।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

In proposed clause (aa) of clause 3(i), for the words "nominated by the Government or any other officer, who may be authorised in this behalf by the Government," the words, "elected as prescribed" be substituted.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Titel of the Bill.

The motion was carried.

Development Minister(Rao Dalip Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

श्री मूल चंद जैन(सम्भालखा): डिप्टी स्पीकर साहब अब हम इस बिल की तीसरी रीडिंग की स्टेज पर है। एक तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम हरिजनों को इलैक ान के जरिए ला रहे है। डिप्टी स्पीकर साहब, जो एगजिस्टिंग एक्ट है उसमें इलैक ान की बात भी है और कोआप ान की बात भी है। जितनी अब तादाद है उतनी ही ब्लाक समिति में पहले भी थी। उसमें 16 मैम्बर्ज जो इलैक्ट होते थे वे प्रोपो र्नेट रिप्रैजेंटे ान के तरीके से इलैक्ट होते थे। अगर उन 16 में से चार हरिजन या दो हरिजन आ गये तो इनके इलैक ान के तरीके से वे इलैक्टिड में भामिल हो जाते थे, अगर नहीं आते थे तो कोआप ान होती थी यह बात मिनिस्टर साहब ने कही है। इन्होंने यह बात कह कर बड़ी भारी इम्पोर्टेंस दिखायी है। ऐसी बात नहीं है। अगर किसी ब्लाक समिति में इलैक ान के तरीके से जो प्रोपो र्नेट रिप्रैजेंटे ान का तरीका है जो पहले से था उस तरीके से कोई हरिजन नहीं आता था तो कोआप ान होती थी। इसलिए आप जो कुछ कर रहे है वह केडिट की बात नहीं है। आप खामख्वाह ही केडिट क्यों लेते हो?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले राइट आफ रिप्रेजैंटे ान से बैकवर्ड क्लास के नुमांइदे आ जाते थे लेकिन अब इस तरीके से मेरे ख्याल में कोई नहीं आ सकेंगे। मेरे ख्याल में पांच सौ के करीब एक ब्लाक समिति में पंच या सरपंच है। कुल मिला कर उनको 16 हिस्सों में बांटेगे तो एक जोन में तीस चालीस के करीब मैम्बर आयेंगें। तो उन तीस चालीस में बैकवर्ड की मैजोरिटी नहीं हो सकती। चौधरी ि ाव राम जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे। जब प्रोपो र्निट रिप्रेजैंटे ान का तरीका था तब सारी ब्लाक समिति में बैकवर्ड क्लास के तीस चालीस मैम्बर जरूर हो जाते थे। इसमें बैकवर्ड की रिजर्वे ान हो तो 16 में कुछ आयें लेकिन रिजर्वे ान नहीं है। पहले कुल मिलाकर पांच सौ में से चालीस बैकवर्ड क्लास पंच आ जाते थे।

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): असैम्बली में बैकवर्ड क्लास के कैसे आ जाते है?

श्री मूल चंद जैनः असैम्बली में जो बैकवर्ड क्लासिज के आते है वे पार्टी की स्ट्रैंथ की बिना पर आते है। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि म्यूनिसिपल कमेटियों, पंचायत समितियों में अगर पालिटिक्स को घुसेड़ेंगे तो गलत होगा। अगर वहां पर कांग्रेस दल, लोक दल का नुमाइंदा बना कर इलैक ान कराओगे तो वे ठीक तरीके से नहीं चल सकेंगे। बैकवर्ड क्लास के लिए कोई रिजर्वे ान नहीं

है। कितने सारे ब्लाक समितियों में कुम्हार, लुहार, बैरागी आदि आ जाते थे लेकिन अब आना मु कल है। एकाध ब्लाक में जहां बैकवर्ड क्लास की आबादी ज्यादा है वहां बे ाक आ जायें। (विघ्न) मैं यह जो आबजर्वे ान कर रहा हूं यह सही है और आप दोबारा इस बिल को हाउस में लायेंगे।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): डिप्टी स्पीकर साहब, अब यह बिल तीसरी रीडिंग की स्टेज पर है। मैं इसकी ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहती। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कोताही है कि जो बात अब मैं कहने जा रही हूं उसके लिए मुझे अमैंडमैंट देना चाहिए था लेकिन वह मैं नहीं दे सकी। अब मैं इस बारे में थोड़ा सा संसोधन रखना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय इस बिल में मजिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए कोई रिजर्वे ान नहीं है। आप भी जानते है कि हमारे दे ा में महिलाओं के अन्दर राजनितिक जागृति बहुत कम है। अगर हम इस ढांचे को गांव में भुरू करें तभी महिलाओं में जागृति आयेगी। आप देख रहे है कि यहां पर सदन के अन्दर 90 सदस्य है। इन 90 सदस्यों में से सिर्फ 4 सदस्याएं ही महिलाएं है। उपाध्यक्ष महोदय महिलाओं की कमी हर रजनीतिक दल को अनुभव होती है। जिस समय टिकट दिए जाते है उस समय भी यह कमी अनुभव होती है। महिलाओं में अब केवल राजनीमि के जरिए ही अधिक जागृति आ सकती है। मैं चाहती हूं कि अगले सै ान से पहले आर्डीनैंस के जरिए या अगले चुनावों से पहले पहले सरकार

इस बारे में महिलाओं के लिए आरक्षण करे। इस संबंध में मेरी सरकार से पुरजोर मांग है और साथ ही साथ मैं मंत्री महोदय से यह भी आ वासन चाहूंगी कि पंचायत समितियों के चुनाव में भी आरक्षण हो।

विकास मंत्री(राव दलीप सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, बहिन जी ने जो औबजैक ान उठाया है वह गलत है। महिलाओं के लिए पहले ही रिजर्वे ान है। इसलिए मैं अब प्रार्थना करता हूं कि बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाये

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि पंजाब प्रोहिबि ान आफ काउ स्लाटर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1981

जेल तथा डेरी विकास मंत्री(चौधरी ि ाव राम वर्मा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि.

दि पंजाब प्रोहिबि ान आफ काउ स्लाटर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि पंजाब प्रोहिबि ान आफ काउ स्लाटर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरंत विचार किया जाये।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल जेल तथा डेरी विकास मंत्री महोदय ने सदन में पे ा किया है और इस में जो प्रावधान करेन जा रहे है उसका मैं समर्थन करती हूं। इस बिल के द्वारा यह प्रावधान किया जा रहा है कि जहां पर गउओं की हत्याएं हो रही है वहां पर गउओं की निकासी नहीं की जायेगी। यह बहुत अच्छी बात है। गउओं की रक्षा करने के लिए आल इंडिया लैवल पर भी एक समिति बनी हुई है उस की बार बार यही मांग हो रही है कि गउओं की हत्या बंद होनी चाहिए। इस समिति की एक बैठक पिछले दिनों दिल्ली में हुई थी। उस समिति ने जिन प्रदे ाों के अंदर गउ–हत्या पर प्रतिबंध है उन की सराहना की थी। इस बात के लिए उन्होंने हरियाणा प्रदे ा को भी सराहा था। इसलिए इस बात के लिए मैं इस सरकार को बधाई देती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि हमारे राज्य में गौ वध पर प्रतिबंध है। इसी के साथ साथ निकासी पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। काफी लोग गउओं को जहां पर प्रतिबंध नहीं वहां ले जायेंगे। जैसे यहां से गायों को यू0पी ले जायेंगे। केरल के अंदर गौ वध नहीं है। यू0पी0 में जो गाये जायेंगी वहां से फिर केरल में चली जायेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना

यह है कि गउओं की निकासी पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं एक सनसनीखेज बात आपके सामने रखना चाहती हूं। हमारे प्रदे ा में कानून बना है कि कोई आदमी गौ वध नहीं करेगा। हमारे राज्य में आज भी कानून होने के बावजूद गाय काटी जा रही है। यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं। गृह मंत्री पोसवाल साहब यहां पर नहीं बैठे। मैं यह बात उनको बताना चाहती हूं कि उनके अपने हल्के छछरौली में असरथ नाम के एक लड़के ने एक गाय काट दी। सब को इस बात का पता है। उस पर मुकदमा चला उसको गिरफतार किया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात मुझे बड़ी भार्म के साथ कहनी पड़ रही है कि सरकार ने उस केस को विद्रडा कर लिया। यदि उस मुकदमें में एविडेंस न हुए होते या किसी और कारण से उस केस की पैरवी नहीं हुई होती और वह आदमी छूट जाता तो बात समझ में आ सकती थी और भाायद मैं यह बात सदन में न कहती। सरकार ने उस केस को विद्रडा किया इस में मुझे बड़ी बू आ रही है। इसलिए मेरी यह भी गुजारि ा है कि जहां दूसरे प्रदे ाों में गउओं पर प्रतिबंध नहीं है वहा पर गउओं की निकासी बंद होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, कानून के तहत उस पर मुकदमा बनता है गिरफतार भी होता है ओर फिर सरकार उसमें हस्तक्षेप करे और उस केस को वापिस ले ले यह कोई अच्छी बात नहीं है।

यह बड़ी भार्म की बात है। इसके लिए मैं सरकार को भार्म देती हूं। इस कानून के लिए जहां हम लोग हम इन्हें बधाई देते है, इन लोगों का सबसे ज्यादा यह कर्तव्य हो जाता है कि कम से कम अपने प्रदे ा में जहां पर गउ वध पर रोक है ऐसी घटनाएं न घटें। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह मांग करती हूं कि वे इस केस को रि–ओपन करें और इस बारे में भविश्य में कोई ऐसी घटना न घटे सदन में आ वासन दें। इन बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए अपना स्थान लेती हूं।

जेल तथा डेरी विकास मंत्री(चौधरी ि ाव राम वर्मा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुशमा स्वराज जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बिल की सराहना की है और अन्य सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने का प्रयत्न नहीं किया क्योंकि कई बार टिप्पणी के नाम से टिप्पणी करने की कोि ा ा की जाती है लेकिन माननीय सदस्यों ने इसकी अच्छाई को समझते हुए इस पर कोई एतराज नहीं किया। सुशमा जी ने कुछ बातों का जिक्र किया है। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि जैसा कानून बना हुआ है उसके मुताबिक कानून अपना काम करेगा। वह क्या मामला था, क्या मामला नहीं था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कानून बना हुआ है जो जुर्म करेगा वह पकड़ा जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने पिछली बार सै ान में जो थोड़ी बहुत कमियां महसूस की थीं और कहा था कि इस बिल में यह सं ोधन होना चाहिए कि जिन

प्रदे ों में गौ वध पर पाबंदी नहीं है वहां के लिए यहां से परमिट न दिया जाए। उस कमी को पूरा कर दिया गया है और मैं समझता हूं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। इसलिए इस बिल को पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है कि–

दि पंजाब प्रोहिबि ान आफ काउ स्लाटर (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाजिज 2 तथा 1

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाजिज 2 तथा 1 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

जेल तथा डेरी विकास मंत्री(चौधरी ि ाव राम वर्मा): मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि बिल पास किया जाए।

श्री मूलचंद जैन(सम्भालखां): उपाध्यक्ष महोदय, अभी सुशमा जी ने जो प्वायंट उठाया था वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे अफसोस है कि मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे सके। यह वाका केवल उसी क्षेत्र में नहीं हुआ जो पोसवाल जी का क्षेत्र है बल्कि सिरसा में भी हुआ है। सिरसा जिलें का डेपुटे ान मुझे मिला था और न सिर्फ मुझे मिला बल्कि कुछ और मैम्बर्ज को भी मिला–

चौधरी ि ाव रमा वर्माः कानून बना हुआ है, कानून अपना काम करेगा।

श्री मूल चंद जैनः कानून ने काम नहीं किया। जब कानून ने अपना काम ही नहीं किया तब ही तो हम कह रहे है

(व्यवधान)। यह मामला बड़ा सैंसेटिव है। उपाध्यक्ष महोदय, लोगो ंकी सैंसेटिव फीलिंग्ज के कारण ही एक कानून बनाया गया है। उस कानून की उल्लंघना हुई तो मुकदमा दर्ज किया गया। उस मुकदमे को सरकार ने वापिस ले लिया तो लोगों के अंदर रोश पैदा होना स्वाभाविक है। जो डैपुटे ान मुझे मिला और दूसरे माननीय सदस्यों को मिला उसको हमारे एक पुराने स्वतंत्रता सेनानी लीड कर रहे थे। वे तीन–चार दफा मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इस सवाल को आप उठाओं। उपाध्यक्ष महोदय, केवल मेरे पास ही नहीं बल्कि बीसों मैम्बर्ज के पास आए। एक तरफ तो लोगों में इतना रोश है और दूसरी तरफ सरकार मुकदमें को वापिस ले रही है। आप कम से कम उसको जस्टीफाई कीजिए कि इस वजह से उस मुकदमें को वापिस लिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जब इस किस्म के सैंसेटिव मामले पर मुकदमा दर्ज हो तो सरकार को चाहिए कि उसको अदालत में चलने दें और सरकार की जो विदड्राल की तुरिसडिक ान है उसको इस्तेमाल न करे।

चौधरी ि ाव राम वर्माः उपाध्यक्ष महोदय, सुशमा जी ने जो बात कहीं है उसके बारे में जो एक्ट है अगर उसकी इम्पलीमैंटे ान मैं कहीं कोई बात रह गई है, तो उसका मैं पता कर लूंगा और जो दोशी होगा उसको सजा मिलेगी। कोई गलत बात नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 84 के अधीन प्रस्तावों पर चर्चा–

(i) वर्श 1978–79 के लिए हरियाणा कृशि वि वविद्यालय, हिसार की वार्शिक रिपोर्ट।

(ii) वर्श 1978–79 के लिए हरियाणा कृशि वि वविद्यालय, हिसार की वाशिक आडिट रिपोर्ट।

कृशि मंत्री(श्री भाम ेर सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, एक और दो नम्बर पर जो मो ांज है वे ऐडैन्टीकल है। इसलिए यदि ये इक्ट्ठी मूव हो जाएं तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है। एक ही साथ मूव कर दी जाएं।

चौधरी राम लाल वधवाः ठीक है जी। मैं दोनों को एक ही साथ मूव कर दूंगा और दोनों पर डिसक ान इक्ट्ठा हो जाएगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि वर्श 1978–79 के लिए हरियाणा कृशि वि वविद्यालय हिसार की वार्शिक रिपोर्ट, जोकि 9 मार्च, 1981 को सदन की मेज पर रखी गई थी, पर विचार तथा चर्चा की जाए।

कि वर्श 1978–79 के लिए हरियाणा कृशि वि वविद्यालय हिसार की वार्शिक आडिट रिपोर्ट, जोकि 9 मार्च, 1981 को सदन की मेज पर रखी गई थी, पर विचार तथा चर्चा की जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि वर्श 1978–79 के लिए हरियाणा कृशि वि वविद्यालय हिसार की वार्शिक रिपोर्ट, जोकि 9 मार्च, 1981 को सदन की मेज पर रखी गई थी, पर विचार तथा चर्चा की जाए।

कि वर्श 1978–79 के लिए हरियाणा कृशि वि वविद्यालय हिसार की वार्शिक आडिट रिपोर्ट, जोकि 9 मार्च, 1981 को सदन की मेज पर रखी गई थी, पर विचार तथा चर्चा की जाए। (विघ्न)

चौधरी राम लाल वधवा(करनाल): उपाध्यक्ष महोद, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत से सदस्य कह रहे है कि इस पर जल्दी कहिए और उसके बाद जो बिजली बोर्ड की रिपोर्ट है उस पर काफी समय लगना है। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में न जाते हुए केवल दो–चार मोटी–मोटी बातें ही सदन के सामने रखूंगा। यह एक बड़ी अच्छी बात है और हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे प्रांत में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक बार जब मैं प्लानिंग का डिप्टी चेयरमैन था वहां जाने का इतफाक हुआ और मुझे उन्होंने उस

सारी यूनिवर्सिटी का विजिट करवाया था। मैं समझता हूं कि वहां पर काफी लाभकारी काम हो रहा है लेकिन उस समय भी जब वहां पर मीटिंग हुई थी तो कुछ बातें कही थी और आज भी सदन में रखना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, ऐनुअल रिपोर्ट के अंदर एक बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है और वही सब से बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च का कितना लाभ हरियाणा के किसानों को हो रहा है यह देखने की बात है। डिप्टी स्पीकर साहब, 1978–79 की ऐनुअल रिपोर्ट प्रिफेस के पेज पर लिखा हुआ है कि–

" Inspite of our having done much for the farming community, we do not feel fully satisfied. We have yet to traverse a long way. The speed of transfer of teachnology from our laboratories to the fields has to be expedited. Though, our scientists, at all levels, are laready involved in carrying the results of research right to the farmers fields more vigorous efforts are still needed to be made in this direction. So, further efforts will continue to be made so that even scientists at the highest level in each department involve themselves to intensity extension programmes not only at the department level but also at their personal level.

तो कहने का मतलब यह है कि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जितना भी किसानों को लाभ पहुंचना चाहिये वह पहुचें पर हम देख रहे है कि रिसर्च वर्क है वह केवल यूनिवर्सिटी की लैबोटरी तक ही सीमित है और उसका सही लाभ किसानों को नहीं पहुंच रहा है। तो इस सारे काम की जिम्मेवारी किस की है? आप

देखेंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर यह द ार्या गया है कि इस ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सभी सोर्सिज से 6 करोड़ 70 लाख और 40 हजार रूपये की रा ाी किसानों के लिये रिसर्च वर्क के लिये मिल रहा है। तो इस लिये मैं समझता हूं कि सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि इस पर विचार करे कि इतना पैसा खर्च करके भी किसानों को इस पैसे से जो रिसर्च हो रही है जिसका फायदा किसानों तक पहुंचना चाहिये, वह नहीं पहुंच रहा है। इससे किसानों की प्रोडक ान बढ़ सकती है और इस बढ़ी हुई प्रोडक ान से हरियाणा प्रांत को भी लाभ पहुंच सकता है। इसलिये मेरी आपके द्वारा सरकार से गुजारि ा है कि सरकार को सीरिअसली इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों की प्रोडक ान बढ़ सकें।

कुछ बातें इन्होंने इस में कही है कि किसानों को ट्रेनिंग के लिये युनिवर्सिटी में ही कैम्प लगाये जाते है जिसमें किसानों को अच्छी खेती बाड़ी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है पर डिटेल नहीं दी गई कि अब तक इन्होंने कितने आदमियों को ट्रेनिंग दी है, कितने आदमी आज तक इनकी ट्रेनिंग का फायदा उठा सकें है। डिप्टी स्पीकर साहब, होता क्या है? जो बहुत बड़े बड़े किसान होते है वे ऐप्रोच करके फायदा उठा लेते है और जो गांव के छोटे छोटे किसान है उनको इन ट्रेनिंग कैम्पस से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिये मेरा एक सुझाव है कि बजाये यूनिवर्सिटी के अंदर कैम्प लगाने के इनकों गांव गांव में इस तरह

के सिखलाई कैम्प लगाने चाहिये ताकि जो आम किसान है, जिन किसानों की कोई एप्रोच नहीं है उनको वहीं पर अच्छी पैदावार करने की सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इस तरीके से हम चाहते है कि जब तक इस तरह के कैम्प गांव गांव में नहीं लगाये जाते तब तक हरियाणा प्रांत के अंदर पैदावार नहीं बढ़ाई जा सकती। गांव गांव में छोटे छोटे कैम्प लगाकर यह बताया जाना चाहिये कि यह यह बीज रिसर्च के बाद बढ़िया सिद्ध हुए है इसलिए इन बीजों से पैदावार अच्छी हो सकती है इस तरह की ट्रेनिंग से तो लोगों को फायदा हो सकता है। जो जो रिसर्च पैदावार के लिये हो उससे गांव गांव में प्रचार हो तो तभी प्रोडक ान बढ़ सकती है और किसान खु ाहाल हो सकता है जिससे हरियाणा प्रांत भी सभी प्रांतों से इस क्षेत्र में आगे आ सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना रूपया इस रिसर्च के ऊपर खर्च हो रहा है जिसका कि फायदा किसानों को होना चाहिये उतना फायदा आम किसानों को नहीं हो रहा है। आप देखिये डिप्टी स्पीकर साहब इस बिल्डिंग पर भी कितना खर्च हो रहा है। अतः मेरा आपके द्वारा सरकार से यह कहना है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे नहीं तो यह जो रिसर्च वर्क किसानों की भलाई के लिये हो रहा है इसका कोई फायदा नहीं होगा।

इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहब मेरा एक प्वायंट है कि जो स्टुडैंटस ट्रेनिंग के लिये जाते है उनको कम से कम ट्रेनिंग के दौरान साठ दिनों तक देहातों के अंदर लाजमी तौर पर

भेजना चाहिये ताकि वे किसानों को मौके पर जाकर सब कुछ बता सकें कि हमने फलां फलां चीज की यूनिवर्सिटी के अन्दर रिसर्च की है फलां फलां बीज फलां फलां खाद बढ़िया है जिसके इस्तेमाल करने से आपकी पैदावार में बढ़ौतरी हो सकती है। इस तरह की जानकारी किसानों का दी जानी चाहिये। अगर इस तरह का प्रबंध यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं होगा तो केवल मात्र बड़े बड़े किसान इस रिसर्च वर्क का फायदा उठा सकेंगे और छोटे किसान वंचित रह जाएंगे। रिसर्च के बाद गांव गांव में किसानों को अच्छे बीज, अच्छी खाद उपलब्ध कराई जानी चाहिये ताकि प्रोडक ान में बढ़ौतरी हो सके। डिप्टी स्पीकर साहब, इसलिये सरकार को भी इस रिसर्च वर्क की तरफ खास तवज्जों देनी चाहिये ताकि किसानों को हर प्रकार की जानकारी मिल सके। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से बढ़िया बीज और बढ़िया खाद भी सप्लाई की जानी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद अब मैं दूसरी बात जो प ुओं की रिसर्च से संबंधित है कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि प ुओं की रिसर्च से काफी लाभ हुआ है। भेड़ों के बारे में कहा कि ऊन की उत्पति कैसे ज्यादा हो सकती है, भैसों से ज्यादा दूध कैस मिल सकता है, इसी तरह से गाय के दूध के बारे में भी रिसर्च हुई है कि दूध कैसे ज्यादा हो सकता है, तो मैं इन से पूछता हूं काम तो यह बहुत अच्छा है लेकिन ये हमें बताएं कि इस रिसर्च वर्क का एक आम आदमी को कितना फायदा पहुंच

सकता है। जितना आज रिसर्च वर्क पर पैसा खर्च हो रहा है उसका आज हरियाणा के अंदर किसी प्रकार का लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब भिवानी का इलाका महेंद्रगढ़ का इलाका जो है वहां पर सन्नतकारी कम है और वहां के लोग प ु पालन के ऊपर ज्यादा निर्भर कते है इसलिये सरकार को चाहिये कि लोगों को नई किस्म के प ु वगैरह खरीदने के लिए कर्जे दिये जाएं ताकि लोग फायदा उठा सके। ज्यादा फायदा लोगौं को रिसर्च के बाद बताने का हो सकता है, इसलिये यूनिवर्सिटी में जो अफसर इस रिसर्च मैं लगे हो, उनको गांव गांव में जाकर इस किस्म की रिसर्च के बारे में लोगो को बताना चाहिए और सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ऐनुअल आडिट रिपोर्ट के बारे मैं थोड़ी सी अर्ज करना चाहता हूं। पेज 2 के ऊपर लिखा है कि–

"The University earned an interest of Rs. 2.67 lacs by depositing money in short-term deposits and in saving bank account. To achieve this creditable result, avery careful watch had to be kept on the resources position and case inflow and outflow. Such income is taken into account while determining the net grant payabel by the State Govt. and thus, burden on Govt. is reduced to this extent.

डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने इसमें कहा कि हमने रूपयाप जमा करवा करके उस पर सूद हासिल किया और हम ने

इस तरीके से अपनी इन्कम को बढ़ा लिया लेकिन मैं इससे डिफर करता हूं क्योंकि डिप्टी स्पीकर साहब, यह हरियाणा ऐग्रीकलचर यूनिवर्सिटी कोई बनिये की दुकान नहीं है जहां पर कि रूपया जमा करवा के सूद हासिल किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, यह तो पैसा यूनिवर्सिटी को ग्रांट के रूप में दिया जाता है, यूनिवर्सिटी को रिसर्च के कार्यों के लिये दिया जाता है वह इसलिए दिया जाता है कि इस पैसे से अलग अलग सब्जैक्टस पर रिसर्च की जाए और उस रिसर्च को आम लोगों तक पहुचाया जाए ताकि लोग उस रिसर्च से फायदा उठा सकें। यह पैसा इसलिये नहीं दिया जाता कि इसको खर्च न किया जाए और इस पर सूद खाया जाए। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी ने इस तरह पैसा लैप्स करके सारे हरियाणा का नुकसान किया है क्योंकि अगर यह पैसा सही तरीके से सचमुच में यूज हो जाता है तो सारे हरियाणा के आम लोगों को इससे काफी हद तक फायदा होता जिससे कि अब वे लोगे वंचित रह गये है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह सूद खाने वाला तरीका यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहिये नहीं तो हम अपने सही टारगेट पर नहीं पहुंच पाएंगे और हमारे हरियाणा की प्रोडक ान वहीं की वहीं रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिये मेरी आप के द्वारा सरकार से रिकवैस्ट है कि इस तरफ अव य ध्यान दिया जाए। इसी तरीके से डिप्टी स्पीकर साहब, पेज 5 के ऊपर लिखा है कि–

"The opening balance and the closing balance indicated above are subject to reconciliation with the balances as shown in the ledgers of the University."

14.00 बजे

In reply to that, they say-

"Regarding reconciliation of opening balance and the closing balance with the balances as shown in the ledgers of the University, there was a difference of Rs. 14.53 lacs and it is due to so many reasons which are not possible to be located at this belated stage as Audit has never insisted for such reconciliation since 1962. Moreover, ledger balances are definitely correct as these are certified by this office, accepted to be accurate by the Bank and 100% verified by the Audit, year to year. It is understood that such reconciliation is not being done in any University in India including Punjab Agricultural University, from which Haryana Agricultural University came into being in 1970. Thus, the point needs to be dropped by the Examiner, Local Fund Account, Haryana, Chandigarh."

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

कमाल है अध्यक्ष महोदय, 14.53 लाख रूपये की ऐम्बैजलमैंट है, लैजर्ज में अमाउंट नहीं मिलता और आडिट वाले कहते है कि इसके अंदर गड़बड़ है लेकिन यूनिवर्सिटी के लोग कह रहे है कि हम लोकल फंड अकाउंटस एग्जामिनर को कहेंगे कि 1962 का केस है इसके बारे में पहले औबजैक ान करना

चाहिए था। अगर पहले नजर नहीं आया तो अब नजर आ गया है लेकिन ये कह रहे है कि इसे हमारे अधिकारियों ने स्टीफाई कर दिया था। आडिट वालों ने जो गलती निकाली है उसके बारे में कह रहे है कि हम लोकल फंड ऐग्जामिनर को कहेंगे कि इसको ड्राप कर दें। मैं सरकार से कहूंगा कि इसकी इन्कवायरी करवाई जाए कि इस रूपये को किस तरह से मिसएप्रोप्रिएट किया गया। जो भी जिम्मेदार लोग हों, उनको सजा मिलनी चाहिए। अन्त में एक बात और कह कर मैं अपना स्थान लूंगा। इस आडिट रिपोर्ट के पेज 10 पर लिखा है–

"The decrease in non-lapsable amount on 31.3.1979 (Rs. 33,99,078.45 in the year 1978-79 against Rs. 53,33,193.0 in the year 1977-78) is due to better utilisation of funds provided for construction of buildings and purchase of equipments. There is overall decrease of Rs. 9.39 lacs in lapsable amount on 31.379 (Rs. 10,49,019.00 during the year 1978-79 against Rs. 19,88,213.00 during the year 1977-78) but after taking into Account the fact that actual income during the year 1978-79 exceeded the budgeted income by Rs. 13.14 lacs, there is net decrease in lapsable amount to the extent of Rs. 22.53 lacs which is due to better utilisation of funds provided for recurring expenditure."

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है कि इसमें इतना कम लैपस हुआ बल्कि देखने की बात तो यह है कि रूपया लैप्स क्यों होता है। जब उनको पूरी ग्रांट मिली और ग्रांट लेने से पहले कोई प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनी होगी कि हम इसके आधार पर सरकार

से यह रूपया मांग रहे है और इस प्रकार यह यूटिलाइज होगा। सरकार ने दूसरी मदों से रूपया निकाल कर दिया था लेकिन यह कह देना कि कम लैप्स हुआ है यह बात ठीक नहीं है। उनको देखना चाहिए था कि यह रूपया लैप्स न होने पाए और उसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए था ताकि हरियाणा प्रांत को उसका फायदा होता। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी भाग मल(सढ़ौरा, अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, हरियाणा ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार की वर्श 1978–79 की ऐनुअल रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ बोलने लगा हूं। इस रिपोर्ट के पेज 5 पर उन्होंने रिकूटमैंट संबंधी कुछ रूल दिये है जिसमैं बताया गया है कि रिकूटमैंट में ि ाड्यूलड कास्टस के लिये बीस प्रति ात और बैकवर्ड क्लासिज के लिय पांच प्रति ात रिजर्वे ान है। इसी तरह से प्रोमो ान के अंदर भी बीस प्रति ात और पांच प्रति ात रिजर्वे ान है लेकिन यह कहीं भी नहीं दिया गया कि कितने लोग वहां लगाए गए है और उनमें से रिर्वे ान पूरी हुई है या नहीं। इसी तरह से पेज आठ पर पैरा 24 मैं इन्होंने लिखा है कि एडमि ान के लिये ि ाड्यूल्ड कास्टस और ि ाड्यूल्ड ट्राइब्ज में बीस प्रतिि ात और पांच प्रति ात की रिजर्वे ान है लेकिन पेज 19 से लेकर पेज 24 तक आप अनैक चर 'बी' के अंदर देखें बी0एस0सी0 पांच साल के प्रोग्राम की ट्रेनिंग के लिये कुछ आदमी भर्ती किये गये थे जिनमें से ि ाड्यूल्ड कास्ट्स के 16 आदमी

लेने थे लेकिन लिये है 12 यानी 4 की कमी रह गई। इसी तरह से अगले पेज पर बी0एस0सी0 ऐग्रीकल्चर फोर इयर्ज प्रोग्राम के अंदर कुल 59 भर्ती किये गये और ि ाड्यूल्ड कास्टस का कोई भी नहीं लिया गया जबकि उनके 12 आदमी बनते थे। इसी तरह से बी0एस0सी (एच) ऐग्रीकल्चर फाइव इयर्ज कोर्स के अंदर 42 लोग लिये है और ि ाड्यूल्ड कास्ट्स के सिर्फ तीन लिये है जबकि आठ बनते थे। इसी तरह से बी0वी0एस0सी0 के लिये 65 लिये गये और ि ाड्यूल्ड का आदमी एक भी नहीं लिया गया जबकि तेरह आदमी बनते थे। इसी तहर बी0एस0सी0 होम साईंस फोर इयर्ज प्रोग्राम में 70 लोग भर्ती किये गये और ि ाड्यूल्ड कास्टस एक भी नहीं लिया गया, इसमें 14 आदमी बनते थें। इसी तरह से और प्रोग्रामों में भी ऐसे ही किया गया है। इस यूनिवर्सिटी ने न रिक्रूटमैंट में और न ट्रेनिंग देने के लिए ि ाड्यूल्ड कास्टस का कोई ध्यान रखा। मैं कहना चाहता हूं कि जो रिजर्वे ान में कमी रह गई है उसको अगले साल पूरा किया जाए और ि ाड्यूल्ड कास्टस तथा बैकवर्ड क्लासिज के लड़कों को भी ट्रेनिंग देकर दूसरों के एट पार लाया जाए ताकि वे भी इस समाज का अंग बन सके। अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इसी यूनिवर्सिटी को ऐनुअल आडिट रिपोर्ट की तरफ ले जाना चाहता हूं। इसके पेज दो पर बी पार्ट में आडिट रिपार्ट फार दि परीयिड 2.2.70 से 31.3.71 है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी से यह यूनिवर्सिटी अलग हुई थी उस वक्त उसकी तरफ हमारा कुछ पैसा बकाया था जोकि डिस्पयूट में

चला गया। बाद में फाईनल फैसला हुआ तो हमैं 11,45,768.09 रू0 का एवार्ड मिला और इसके साथ 17,790 रू0 और मिलने थे। लेकिन उन्हें वहां से आज तक केवल 5,83,887.53 रू0 मिले है और 5,79,660.56 रू0 अभी उनकी तरफ बकाया है। इस तरह से हमारी इस यूनिवर्सिटी को भारी घाटा है। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी ने उस पैसे को वसूल करने में जो प्रयत्न किये है उनमें कुछ बाधा पड़ी है या पूरी कोि ा ा नहीं की गई। अगर कोि ा ा की होती तो लाखों रू0 उसको और मिल जाता। अभी भी कोि ा ा करनी चाहिए, यह पैसा हमें वहां से हर हालत में मिलना चाहिए ताकि हमारे प्रदे ा के लोगों की भलाई के लिये खर्च किया जा सके। स्पीकर साहब, पेज चार पर भी मैं सरकार की तवज्जों दिलाना चाहता हूं। इस पेज के पैराग्राफ सी के अंदर युनिवर्सिटी वालों ने टैम्परेरी एडवांसिज दिए हुए है जो कि 19 लाख 13 हजार 471 रूपये कुछ पैसे है इनमें से 4 लाख 25 हजार 61 रूपए 56 पैसे ऐडजैस्ट हुए है बाकी पैसे के बारे में चौधरी राम लाल वधवा जी ने इंडीके ान किया है। यह बहुत सारा पैसा है और अभी तक वह पूरा नहीं हो सका। इसके लिए मैं समझता हूं कि इस पैसे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न नहीं किए गए। स्पीकर साहब इस पैसे पर न इंट्रैस्ट मिल रहा है और न ही यह पैसा वापिस आ रहा है। इसलिए स्पीकर साहसब मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह पैसा जल्दी से जल्दी वापिस आना चाहिए ताकि वह पैसा यूनिवर्सिटी की बहबूदील और सुविधाओं के लिए खर्च किया जा सके। स्पीकर

साहब, मैं ज्यादा न बोलते हुए आपकी तवज्जों इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के कंक्लूजन में जो कुछ लिखा है उसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि वहां पर क्या धांधलेबाजी हो रही हैं एक बार मैं भी हिसार ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में गया था और मैंने वहां देखो कि वहां पर जो ऐक्सपर्ट है, जो टीचिंग स्टाफ के लोग है और जो साईंसदान है वे बड़े मजे करते है। वहां पर काम करने के लिए लेबर इतनी ज्यादा लगाई जाती है कि जो वहां पर स्टूडैंटस है वे भी अपने हाथ से इतना काम नहीं करते जितना वहां की लेबर करती है। लेबर के सिर पर ही यूनिवर्सिटी का सारा काम चल रहा है। यही कारण है कि लेबर पर बहुत पैसा खर्च होता है जिससे हमारी इकोनोमी पर बहुत असर पड़ता है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार को वहां की इकोनोमी के बारे में कुछ सुजै ांज देना चाहता हूं। इस रिपोर्ट के पेज 195 के अंदर पैराग्राफ 18 में लिखा हुआ हैं कि–

"The yield per acre of Agricultural produce like wheat, paddy, moong, sarson, maize and sugarcane from HAU farms taken into account is below average as compared with the yield of the district, despite the fact that the condition of the crop is recorded as "Good" or "Satisfactory" in the Crop Register. The common plea taken for the below average produce is research and experimentation, which does not appear to be always tenable. It may be added that the best qualities of inputs, insecticides, implements, machinery are

used and more than adequate labour is employed in the HAU farms, there is therefore no scope for the below average yield."

स्पीकर साहब, इससे साबित होता है कि यूनिवसर्सिटी के जो साईंसदान है या जो प्रोफैसर है उनके बारे में मेरा ख्याल है कि दनसे फिजिकली कोई काम नहीं लिया जाता बल्कि उनको वहां पर खड़ा रहने की इंस्ट्रक ांज दी जाती है और काम लेबर करती है जिसका मतलब यह हुआ कि वे लोग सिर्फ सुपरविजन की ट्रेनिंग लेकर आते है और वे अपने हाथ से कोई काम करने की आव यकता नहीं समझते। स्पीकर साहब, इस कंक्लूजन के अंदर दिया हुआ है कि डिसपोजल आफ ओल्ड आब्जैक ांज जिसमें बहुत सारे आबजैक ांज दिए हुए है और इसमें लाखों रूपये का घोटाला है। स्पीकर साहब, मैं यह बात पढ़ना नहीं चाहता सिर्फ पेज 95 के पैराग्राफ 18 की तरफ इ ारा करना चाहता हूं। इसके अंदर बहुत सारे एडवांसिज में मिसलेनियस है। इसी तरह से पब्लिक वर्कस में भी यूनिवर्सिटी को करोड़ों रूपये का लौस है। यह रूपया रिकवर होना चाहिए। इस पैसे को रिकवर करने के लिए सरकार को भी वहां की अथोरिटीज को भी कोि ा ा करनी चाहिए ताकि सारा पैसा रिकवर हो जाए और यूनिवर्सिटी के कामों पर खर्च हो सकें। इस पैसे के रिकवर होने से वहां जो हमारे हरियाणा प्रदे ा के लोग है उनको बैनीफिट मिलेगा। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने का समय दिया।

कृशि मंत्री (श्री भाम ेर सिंह): अध्यक्ष महोदय, चौधरी राम लाल वधवा जी ने और श्री भागमल जी ने यूनिवर्सिटी की आडिट और ऐनुअल रिपोर्ट पर बोलते हुए कुछ बातें कही। मैं वधवा साहब का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने हिसार ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बहुत सहराना की है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में बड़े लाभकारी और अच्छे काम हुए है। यह फख्र की बात है। अण्यक्ष महोदय दरअसल हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एि ाया की बेहतरीन ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में से एक है। जितने भी फौरन डिगनिटरिज, जितने दूसरे मुल्कों के राश्ट्रपति, प्रधान मंत्री जब कभी दिल्ली आते है तो एच0ए0यू0 को देखने के लिये गवर्नमैंट आफ इंडिया उनका प्रोग्राम जरूर रखती है। अभी पिछले तीन हफ्ते के अंदर अंदर एफ0आर0जी0 के राश्ट्रपति और अफ्रीकन कंट्री के राश्ट्रपति हिसार ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को देखने के लिये आए थें, उस समय हमारे होम मिनिस्टर साहब और मैं वहां मौजूद थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी के वैटरनरी विंग और दूसरे विंग को देखकर यूनिवर्सिटी की बहुत सराहना की। यह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। अध्यक्ष महोदय, 1978–79 में हिसा ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में 570 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लड़कों को भिन्न भिन्न प्रोग्राम्ज में दाखिला लिया इनमें लगभग 60 लड़के विदे ी भी भाामिल है जो अफ्रीकन और दूसरे कंट्रीज से है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने चाहे फाउंडे ान सीड को तैयार करने के सफीयर में चाहे रिसर्च में,

जैसे व्हीट, काटन, भाूगरकेन, पलसिज के फील्ड में बहुत रीमारकेबल काम किया है। अध्यक्ष महोदय मेरे पास ये आंकड़ें भी मौजूद है लेकिन मैं हाउस का समय बहुत ज्यादा डिटेल में जा कर नहीं लेना चाहूंगा। चौधरी राम लाल वधवा जी ने कहा कि किसानों को रिसर्च का कितना लाभ हुआ है। इस प्वायंट के बारे में इन्होंने कुछ भाक जाहिर किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको सीड के बारे में बताना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी ने 1978–79 में 1340 क्विंटल बीज एच0एस0डी0सी0 नै ानल सीड कोरपोरे ान और हरियाणा के फारमर्ज को दिया। सारे दे ा में हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का ब्रीडिड सीड सबसे बढ़िया माना जाता है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी ने 1978–79 में रेडियों स्क्रिप्टस और लिटरेचर के जरिये किसानों की जानकारी के लिए स्टेट लैवल, डिस्ट्रिक्ट लैवल और विलेज लैवल तक सेमीनार कैम्प सिम्पोजीया, स्पे ाल ट्रेनिंग डीमोनस्ट्रे ांज किए। यूनिवर्सिटी ने 1200 फैमलिज को अडोप्ट किया है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय,1978–79 में यूनिवर्सिटी के लड़कों ने स्पोर्टस के फील्ड में भी सारे हिंदुस्तान में बड़ा भारी नाम कमाया है। एक लड़का संत कंवर खेलों में भाग लेने के लिये दूसरे दे ाों में भी गया और लगभग एक दर्जन से भी ज्यादा खिलाड़ी लड़कों ने गोल्ड मैडल्ज और दूसरे मैडल्ज जीते। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी ने इसी साल 213 ग्रेजुएट लड़कों को नौकरी दिलवाने में मदद की और जिन स्टूडैंटस की माली हालत ख्राब थी उनकी मदद की। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने लगभग 40 लड़के जो नीडी थे उनको

पार्ट टाईम और दूसरी एम्पलायमैंटस दिलवाई। अध्यक्ष महोदय, होम साईंस विंग और दूसरे विंग में बड़ी भारी तरक्की हुई है। अध्यक्ष महोदय चौधरी राम लाल वधवा जी ने कहा कि साल में साठ दिन के लिये स्टुडैंटस को बाहर गांवों मैं भेजना चाहिए ताकि वे अपने हाथ से काम कर सकें। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उन्होंने साठ दिन बहुत थोड़े कहे हैं। मैंने खुद यूनिवर्सिटी में जाकर देखा है कि हर स्टूडैंट के लिये जमीन ईयरमार्क की हुई है। हर फसल में वे जुताई करने से लेकर फसल की कटाई तक खुद काम करते हैं। स्टुडैंटस को फार्म के अन्दर भी सैपरेट फील्ड दिए हुए है। इसी तरह से बाहर गांवों में भी 1200 फैमिलीज अडौप्ट की है। हिसार के एरिया में कुछ विलेजिज अडौप्ट किए है जहां पर यूनिवर्सिटी के ट्रेनीज स्टुडैंटस जो है वे साठ दिन से भी ज्यादा समय तक प्रैक्टिल ट्रैनिंग लेते है। इसके इलावा इन्होंने यह भी कहा कि भेड़ों, भैसों, गायों या जो दूसरे दुधारू मवे ी है, उनके लिये क्या रिसर्च की है? अध्यक्ष महोदय मुझे यह मानने में कतई संकोच नहीं है कि इस सफीयर में ऐक्सटैन ान वर्क गांवों तक बहुत ज्यादा नहीं पहुचा है लेकिन यूनिवर्सिटी लैवल पर जो रिसर्च हो रही है वह सराहनीय है। इन्होंने 31 लीटर दूध डेली की लिमिट तक अचीव किया है। हर दुधारू प ु की नसल को इम्प्रूव करने की रिसर्च हो रही है। इसके अलावा प ुओं की बीमारियों को डिटैक्ट करने में यूनिवर्सिटी ने रिमार्केबल प्रगति की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इंडियन कौंसिल आफ

ऐग्रीकल्चर रिसर्च ने हरियाणा को रीजनल बफैलों सैंटर ऐलोकेट किया है न सिर्फ स्टेट लैवल का बल्कि इसे पूर रीजन के लिये बफैलों में मुख्तलिफ पहलुओं पर रिसर्च करने के लिए एक बहुत बड़ा इंस्टीच्यूट केंद्रीय सरकार बहुत जल्दी कायम करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय एक माननीय सदस्य ने कहा कि युनिवर्सिटी ने जो रूपया बैंक में जमा करवाया हुआ है वह ब्याज कमाने के लिये दिया हुआ है, यूनिवसिटी को यह रूपया बैंक में नहीं रखना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बैंक में रूपया रखना बैटर मैनेजमैंट आफ फंडज हैं, बैंक में तो रखना ही था क्योंकि यूनिवर्सिटी का फंड एक ही दिन में खर्च नहीं हो जाता। पहले हमने यह अमाउट करंट अकांउट में रखा था लेकिन करंट अकाउंट में रखने से लैजर के साथ हिसाब नहीं मिलता था, बाद में फैसला किया कि सेविंग अकांउट में रखा जाए। इस पर 6 परसैंट ब्याज मिला, यह तो समझदारी की बात है लेकिन आनरेबल मैम्बर कहते है कि बैंक में क्यों रखा? अध्यक्ष महोदय, चौधरी भागमल ने कहा कि यह अमाउंट रीकंसाईल नहीं होता, इसमें गबन है। चौधरी भागमल ने गबन का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की औडिट ऐनुअल रिपोर्ट को वाईस चांसलर बोर्ड आफ डायरैक्टर्ज से एप्रूव करवाता है और बोर्ड आफ डायरैक्टर्ज में चार हरियाणा गवर्नमैंट के सैक्रेटरीज के अलावा दो हैड आफ दी डिपार्टमैंट है और चार–पांच ऐमिनैट पब्लिक मैंन एप्वायंट किये हुए है। इन से एप्रूव करवाने के बाद यह रिपोर्ट असैम्बली में आती है। इन्होंने जिस

अमाउंट का जिक्र किया है इसमें धांधल का कोई सवाल नहीं है। एक नये पैसे के घपले का सवाल पैदा नहीं होता। इसमें लैजर अकाउंटस और बैंक अकाउंटस का रीकंसाईले ान नहीं हो पा रहा था। अब इसको रीकंसाईल कर लिया गया है और इसमें लिखा भी है कि the matter has been dropped by the audit. स्पीकर साहब, इन्होंने यह भी कहा कि अमाउंटस लैप्स हो गया है। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि यह अमाउंट लैप्स नहीं हुआ बल्कि अगले साल के लिये कैरी औवर हुआ है।

स्पीकर साहब, चौधरी भागमल ने बताया कि यूनिवर्सिटी में भर्ती के मामले में ि ाड्यूल्ड कास्टस एंड बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को पूरी नुमायंदगी नहीं दी गई। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी में किसी भी सैक्ान के साथ भेदभाव नहीं किया गया। हो सकता है कि कोई पोस्ट टैक्नीकल हो और ि ाड्यूल्ड कास्टस में टैक्नीकल आदमी न मिल रहे हों, जनरल पूल से भर्ती करली हो और इस तरह से ि ाड्यूल्उ कास्टस की परसैंटेज कम हो गई हो लेकिन हरिजनों के बारे में गवर्नमैंट की जो नीति है उनकी भर्ती के बारे में जो इंस्ट्रक्ांज है उनको यूनिवर्सिटी में पूरी तरह फौलो किया है। यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कम्पलायंस कर रही है। स्पीकर साहब एक बात और कही गई कि पंजाब यूनिवर्सिटी से जो रूपया हमने लेना है इसको लेने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसी बात नहीं कि कार्यवाही नहीं की अगर आप रिपोर्ट को पढ़ेंगे

तो मालूम होगा कि वाईस चांसलर ने चिट्ठियां लिखी है और यह मामला बाकायदा गवर्नमैंट आफ इंडिया के पास गया हैं। इसके अतिरिक्त इंडियन कौंसिल आफ ऐग्रीकल्चर रिसर्च के माध्यम से भी हम अपना रूपया वापिस लेने के प्रयास कर रहे है, इस माध्यम से काफी रूपया हमें मिल भी चुका है और बाकी रूपया वापिस लेने के लिये यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। इन भाब्दो ंके साथ मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि यह रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, इनमें किसी प्रकार की आपतिजनक बात नहीं है।

Mr. Speaker: I think, we had a very good discussion on the Annual Report and Annual Audit Report of the Haryana Agricultural University. हरियाणा ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की जो ऐनुअल औडिट रिपोर्ट है इस पर मैं अपनी तरफ से दो प्वायंटस पर स्ट्रैरस करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय कृपा करके इस पर ध्यान देंगे। जो पैसा पंजाब यूनिवर्सिटी के पास हमारा ब्लौकड् पड़ा हुआ है, जिसका जिक्र अभी अभी हाउस में हुआ है कि यूनिवर्सिटी वसूल करने का प्रयास कर रही है इसको जल्दी से जल्दी वसूल किया जाए। रिपोर्ट से भी जाहिर है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास हमारा पैसा काफी देर से ब्लौकड पडा हुआ है। मैं मंत्री महोदय से उम्मीद करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी वसूल किया जाएगा, दूसरा प्वायंट मेरा बाजरे की ईल्ड के बारे में है जो चिंताजनक है। यूनिवर्सिटी फार्म में बाजरे की ईल्ड पर एकड़ सारे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट लैवल पर बाजरे की पर–एकड़ ईल्ड के मुकाबले में कम है। डिस्ट्रिक्ट लैवल की ईल्ड

के मुकाबले में यूनिवर्सिटी फार्म की ईल्ड कम नहीं होनी चाहिए लेकिन मुमकिन है कि यूनिवर्सिटी फार्मज में ऐस्पैरिमैंटस हो रहे हों I would request the Hon. Minister to go into this quesiton also.

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, अपने प्वायंट उठाया है कि ओवर आल हरियाणा में बाजरे की पर–एकड़ ईल्ड यूनिवर्सिटी फार्मज की ईल्ड के मुकाबले में ज्यादा है। Speaker Sahib, thank you very much for the very valuable suggestions that you have given. I assure the House, Sir, that the University will try its level best and the Government will also stress and see that the money is recovered from the Punjab Agricultural University, very soon. About the yield per acre, the Government will also point out this to the University. If I am able to tell you, it is because that soemtimes the cultivation is managed by the students and sometimes dry farming is also experimented. These are the main reasons for the low yield per acre. But we will certainly improve it.

(iii) **वर्श 1980–81 के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का वार्शिक वितीय विवरण (बजट अनुमान) तथा वर्श 1979–80 के लिए पुरीक्षित अनुमान।**

श्री अध्यक्षः अब डा0 मंगल सैन जी हरियाणा इलैक्ट्रिसीटी बोर्ड की ऐनुअल फाइनें ि ायल स्टेटमैंट (बजट ऐस्टीमेटस) 1980–81 की और रिवाइज्ड बजट ऐस्टीमेट्स 1979–80 के बारे में रूल 84 के तहत अपनी मो ान मूव करेंगे।

डा0 मंगल सैनः मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि वर्श 1980–81 के लिये हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का वार्शिक वितीय विवरण (बजट अनुमान) तथा वर्श 1979–80 के लिये पुनरीक्षित बजट अनुमान जो कि 17 मार्च, 1981 को सदन की मेज पर रखे गये थे पर विचार तथा चर्चा की जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि वर्श 1980–81 के लिये हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का वार्शिक वितीय विवरण (बजट अनुमान) तथा वर्श 1979–80 के लिये पुनरीक्षित बजट अनुमान जो कि 17 मार्च, 1981 को सदन की मेज पर रखे गये थे पर विचार तथा चर्चा की जाए।

डा0 मंगल सैन(रोहतक): अध्यक्ष महोदय, आपने हरियाणा बिजली बोर्ड की वार्शिक रिपोर्ट पर जो मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्पीकर साहब, हम आज वर्श 1980–81 के वार्शिक वितीय विवरण की रिपोर्ट पर विचार कर रहे है जबकि हरियाणा बिजली बोर्ड का वर्श 1981–82 काबजट बन कर तैयार हो चुका है। क्या ही अच्छा होता अगर रूल्ज में यह प्रावधान कर दिया जाता जिसके तहत इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट हमारे सामने हाउस में आता और हम उसको पूरी तरह से अध्ययन करके समालोचना करते और अपने सुझाव देते। स्पीकर साहब, ऐनुअल फाइनैंि ायल स्टेटमैंट,

1980–81 के पेज 19 पर इन्होंने व्यवस्था का जिक्र किया है। इसमें लिखा है–

''विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में सं ोधन किये जाने के फलस्वरूप इस अधिनियम की धारा 67 में दी गई प्राथमिकताओं जो कि ओपरेटिंग बचत से दी जानी है..... में भी सं ोधन किये जाने पर अब बोर्ड के निजी साधनों में केवल उपभोक्ताओं द्वारा जमा रा ि ायां भोश रह गई है जिनसे वर्श 1980–81 में 1.75 करोड़ की धनरा ि ा प्राप्त होने का अनुमान हैं। पूंजीगत प्राप्तियों तथा पूंजीगत सम्पूर्ण योजना के मध्य के अंतर को बोर्ड के निजी साधनों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य सरकार ने 48.40 करोड़ का ऋण लिया जायेगा, जिसमें 7.83 करोड़ बहुउद्दे ीय नदी घाटे योजनाओं तथा 40.57 करोड़ का ऋण विद्युत उत्पादन तथा वितरण प्रणाली के कार्यों के लिये लिया जायेगा।''

स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि हरियाणा बिजली बोर्ड एक औटोनोमस बौडी है, इसका बजट डिटेल में हमारे सामने तो आ नहीं सकता, ऐनुअल फाइनें ि ायल स्टेटमैंट की रिपोर्ट ही आ सकती है जिस पर हम चर्चा कर पायेंगे। जैसा कि मैंने उपर कोट किया कि यह रूपया वापिस भी करना है। अंधाधुंध कर्जा ले लिया और इस कर्ज का इंट्रैस्ट इतना ज्यादा हो गया है कि सूद को भुगतान भी कर्जा लेकर करना पडता है। स्पीकर साहब, आप जानते है कि किसी भी इंस्टीच्यू ान की फाईनें ि ायल पोजी ान

साउंड नहीं होती यदि उसको इंट्रैस्ट भी कर्जा लेकर देना पड़ जाए। इधर तो बिजली महंगी हो रही है लोगो पर बोझ बढ़ रहा है बेचारे कर्मचारी और इंजीनियर्ज हड़ताल कर रहे है वर्क टू रूल करने पर मजबूर हो रहे है और उधर घाटा पड़ रहा है। इन दोनों बातों का केल मुझे समझ में नहीं आता। स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले कहा क्या ही अच्छा होता यदि लेटेस्ट बात हमारे सामने आती और उस पर हम अपनी बात कह सकते। अब उदाहरण के रूप में आते देंखे। नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट के बारे में हमारा हिमाचल प्रदे ा के साथ समझौता हुआ लेकिन पेज 22 पर लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है–

"An agreement to execute Nathpa-Jhakri Hydro Electric Project in Himachal Pradesh has been executed between Himachal Pradesh and Haryana Governments."

अब यह सिचुए ान चेंज हो गई है, परिस्थिति बदल गई है। स्पीकर साहब, बदली हुई परिस्थिति यदि हमारे सामने आए तो हम अपनी बात अच्छी प्रकार से कह सकते है लेकिन आउट आफ डेट बात अगर हमारे सामने रखी जाए तो हम अपनी बात ठीक से नहीं कह सकते। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा इस विभाग के मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपने इसके रेट तो बढ़ा लिये परन्तु ऐस्टीब्लि ामैंट का ऐक्सपैंडिचर घटाया नहीं। आपकी यह इकोनोमी ठीक नहीं है। स्पीकर साहब, बड़े दुःख से कहना पड़ता है और इन्होंने यह स्वयं स्वीकार भी किया है कि घाटा इसलिये पड़ा पावर जनरे ान

इसलिये पूरी नहीं हो सकी कि पानीपत में जो थर्मल प्लांट था उसने उतना काम नहीं किया जितना उसे करना चाहिए था। उसने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि कोयला पूरा नहीं था? स्पीकर साहब, कोयरला ने ानेलाईज हो चुका है अब प्राईवेट कंसर्न के हाथ में कोयला नहीं है, गवर्नमैंट आफ इंडिया ने कोयला देना है कोयला ढ़ोना रेलवे ने है वह भी प्राईवेट फर्म नहीं है और लाने वाली सरकारहरियाणा की है। मेरी जानकारी हो सकता है गलत हो। सरदार जी उसे दुरूस्त कर दें। 5–6 रैक्स कोयले के आए थे। वे भट्ठे वालों को दे दिये गए। जिस मुद्दें के लिये कोयला लाया गया था वह मकसद फौत हो गया। (विघ्न) स्पीकर साहब, अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 17 करोड़ 80 लाख रूपये के बजट ऐस्टिमेटस 1980–81 के लियें रखें है। मेरी समझ मैं नहीं आता कि जब इतना रूपया रखा गया है तो क्या वजह है कि इंजीनियर्ज और दूसरे कर्मचारी आंदोलन कर रहे है? (विघ्न) स्पीकर साहब, उनका वह आंदोलन अब भी बंद नहीं हुआ है। मुख्य मंत्री की अपील पर दे ा भक्ति की भावना से, हरियाणा की जनता के हित की बात सोच कर क्योंकि वे भी तो हरियाणवी है, हरियाणवी मां–बाप के बच्चे है, हरियाणवी बच्चों के मां–बाप और भाई–बहन है। 4.3.81 को वह आंदोलन समाप्त कर दिया लेकिन दुःख से कहना पड़ता है कि उनकी कोआर्डिने ान कमेटी के चेयरमैन ने यह बात कहीं है कि 200 जीनियर्ज की तनख्वाह रोक ली गई है और कई लोगों को चार्ज ीट दी गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम बीसवीं सदी में

रहते है लोकतंत्र में रहते है डैमीकेटिक सेट–अप है, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भारत के संविधान ने नागरिकों को दे रखा है। हम उनको उनके इस अधिकार से वंचित क्यों करते है? उनके साथ अगर विक्टेमाइजे ान करेंगे तो स्वाभाविक है आंदोलन चलेगा। सरदार तारा सिंह जी ने सदन में भ्रुरू भ्रुरू में कहा है कि अब हरियाणा में बिजली पूरी मिलती है। हम तो पिछले तीन सप्ताह से यहां आए हुए है। बीच में एक दो दिन छुट्टी मिलने पर घर गए थे और उसके बाद अपने कर्तव्य को निभाने के लिये यहों आ गए लेकिन आने से पहले मैं बड़े वि वास से कह सकता हूं सारा हरियाणा बिजली के लिये त्राहि त्राहि कर रहा था। अब पौसवाल जी और सरदार तारा सिंह जी कहते है कि हरियाणा में सब अच्छा है लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अखबार वाले जो इस बात को छापते है क्या इनकी समझ खराब है, इनको भगवान ने सूझ–बूझ नहीं दे रखी है?

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, आप इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड पर ही बोलें।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड पर ही बोल रहा हूं। मैं तो इनके क्लेम को पूरे जोर भ्रोर से रिफ्यूट कर रहा हूं। ये गलत कहते है। सरकार ने इस बारे में सारे हरियाणा को अंधेरे में रखा है। इनको सदन की भांका का समाधान करना चाहिए। स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि इन्होंने भविश्य की योजना बनाई है। इसके बारे में ये कहते है कि

ताजेवाला के पास ये कोई परियोजना बना रहे है। सदन जानना चाहते है कि उसकी क्या प्रगति है? स्पीकर साहब, इनके आंकड़ें भी ठीक नहीं होते। यहां तो इन्होंने ऐसा कहा लेकिन रिपोर्ट में कहते है कि It is regretted, due to certain reasons we could not complete it. सफा 35 पर वैस्टर्न जमुना कैनाल के बारे में कहा गया है कि–

"4 Nos. Power houses each comprising of 2X8 MW set-total capacity 64 MW i.e. 14 lakhs unit per day. First Unit to be commissioned in October. 1981. Remaining 3 units upto 1983-84 (all probables).

सब प्रोबेबल्ज है सब आ ाएं है सब अनुमान है नि चत कुछ नहीं है। आखिर नि चत कुछ है भी नहीं नि चत तो इस दुनियां से जाना है मरना है और भगवान का नाम अमर है लेकिन फिर भी कुछ बात तो बताएं कि इस मामलें में इन्होंने क्या कदम उठाए है ये कहां तक पहुंचे है, क्या प्रोग्रैस है और ये कब तक इसको पूरा करेंगे। स्पीकर साहब, इन्होंने पिछले दिनों जवाब में फरमाया कि बिजली बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। किसी जमाने में बिजली बोर्ड के चेयरमैन को पदमश्री की उपाधि दी गई थी लेकिन मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता मैं तो इतना कहूंगा कि बिजली बोर्ड का काम संतोशजनक नहीं है। यहां एक जमाने में जहां आज चौधरी भजन लाल जी बैठे है कोई और बैठा करता था। हमारी सीट यहीं कहीं थी। (विघ्न) वहां

बंसी लाल जी बैठा करते थे और चौधरी भजन लाल जी स्वामी आदित्यवे ा जी की जगह बैठा करते थे।

परिवहन मंत्री(श्री जगन नाथ): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर।.....

डा0 मंगल सैनः .....

श्री अध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाए।

डा0 मंगल सैनः वे श्रीमती इंदिरा गांधी को ऊचानी गांव में लाये थे। उन्होंने कहा था यह हरियाणा का आखिरी गांव है जहां पर बिजली पहुंचायी जा रही है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि जिस आखिरी गांव को सड़क से जोडना है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ही करेंगी। (ोर) इन्होंने लोगों को झांसा दिया कि हरियाणा जगमगा उठा है। अब ये कहते है कि ट्रांसमि ान लाइन कमजोर है ठीक नहीं है लोड नहीं उठा सकती। हमारी मजबूरी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब कह रहे है कि हम कोि ा ा कर रहे है कि ठीक करेंगे। बिजली बोर्ड में पोलिटिकल इंटरफियरैंस बहुत ज्यादा है। बार–बार ट्रांसफर होते है यानि बारह–बारह बार ट्रांसफर की है। हम कुछ कहते है तो क्या हो जाता है? एक अखबार में खबर आयी। यह मार्च के पहले हफ्ते में या फरवरी के आखिर में भाायद आई थी लेकिन भजन लाल जी ने उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। वैसे तो वे हर काम जल्दी करते है लेकिन उन्होंने उस खबर के

बारे में कोई जवाब नहीं दिया। मेरा इल्जाम है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों ने बड़े बड़े कारखाने वालों ने बिजली चोरी की है और करते है। राजनैतिक लोगों ने उनको ंप्रश्रय दे रखा है। अगर यह खबर गलत छपी है तो उसका जवाब देना चाहिये था। इनके पास बड़े बड़े सैक्रेटरी और दूसरे लोग है उनको जवाब देना चाहिये था, उसका प्रतिवाद करना चाहिये था। इन्होंने प्रतिवाद नहीं किया। बिजली की चोरी होती है इसलिए घाटा पड़ता है। दस हौर्स पावर की इजाजत दे रखी है और बीस बीस हौर्स पावर की मोटरें लगा रखी है और ये लोग अफसर से मिले हुए है। उन लोगों की मंथली बांध रखी है। इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हमने छापे मारे है और लोगों के खिलाफ ऐक ान ले रहे है। ऐक ान लेना भी चाहिये लेकिन हकीकत यह है कि ये मगरमच्छ हाथ नहीं आते। उनकी बड़ी लम्बी पहुंच होती हैं। अब कितनों के खिलाफ केस दर्ज हुए है। इन्होनें फैसला लिया कि बिजली बोर्ड का हैड क्वार्टर हिसार ले जाना है। अब बीच में लटके हुए है। पहले तो क्वार्टर बना दिये लेकिन अब कहते है हम उन क्वार्टरों को बेचना चाहते है। उसकों बेच कर नये लेंगे। यह धंधा हमारी समझ में नहीं आता कि इनकी क्या प्लानिंग है? इन को हिम्मत से कहना चाहिए कि यहां से हैडक्वार्टर ि ाफ्ट होगा। जो लोग चंडीगढ़ में रह जाते है वे इसको छोड़ना नहीं चाहते। यहां पर दस लाख रूपये किराये के देते है, पंद्रह लाख रूपया किराये का बच जायेगा, सिटी अलाउंस बचेगा। इस तरह कुल मिला कर 31 लाख रूपया साल का बच सकता है।

मैं आपके द्वारा सरकार को बताना चाहता हूं कि यह बिजली सप्लाई रैगुलर नहीं दे रहे है और दूसरी ओर बिजली के रेट्स बढ़ा दिये हैं उन गरीब लोगों पर रहम खाया करो। वे भी हरियाणा के रहने वाले है। जिन लोगों के रेटस बढ़ाये है आप उनको मजबूर करते हो उन पर दबाव देते हो कि वे आंदोलन का रास्ता अपनाएं। पोसवाल साहब कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं हुआ पुलिस ने कोई नहीं सताया। मैं खुद कुरूक्षेत्र गया। हजारों विद्यार्थियों की सभा में लोगों ने कहा कि यहां विद्यार्थियों को पीटा गया मुख्य मंत्री जी भी मेरी बात की ताईद करेंगे कि वहां हिसार में सौ विद्यार्थियों को नंगा करके पीटा गया। रोहतक में अहाते में पीटा गया। (ोर एवं व्यवधान) मैं बिजली बोर्ड रिपोर्ट के बारे में ही कह रहा हू। बिजली बोर्ड सरकार को दिवालिया करके छोड़ेगा। इसकी फाइनैं ियल कंडी ान ठीक करनी चाहिए। टौप हैवी ऐडमिनिस्ट्रे ान को ठीक करना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कर्मचारियों को भी ठीक तन्खवाह मिले और हरियाणा के निवासियों की गाढ़े पसीने की कमाई का सही इस्तेमाल हो।

श्री मूल चंद जैन(सम्भालखा): स्पीकर साहब, यह मोशन रूल 84 के तहत सदन में आई है। मैं अपने साथी चौधरी राम लाल वधवा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड की रिपोर्ट पर डिस्क ान के लिये टाईम मांगा और आज यह डिस्क ान हो रही है। सब से पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं

कि इसमें जो ऐनुअल फाइनैंि ायल स्टेटमैंट दी है उसमें पता ही नहीं लगता है कि कितना घाटा है और कितना मुनाफा हैं । कम से कम यह कलियर पिक्चर आनी चाहिए कि बिजली बोर्ड में रेविन्यू ऐक्सपैंडिचर इतना है, रिसीट इतनी है कैपीटल ऐक्सपैंडिचर इतना है और कैपिटल रिसीट इतनी है। उसकी टोटल पिक्चर इमर्ज होनी चाहिए कि सन् 1978–79 में ऐस्टीमेट कितना था और रिवाईज ऐस्टीमेट कितना हुआ और अब सन् 1980–81 का बजट कितना है। इस डाकुमैंट से तो पता ही नहीं लगता है। मैंने इससे कैलकुलेट करने की कोि ा ा की। मैंने कोि ा ा की कि इधर उधर से आंकड़ें जोड़ कर कैलकुलैट कर लू लेकिन फिर भी कैलकुले ान नहीं हो सकती।

Mr. Speaker: Does the statement showing revenue receipts and expenditure not cover this?

श्री मूल चंद जैनः उसमें रेविन्यू रिसीट और रेविन्यू ऐक्सपैंडिचर दिखा कर उसका रेविन्यू सरप्लस दिखा दिया। कैपिटल ऐक्सपैंडिचर कितनी है और कैपिटल रिसीट कहां कहां से आयी है उसका कोई जिक्र इसमें नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि बजाए इस बात को मैम्बर तला ा करते फिरें बिजली बोर्ड इतना बड़ा इंस्टीच्यु ान है उसके अपने अकाउंटेंट है अलग से ब्रांच है बड़ी सिगनिफिकेट बात है वे सीधे तरीके से बतायें कि क्या मुनाफा है कितना घाटा है स्टेट से कितना लोन लिया है और मुख्तलिफ इंस्टिच्यू ांज से कर्जा कितना लिया है। बोर्ड ने

एल0आई0सी0 से कर्जे लिये है स्टेट से कर्जे लिये है लेकिन उनका टोटल नहीं दिखाया गया। इसलिये मैं पहली बात इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर को यह कहना चाहता हूं कि वे इस तरफ अपना पूरा ध्यान दें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड की पोजी ान हमारी अन्य स्टेटों की अपेक्षा अच्छी है मैं यह तो नहीं कह सकता कि सबसे अच्छी है लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अच्छी है। मैं अपने इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर को यह कहना चाहता हूं कि इतना सब कुछ होने पर भी हमारी बिजली की पोजी ान ठीक नहीं हैं। पिछलें दिनो ंबजट पर हो रही बहस के दौरान होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि दूसरी स्टेटों की अपेक्षा ला एंड आर्डर की पोजी ान हमारी स्टेट में बहुत अच्छी है भाायद बिजली बोर्ड के मामले में भी यह बात कह देंगे कि हमारी पोजि ान अन्य स्टेटों की अपेक्षा काफी अच्छी है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जैसा आजकल बिजली के मामले मेंं सारे दे ा का वातावरण है, उस वातावरण को देखते हुए कम से कम हरियाणा दूसरे प्रांतों के बोर्डों से अगर बहुत आगे नहीं तो पीछे भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जब से बिजली बोर्ड बना है तब से इस में घाटा ही घाटा चला आ रहा है। बिजली बोर्ड के बनने से पहले करनाल में पावर हाउस था जगाधरी में पावर हाउस था इसी प्रकार से दूसरे स्थानों पर पावर हाउस थे वे सभी प्राईवेट सैक्टर में होते हुए बड़ी अच्छी अमादनी देते थे, जब से यह बोर्ड बना है

तब से इसको जितना पैसा मिलता रहा है स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से और एल0आई0सी0 की तरफ से तब से यह बोर्ड सूद भी पूरा नहीं दे पाया है।

स्पीकर साहब, वैसे यह ठीक है कि जब से इस बोर्ड में खन्ना साहब बतौर चेयरमैन आये है तब से इस बोर्ड के अंदर काफी सुधार हुआ है और काफी इम्प्रूवमैंट हुई है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भविश्य में भी इसी प्रकार की इम्प्रूवमैंट जारी रहनी चाहिए ताकि इस बोर्ड में और अधिक सुधार हो सके। उसमे अधिक सुधार तभी हो सकता है अगर पोलिटिकल इंटरफियरेंस न हो। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह बोर्ड एक औटोनौमस बौडी है। यह इरीगे ान डिपार्टमैंट की तरह डिपार्टमैंट नहीं है। वैसे देखा जाये तो ये दोनो डिपार्टमैंट ऐ जैसे ही है लेकिन इस को डिपार्टमैंट से निकाल कर बोर्ड में बदल दिया गया। बिजली बोर्ड अलग से इसलिये बनाना पड़ा ताकि एल0आई0सी0 आदि से कर्जा मिल सके बैंकों से कर्जा मिल सकें। अगर इसको एक प्रकार से डिपार्टमैंट में ही रहने दिया जाता तो फिर एल0आई0सी0 और बैंकों से कर्जा नहीं मिल सकता था । मोटे तरीके से देखें तो यह हमारे प्रदे ा की सबसे बड़ी पब्लिक अंडर टेकिंग है, अगर सही ढ़ंग से काम हो तो इस बोर्ड में दूसरी पब्लिक अंडर टेकिंगज की अपेक्षा एक मिसाल कायम हो सकती है।

स्पीकर साहब, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जिसके बारे में डाक्टर मंगल सैन जी पहले ही काफी कह चुके है। पिछले दिनों बिजली के रेट बढ़ाये गए। वे रेट बढ़ते ही सारे प्रांत में ऐजिटे ान हुआ। उस ऐजिटे ान के बाद चीफ मिनिस्टर ने ऐक्ा ान लिया और यह कहा गया कि बढ़ायें हुए रेट वापस ले लिये ंहै। सी0एम0 साहब ने यह तो कह दिया कि बढ़ाये हुए रेट वापस ले लिए लेकिन हमारे प्रदे ा का जो सबसे कमजोर और सबसे गरीब आदमी बिजली का प्रयोग करता है उसको इतना रगड़ दिया कि जिसका कोई हिसाब–किताब नहीं है। उन बेचारे गरीब आदमियों को जो खोखे लगा कर अपना गुजारा कर रहे थे और सिर्फ दो या तीन घंटे बिजली जलाते थे और जिनका महीने मैं चार या पांच रूपये खर्च आता था अब उनसे बिजली के चार्जिज कम से कम 21 रूपये लिये जायेंगे। स्पीकर साहब, इससे बड़ा अन्याय और कुछ नहीं हो सकता।

इसी तरीके से पहले यहां डोमौस्टिक कन्जम्प ानप का खर्च अढ़ाई या तीन रूपये होता था। अब कम से कम 6 रूपया प्रति महीना कर दिया है। वह गरीब आदमी खोखें के अंदर बैठकर अपना गुजारा करता था और बहुत ही कम बिजली यूज करता था लेकिन अब उस पर मिनिमम चार्चिंग 21 रूपये कर दिए है। इस संबंध में मैं फिर यही कहता हूं कि इससे बड़ी अन्याय की बात नहीं हो सकती। पिछले साल चीफ मिनिस्टर साहब ने हरियाणा के जो बड़े बड़े कंज्यूमर्ज है उनके इलैक्ट्रिसिटी डयूटी

के चार्जिज कम कर दिए जिससे कि तीन करोड़ रूपये का सालाना घाटा पड़ता है। जब हमें इस बात का पता चला तो हम प्रैस में गए और इसके विरूद्ध कड़ा प्रोटैस्ट किया। जब इनसे पूछा गया तो यह कहने लगे कि यह ड्यटी तो एग्रीकल्चर सैक्टर में भी कम की है। जब इनसे पूछा गया तो यह कहने लगे कि यह डयूटी तो एग्रीकल्चर सैक्टर में भी कम की है। मगर यह डयूटी तो पहले ही ऐग्रीकल्चर सैक्टर में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, भायद आपको याद होगा कि बड़े बड़े कंजयूमर्ज को बिजली दिए जाने के संबंध में एक सवाल चौधरी संत कंवर जी ने पूछा था। अध्यक्ष महोदय बड़े बड़े कंजयूमर्ज को रियायत देने से यह हुआ कि जिन लोगों के पास दस वर्श पहले केवल एक एक फैक्ट्री थी आज उनके पास दो–दो या तीन–तीन फैक्टरियां हो गई है। इसलिये मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ यही कहता हूं कि जिन बेचारे गरीब आदमियों पर कम से कम खपत के रेट बढ़ाए गए है उसको कम किया जाये।

स्पीकर साहब, एक बात और कह कर बैठ जाता हूं। मुझे पता लगा है कि हरियाणा बिजली बोर्ड में भी दूसरे डिपार्टमैंटस की तरह ि ाड्यूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज की रिजर्वे ान पूरी नहीं हैं। हरियाणा बिजली बोर्ड में इंजीनियर्ज क्लास–1, क्लास–2, क्लास–3 और फोर में ि ाडयूल्ड कास्ट की कोई भी रिजर्वे ान पूरी नहीं है। यह रिजर्वे ान वैसे तो तकरीबन हर डिपार्टमैंट में कम है लेकिन इस बोर्ड में अन्य

डिपार्टमैंटों से भी कम है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस रिजर्वे ान को तुरन्त पूरा करने की कोि ा ा की जाये।

जहां तक ट्रांसमी ान लौसिज के बारे में बात है, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस लौसिज में हमारी पोजी ान अन्य कुछ प्रांतों की अपेक्षा ठीक है। भायद इरीगे ान मिनिस्टर साहब भी यही जवाब देंगे कि ट्रांसमि ान लौसिज क ेनाम पर बिजली की लीकेज बहुत हो रही है। बड़े बड़े कंजयूमर्ज सीधा कुनैक ान ले लेते है जिसके कारण बिजली बोर्ड को काफी घाटा होता है। मैं यह बात खुद नहीं कह रहा बल्कि ऐस 1200 केसिज तो डिपार्टमैंट ने खुद पकड़े है। इस प्रकार के केसिज बिजली बोर्ड ने चैकिंग के दौरान पकड़े है। अध्यक्ष महोदय, 10–12 प्रति ात बिजली की लीकेज हो तो कुछ बात समझ में आ सकती है लेकिन हमारे यहां पर तो 40–45 प्रति ात बिजली लीकेज हो रही है यह बात समझ में नहीं आती। कई स्थानों पर बड़ी–बड़ी फैक्टरियों वाले अपने मीटर को उल्टा कर देते है जिसके कारण भी बिजली बोर्ड को घाटा रहता है। सरकार इस सारे घाटे को ट्रांसमि ान लौसिज में भामिल करे तो यह बहुत गलत बात होगी। इस बारे **(15.00 बजे)** में आपने चैकिंग कराई थी। उस वक्त राठी साहब मिनिस्टर थे। मैंने कांग्रेचुले ान का पत्र लिखा और सुझाव दिया कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की साजि ा की वजह से मीटर उलटे कर दिए जाते है, आप उनको पकड़ो ंलकिन उस पत्र का जवाब नहीं आया। मैं चाहूंगा कि

सरदार तारा सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ वे क्या ऐक ान ले रहे है? स्पीकर साहब, मैं इतना ही कहना चाहता था और मैं आ ाा करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उन बातों का जवाब मंत्री महोदय देंगें।

डा0 बृज मोहन गुप्ता(जगाधरी):स्पीकर साहब, मैं कोई बात रिपीट नहीं करूंगा मैंने पीछे बोलते हुए एक सुझाव दिया था कि ऐग्रीकल्चर की लाईन सैपरेट होनी चाहिए। मंत्री महोदय, इसके बारे में सदन को बताएं कि उन्होंने क्या सोचा है? दूसरी बात यह है कि कम से कम डौमैस्टिक वालों की पावर वालों से अलग लाईन रखी जाए। स्पीकर साहब, आजकल गर्मी का मौसम भुरू हो गया है अगर डौमैस्टिक वालों और पावर वालों की लाईन एक होगी तसे इससे यह होगा कि जब पावर वालों को बिजली बंद होती है तो डौमैस्टिक लाईन भी बंद हो जाती है। इसलिये मेरा कहना यह है कि पावर वालों की लाईन अलग रखी जाए। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली तो लगातार आती नहीं है। भाम को आती है। स्पीकर साहब पहले भी यह बात सदन में कही गई है कि एक दुकानदार पर इक्कीस रूपया मिनीमम रखा है लेकिन आप एक घंटा बिजली देते है या जैसे खोखे वाले है जिन्होंने छोटा मोटा काम किया हुआ है और मु कल से एक बलब लगा रखा है उनसे भी आप इक्कीस रूपया चार्ज करते है। आप यह मिनिमम कैसे लगाते है। अगर आप बिजली पूरी दें तब तो हम मान लें लेकिन जब बिजली ही एक

घंटे मिलती है तब उनसे इतना आमउंट चार्च नहीं करना चाहिए। स्पीकर साहब देहता में किसान की ि ाकायत है कि उसको जो आठ घंटे जो या सोलह घंटे दो लेकिन उसको नि ि चत रूप से बता दिया जाए कि इतने बजे से इतने बजेतक उनको बिजली दी जाएगी। इस छोटी सी सुविधा के न होने के कारण किसानों को बड़ी मु ि कल का सामना करना पड़ता है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि किसान को पहले बता देना चाहिए कि इतने समय से इतने समय तक बिजली दी जाएगी। स्पीकर साहब, आपकों पता है कि किसान के खेते उसके घर से काफी दूर होते है। उनको तो बिजली रात को दी जाती है और जो फैक्टरिज है या जो लोग अपने मकान में बैठकर काम चलाते है वहां दिन में बिजली दी जाती है। अगर बिजली की भाोर्टेज है तो सरकार को प्राथमिकता नि ि चत करनी चाहिए चूंकि किसान के खेत उसके घर से काफी दूर होते है और अगर उसको रात को बिजली दी जाएगी तो उसे काफी परे ाानी होगी और उसका टाईम भी खराब होगा। इसलिये उसको दिन में बिजली दी जानी चाहिए और दूसरे लोगों को रात में बिजली दी जानी चाहिए। अगर किसान को यह सरकार इतनी सुविधा दे दे तो किसान की काफी पैदावार बढ़ जाएगी वरना सारे किए हुए काम पर पानी फिर जाएगा। जितने घंटे किसान को बिजली देनी है उस बारे में नोटिफिके ान हो जानी चाहिए। जितने घंटे किसान को बिजली देनी है उस बारे में नोटिफिके ान हो जानी चाहिए और एक महीने तक उसमें

कोई पविर्तन नहीं होना चाहिए और किसान को दिन में बिजली देनी चाहिए और बाकी लोगों को रात में बिजली देनी चाहिए।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(सरदार तारा सिंह): स्पीकर साहब, जैन साहब का मैं भ्रुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम हरियाणा बिजली बोर्ड की तारीफ की और कहा कि कम्पैरेटिवली हरियाणा का जो बिजली बोर्ड है वह हिंदुस्तान में सब से अच्छा काम कर रहा है। स्पीकर साहब, जैन साहब, ने जो कुछ कहा उसकी लाईट में कुछ आकंड़ें सदन के सामने रखना चाहूंगा। स्पीकर साहब, ट्यूबवैल्ज को कनैक ान देने का टारगेट हमने हर साल बीस हजार का रखा हुआ है लेकिन आपकों जानकर यह खु ी होगी की इस साल साढ़े बाइस हजार ट्यूबवैल्ज को कनैक ान हम दें चुके है। इसी तरह से अस्सी हजार डौमेस्टिक कनैक ान देने का फैसला था और हम 28.2.1981 तक 84392 कनैक ान दे चुके है और 31 मार्च तक 92 हजार देने की तैयारी है और दे देंगे। इसी तरह से इंडस्ट्रियल कनैक ान देने का हमारा टारगेट चार हजार का था और हम 28.2.1981 तक 4379 कनैक ान दे चुके है और 31 मार्च तक पूरे पांच हजार इंडस्ट्रियल कनैक ान दे देंगे। इसी तरह से हरिजन बस्तियों में जून, 1981 तक 5625 बस्तायों में बिजली देने का टारगेट बना रखा है। यह हम पूरा करेंगे। गांवों में स्ट्रीट लाईट देने का टारगेट एक हजार का था लकिन 28.2.1981 तक साढ़े पंद्रह सौ गांवों में बिजली पहुंचा चुके है। स्पीकर साहब, बार

बार कहा जाता है कि किसान को रात को बिजली नहीं मिलनी चाहिए उसको सुबह यानी दिन में बिजली मिलनी चाहिए। मैंने बोलते हुए पहले भी कहा था कि हमारी ट्रांसमि ान लाईन में कुछ कमजोरी है, तारे इतनी मजबूत नहीं है और जिस ढंग से हम बिजली देना चाहते है उस ढंग से बिजली नहीं दे पाते है। यहां पर कहा गया कि ऐग्रीकल्चर की सैपरेट लाईन होनी चाहिए। मैंने सुबह भी एक बात कही थी कि हमकों हर साल पांच–छः करोड़ रूपया ट्रांसमि ान के लिये मिलता रहा है लेकिन इस बार ट्रांसमि ान के लिये 17 करोड़ रूपया रखा है और यह 17 करोड़ रूपया लगाने के बाद हमारा ट्रांसमि ान सिस्टम इतना अच्छा हो जाएगा कि जैसे जैसे चाहेंगे कि यह सैक्टर चालू हो जाए, वह सैक्टर चालू हो जाए और हम दिन में बिजली मुहैया कर सकेंगे। स्पीकर साहब, पहले हमारा फैसला था कि पांच सौ गांवों को हम हर साल स्ट्रीट लाईट देंगे लेकिन आपको जानकर खु ी होगी की अब हमने यह फैसला किया है कि 1985 तक सारे हरियाणा के गांवों में स्ट्रीट लाईट मुकम्मल कर दी जाएगी।

श्री मूल चंद जैनः आप उन गांव वालों से खर्चा तो नहीं है।

वित मंत्री(चौधरी खुर ीद अहमद): खर्चा लेने का कोई सवाल नहीं है।

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): कोई नहीं लेगे।

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, जो डैफर्ड प्रोजैक्टस है जैसे नाथपा झाकड़ी इनकों हम टेक–अप कर रहे है। स्पीकर साहब, सदन को यह जानकर खु ी होगी कि ट्यूबवैल के साथ जो टोका म ीन किसान लगाते है उस पर हम इलैक्ट्रिसिटी डयूटी नहीं लेते। स्पीकर साहब, कुछ भाइयों ने भांका जाहिर की थी कि पता नहीं कि थ्रै ि ांग के टाईम पर बिजली मिलेगी या नहीं। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि जिस दिन कोई थ्रै ार के लिये ऐप्लाई करेगा हम कम से कम दूसरे दिन यानी चौबीस घंटे के अंदर कनैक ान लगाकर देंगे। थ्रै ार के लिये बिजली की कोई कमी नहीं होगी।

चौधरी राम लाल वधवाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, यह बहुत कुछ बता रहे है लेकिन यह बिल्कुल नही बता रहे है कि यह जो कनैक ांज दिए है उनमें बिजली कहां से आएगी।

सेज फूलों की मुबारिक तुझे सोने वाले

रात कांटों पर हमारी भी गुजर जाती है

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ये चोरी के भोर पढ़ते है इससे हाउस का मसला हल नहीं होगा। अगर वे अपना बनाया हुआ भोर पढ़ते तो खु ी होती। (ोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, जरा ये ध्यान से सुनें तो मैं इनकों बताऊं। डाक्टर साहब ने कहा कि

बिजली बोर्ड ने कर्जा ले रखा है और कर्जे से सूद की रकम ज्यादा है। यह उनका कहना बिल्कुल गलत एवं निराधार है। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि बोर्ड के बरखिलाफ कोई सून नहीं है, कोई ओवर ड्यूज नहीं है, बोर्ड अपने पैसे से ही काम चला रहा है। हमारी बोर्ड की इकनौमिक कंडी ान बुरी नहीं है।

इसके बाद स्पीकर साहब, इन्होंने यहां हाउस में इंजीनियर्ज की बात कही कि उन्होंने हड़ताल कर दी और प्रांत की हालत और खराब हो गई। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह कोई हरियाणा के इंजीनियर्ज की ही बात नहीं है बल्कि सारे के सारे नार्थ–जोन के इंजीनियर्ज की एक प्रकार से कांसपीरेसी थी। वे सभी के सभी इकट्ठे होकर अपनी डिमांडज सरकार से मनवाना चाहते थे लेकिन स्पीकर साहब, सदन को यह जानकर खु ी होगी कि हमारा उनके साथ फैसला हो गया है और फैसला होने के बाद हमारी जनरे ान काफी ज्यादा हो गयी है। इस बारे में मैं आपकों कुछ जनरल आंकड़ें बताना चाहता हूं कि तकरीबन जिस दिन से हमारा फैसला हुआ है उस दिन से 90 लाख यूनिट्स बिजली डेली जनरेट होती थी और आजकल यह बढ़कर एक करोड़ यूनिट्स के लगभग डेली जनरेट हो रही है (तालियां) जिस वक्त वर्क टू रूल की बात थी उस वक्त हमारी डेली ऐवरेज 20 लाख, 15 लाख और कभी कभी दस लाख यूनिटस रोज तक भी पहुंच जाती थी। स्पीकर साहब, यह जो मैं स्टैटमैंट दे रहा हूं या रिकार्ड के आंकड़ों को देखकर ही दे रहा हूं इसमें कोई गलत

नहीं है। साथ ही साथ डाक्टर साहब, ने यह भी कहा कि बजली पूरी नहीं दी जा रही है। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी इंडस्ट्री से ऊपर, घरेलू या ट्यूबवैलज के ऊपर पिछले हफ्ते से लेकर अब तक किसी प्रकार की कोई कट नहीं है और बिजली पूरी मिल रही है।

आगे चल कर डाक्टर साहब, ने अपनी स्पीच में बोलते हुए कहा है कि इनकी इकौन्मी ठीक नहीं है। स्पीकर साहब, जब हम इसको ठीक करते है तब ये उल्टी सैंस लेते है। मैं यहां हाउस में यह भी बताना चाहता हूं कि हिसार के अंदर केवल 46 क्वारर्टज है जिनमें हम दफतर नही लगा सकते, उनमें मुि कल यह है कि एक दफतर यहां पर है, दूसरा दूसरी जगह पर है एक चपरासी यहां पर बैठा है दूसरा वहां पर, एक क्लर्क कहीं है तो दूसरा कहीं बाहर सिनेमा की टिकटों के लिये भागा हुआ होता है। इसलिये हमने इन क्वार्टरो ंको बेचने का फैसला किया है, उन पर पहले हमारा 55 लाख रूपया खर्च हुआ था और अब हमें तकरीबन उनका 1 करोड़ मिल रहा है। इससे हमें काफी फायदा होगा। दूसरे हमारे पास जगह है उस एक करोड़ रूपये से हम वहीं पास ही आफिसर्ज के लिये क्वारर्टज बना रहे है इससे हमारी इकौनोमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही डाक्टर साहब ने बोलते हुए यह कह दिया कि इंजीनियर्ज अब भी हड़ताल करेंगे। स्पीकर साहब, अब मैं हाउस में यह कह राह हूं कि अब हम उनकों हड़ताल नहीं करने देंगे। आखिर डिस्पिलन भी रखना

पड़ेगा। किसी को हड़ताल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे इंजीनियर्ज की तनख्वाहें हिंदुस्तान मे सब से ज्यादा है। साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिस दिन मैंने इस विभाग का चार्ज लिया था, उसके दस दिन के बाद ही हमने पे–रिविजन की थी और वे खु ा थे लेकिन वे इंजीनियर्ज, पंजाब, यू0पी0 और दूसरी स्टेटों के इंजीनियर्ज को छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन जब पंजाब वाले उनको छोड़ गये तो वे फिर मायूस हो गये। जो हड़ताल हुई थी, वह हमारे पे–स्केलज की वजह से नहीं हुई थी।

स्पीकर साहब, उससे आगे इन्होंने कहा कि बोर्ड ने थर्मल प्लांट के लिये कोयला मंगवाया और भट्ठे वालों को बेच दिया। यह चार्ज आनरेबल मैम्बर ने बोर्ड के ऊपर लगाया है। स्पीकर साहब, कुछ लोग तो झूठ बोलते है लेकिन कुछ..... तोलते है और.....तोलते समय कुछ सोचते नहीं है।

Dr. Mangal Sein: This is highly objectionable. What I have said is that this is my information and you should tell the position.

स्पीकर साहब,.....तो ये अपने आप बोल रहे है क्योंकि झूठ बोल रहे है। (ोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: The word 'Khuffer' should not be recorded. (Interruptions)

Dr. Mangal Sein: That is unfair to the Member, Sir. This is not proper for him. (Interruptions)

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने स्पैसिफिकली कहा है कि बिजली बोर्ड ने थर्मल प्लांट के लिये कोयला मंगवाया और फिर वह कोयला भट्ठे वालों को दे दिया। (ोर एवं व्यवधान)

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, हम अब भी कहते है, इसमे गलत क्या है। यह ठीक है जी। (ोर एवं व्यवधान)

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, मैंने पहले भी बोर्ड की कारगुजारी के बारे में बताया है कि हमारे बिजली बोर्ड ने काफी अच्छा काम किया है। साथ साथ डाक्टर साहब ने यह बात भी कही कि बड़े बड़े कारखानेदारों को बिजली की चोरी करवाते है। स्पीकर साहब, यह बिल्कुल गलत बात है। अगर इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में कोई कमी होगी तो मैं हाउस में मानने से कभी गुरेज नहीं करूंगा और मान लूंगा कि यह यह कमियां हमारे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में है।

डा0 मंगल सैनः ट्रिब्यून अखबार में फरवरी के आखिर में और मार्च के भुरू में खबरें छपी है, देख लीजियेगा। (ोर एवं व्यवधान)

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, यह बार बार अखबार की बातें करते है। मैं कहता हूं कि ये खुद जा जा करके

अखबारों में खबरें दिलवाते है वरना ऐसा कोई बात नहीं है। (ाोर एवं व्यवधान)

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, ये फ्रीडम आफ प्रैस पर आक्षेप कर रहे है। यह ठीक बात नहीं है।

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि अगर बोर्ड में कमी होगी तो मुझे हाउस में मानने से कभी गुरेज नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग बिजली की चोरी करते है और करवाते है उनके ऊपर हमने रेड्स भी किये है, कईयों के खिलाफ विजिलंस से इंक्वायरी भी करवाई है, कईयों के ऊपर केस बनाये गये है। कईयों के ऊपर केस पुलिस में रजिस्टर्ड हैं। कुछ कर्मचारियों को और अधिकारियों को, जोकि ऐसे केसिज में इंवौल्वड थे सस्पैंड भी किया गया है। मैं अब फिर दोहरा रहा हूं कि ऐसे मामलों में कोई भी अगर कसूरवार पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और किसी भी आदमी को चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्भा नहीं जाएगा। एक बात इन्होंने आमदन और खर्चे की कही है भायद इन्हें नजर न आया हो। अनैक चर 'ए' में सब कुछ लिखा हुआ है, वहां से देख लें। (विघ्न) इसी तरह बाबू जी ने कहा कि जो कर्जा लिया गया है उसका ब्यौरा नहीं दिया गया। यह भी पेज 78 पर क्लियर दिया हुआ है। एक बात उन्होंने डयूटी के बारे में कही कि बड़े बड़े कारखानों की डयूटी कम कर दी गई है। मैं इस बारे में देख लूंगा इस वक्त

मुझे पूरा ध्यान नहीं है जैसे भी होगा विचार करेंगे। (विघ्न) एक बात इन्होंने यह कही कि ट्यूबवैल्ज पर हमने बिजली की कोई छूट नहीं दी बल्कि बड़े बड़े कारखानों की मदद करते है। मैं आपको बताता हूं कि 19.8 करोड़ रूपए फ्लैट रेट की वजह से हम कंट्रीब्यूट कर रहे है। हम समझते है कि अगर किसान को बिजली देने में बोर्ड को खसारा लगता है तो हम उसको खसारा नहीं समझते बल्कि हम तो यह चाहते है कि किसान के खर्च में हम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करैं। उसके बाद इन्होंने टैरिफ के बारे में कहा। मैं यह भी दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना टैरिफ हमारा कम है हिंदुस्तान में और किसी स्टेट का इतना कम टैरिफ नहीं है। इतना ही कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, मैंने यह कहा था कि इस डाकुमैंट से यह पता नहीं लगता कि 1980–81 में बिजली बोर्ड को कितना घाटा रहा और कितना मुनाफा रहा। ये अब भी बता दें।

Mr. Speaker: I think, this is somewhat a technical things.

वक्तव्य

मुख्य मंत्री द्वारा हरियाणा में कृशि मजदूरों फैक्टरी मजदूरों तथा ईटों के भट्ठा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी संबंधी

श्री अध्यक्षः आज स्वामी अग्निवे ा जी ने एक काल अटैं ान मों ान * का नोटिस दिया था जिस पर वे कीन थे कि उसका जवाब मिल जाना चाहिए क्योंकि सै ान आज साइने डाई ऐडजर्न हो रहा है। मैंने गवर्नमैंट से रिकवैस्ट की थी कि आज ही जवाब मिल जाना चाहिए और मुख्य मंत्री जी ने ऐग्री किया था कि स्वामी जी के काल अटैं ान मो ान का जवाब आज ही दे देंगे। अब वे कृपया अपनी स्टेटमैंट दे सकते है।

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी के काल अटैं ान मो ान का जवाब देने से पहले मैं पांच मिनट और लेना चाहता हूं क्योंकि आज सदन उठने जा रहा है। अगर आज सदन न उठता तो यह बात मैं किसी और मौके पर कह देता। आज सदन में कुद बाते आई। मैं डा0 मंगल सैन जी की बहुत इज्जत करता हूं। वे मेरे बहुत पुराने साथी रहे है और हमारे बहुत सीनियर मैम्बर भी है। ये जब भी खड़े होते है तो दल बदल की बात करते है। (विघ्न) मैं इनका आदर करता हूं सम्मान करता हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे बाबू जी को या डा0 साहब को तकलीफ हो। मेरे कहने का तात्पर्य यसह है कि जहां तक दल–बदल का ताल्लुक है चार आदमी जनता पार्टी के है इनको तो हमक कह सकसते है जिस टिकट पर चुन कर आए थे वहीं खड़े है। लेकिन बाकी दल बदल तो सब से ज्यादा जनसंघ कें भाइयों ने किया है। पहले जनसंघ पाटी फिर जनता पार्टी और जनता पार्टी का सत्याना ाा करके भारतीय जनता पार्टी

(ाोर) हमे ाा घटकवाद की बात इनके दिमाग में रहती है जिसकी कोई मिसाल नहीं। लोक दल के भाई भी दल बदल की बात करते है। इनके नेताओं की तो मैं चर्चा नहीं करता लेकिन अगर दल बदल का किसी को सर्टीफिकेट मिले या पदम श्री मिलें तो लोक दल के जो बड़े नेता है उनको मिलेगा (ाोर)

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, एक कहावत है कि नक्कू आए नक्कू आए तो नाक तो इनका अपना कटा हुआ है। (ाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। (ाोर)

Dr. Mangal Sein: On a point of order, Sir. Speaker Sahib, you were kind enough to allow the Leader of the House to make a statement on the Call Attention Motion. (Interruption) स्पीकर साहब, अगर आपने इनको और बात कहने का मौका दिया तो हमें भी बोलने का मौका देना, मैं अपना स्पश्टीकरण दूंगा। (ाोर)

श्री अध्यक्षः वैसे डा0 साहब, मैंने आपकों तथा दूसरों को भी प्वायंट आउट किया था कि आप हरियाणा ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पर बात करो, हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड पर बात करों। (ाोर)

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, इनका जो सब से बड़ा नेता था उसने हिंदुस्तान की सब से बड़ी अदालत के फैसले को बदल कर ऐमरजैंसी लगा दी। लोक दल का जो सब से बड़ा नेता है उसने सिद्धांत के लिये ऐमरजैंसी नहीं लगाई बल्कि राज छोड़ दिया। चौधरी चरण सिंह का मुकाबला करने वाला कौन है? (ोर)

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, आज बजट सै ान समाप्त हो रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहता हूं कि इसकी प्रेम और डिगनिटी के माहौल से समाप्त करें न कि इस तरीके से। (ोर)

Mr. Speaker: Enough has been said by both the sides.

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मुझे अपनी पोजी ान क्लीयर करने का समय नहीं दिया गया। स्पीकर साहब, हम जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए है और आज भी लोक नायक जय प्रका ा नारायण जी का पूरा सम्मान करते है लेकिन इन्होंने उनके साथ वि वासघात किया। (ोर)

चौधरी भजन लालः या तो किसी को कोई बात कहनी नहीं चाहिए अगर कहते हो तो सुनने की भाक्ति भी होनी चाहिए। अब आप जो मरजी कह लीजियें मैं बैठ जाउंगा और बाद में जवाब दूंगा। हमने आपको सुना था और उसका जवाब दे रहा हूं।

Mr. Speaker: I would request the Chief Minister kindly to make the statement on the Call Attention Motion only. वैसे जब ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के विशय पर डिस्क ान हुआ था तो मैंने इस साइड के माननीय सदस्यों से भी और उस साइड के माननीय सदस्यों से भी बार–बार यही निवेदन किया था कि आप केवल उसी विशय पर बोलिए जो अंडर कंसीड्रे ान है लेकिन उस समय भी कई बातें ऐसी आई। इसलिए अगर मुख्य मंत्री जी एक आध बात इधर उधर की कह देते है तो मैं नहीं कह सकता लेकिन अब मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि वह अब स्वामी अग्निवे ा जी की काल अटैं ान मो ान का जवाब देदें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से इस बता के लिए दो मिनट और लूंगा फिर इस बात को समाप्त कर दूंगा।

Mr. Speaker: This issue of Dal Badlu will be dropped.

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, इस प्वायंट को खत्म करें। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में इस प्वायंट को खत्म कर देता हूं। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि–

हम बेवफा थे इसलिए नजरों से गिर गए,

भायद उन्हें किसी बेवफा की तला ा थी।।

गृह मंत्री(श्री कन्हैया लाल): अध्यक्ष महोदय, एक डाक्टर गांव में पहले कभी नहीं आता था। एक दिन वह डाक्टर गांव में चला गया और उसने गांव में चार मरीजों को दवाई दी और चला गया। थोड़ी देर के बाद वह आया तो सुना कि सत बोले गत हो। उसने कहा अरे यह क्या हो गया। फिर साहब थोड़ी देर के बाद एक और अर्थी आई, थोड़ी देर के बाद फिर एक और अर्थी आई। तो डाक्टर ने अपने कम्पांउडर से पूछा कि हमने दवाई चार को दी थी ये अर्थी तीन ही कैसे निकली लेकिन मैं किसी डाक्टर का नाम नहीं लूंगा और न ही हम दल–बदली का जिक करेंगे। (हंसी एवं भोर)

श्री मूल चंद जैनः अध्यक्ष महोदय, इन लोगों की तो यह हालत है।

कदरदानों की तबीयत का अजब रंग है आज,

है बुलबुलों को यह हसरत कि हम उल्लू न बने।।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, आज मुख्य मंत्री जी को चाहिए तो यह था कि वे कहते कि आपस में किसी को जो भी गिला–ि ाकवा है उसको खत्म करो और अच्छे मूड में अपने घर जाओ लेकिन इन्होंने यह रास्ता नहीं चुना। स्पीकर साहब जो

रास्ता मुख्य मंत्री जी चुनेंगे हमें उसी रास्ते पर चलना मंजूर है और भाई पोसवाल ने बड़ा मासूम चेहरा बना कर कहा कि डाक्टर ने चार को दवाई दी थी तीन मर गए। एक पोसवाल जी कैसे रह गए यह समझ में नहीं आता। (ोर) तो स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब पोसवाल जी कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे तो हाउस में दुबक कर बैठते थे। इन्होंने चौधरी देवी लाल जी से कहा कि मुझे टूरीज्म डिपार्टमैंट में नौकरी दे दो। फिर ये कांगेस (यू0) से कांग्रेस (आई0) में चले गए। छाज तो बोले छालनी क्या बोले? (ोर)

श्री कन्हैया लाल पोसवालः डा0 साहब मैं तो कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीत कर आया था। (ोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, डा0 साहब ने पोसवाल जी के बारे में कहा कि इन्होंने चौधरी देवी लाल जी के समय में उनसे नौकरी के लिए कहा। मैं यह समझता हूं कि डा0 साहब को चौधरी देवी लाल जी ने डिसमिस किया था और ये मेरी भारण में आए और कहा कि चौधरी भजन लाल हमारी इज्जत रखों। ये किस मुंह से पोसवाल जी के बारे में बात करते है। (ोर) अध्यक्ष महोदय, मेरे अपोजी ान के भाईयों ने यह भी जिक किया कि पता नहीं असैम्बली दोबारा मिलेगी भी या नहीं, यह आखिरी असैम्बली है। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन से मैं मुख्य मंत्री बना था उस दिन से ये मेरे भाई कहने लगे थे कि अगला सै ान पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय ये रात

को हमें मार कर सोते है और सुबह हम इनको जिंदा मिलते है। मैं इनको वि वास दिलाना चाहता हूं कि असैम्बली का जो बाकी पीरियड रहता है वह पूरा होगा। उससे पहले इलैक ांज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। (ाोर)

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी गलत क्लेम करते है। (ाोर)

चौधरी भजन लालः बाबू जी, मैं आपको नहीं कह रहा। आप तो भले आदमी हो। आप तो गलत जगह फंस रहे हो। आपका दोश नहीं है आप तो उल्टी जगह फंस गए। (ाोर एंव विघ्न)

Mr. Speaker: I would request the Chief Minister to confine himself to the business in hand. (Interruptions)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक और बात कही कि इस गवर्नमैंट के खिलाफ सी0बी0आई0 की इन्कवायरी चल रही है और कई मंत्रियों के खिलाफ इन्कवायरी हो रही है। यह बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। (ाोर एव विघ्न)

श्री बीरेंद्र सिंहः यह तो अखबारों में आया है। (ाोर)

चौधरी भजन लालः अखबारों में तो कुछ भी छपवा सकते हो। उसके कोई मायने नहीं है। अध्यक्ष महोदय न तो सरकार के खिलाफ सी0बी0आई0 की कोई इन्कवायरी चल रही है

और न ही मंत्रियों के खिलाफ कोई इन्कवायरी चल रही है। (ोर)

श्री मूल चंद जैनः अगर आप इस बात की हाउस में सफाई न दें फिर तो हम इस पर यकीन भी करेंगे। (ोर)

चौधरी भजन लालः बाबू जी आप सुनिए तो सही। आप तो बहुत पुरान पार्लियामैंटेरियन हैं। हमारे बुजुर्ग है। आप बीच में इस तरह से क्यों करते है और फिर अभी मैं आप तो आया भी नहीं हूं। (ोर एवं विघ्न) अध्यक्ष महोदय यह बात बहुत गलत और बेबुनियाद है। आज ये मेरे भाई असैम्बली तोड़ने की बात करते है। मेरी यह कही हुई बात रिकार्ड में रहेगी कि जब इलैक ंज होंगे तो जो मेरे भाई सामने बैठे है इनमें से किसी किसी का चेहरा नजर आएगा। यह वक्त बताएगा। जनता सब कुछ जानती है। जनता एक बहुत बड़ा पैमाना है। (ोर एवं विघ्न)

श्री मूल चंद जैनः मुख्य मंत्री जी आसमान पर थूका हुआ ऊपर गिरता हैं। इतना घमंड न करे। (ोर)

चौधरी भजन लालः बाबू जी मैं घमंड की बात नहीं कहता। ये आपकी पार्टी के सदस्य बार–बार असैम्बली तोड़ने की बात कहते है। अगर असैम्बली टूट कर इलैंक ंज हो जाएं तो इनमें से बाबू जी एक भी आने वाला नहीं है। असैम्बली अपनी टर्म पूरी करेगी और जितना समय बाकी रहता है उसकी मियाद

पूरी होने पर ही इलैक ांज होंगे बीच में इलैक ांज नहीं होंगे। जो बातें डा0 मंगल सैन जी ने और कुछ दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा वे बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बातें है। ऐसी बातें इनकों नहीं कहना चाहिएं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हरियाणा प्रांत में 31 मार्च तक सड़कें पूरी नहीं हो रही है इसलिए प्रधान मंत्री जी हरियाणा प्रांत में नहीं आ रहीं। टाईम के बारे में भी कुछ कहा गया। अध्यक्ष महोदय, इनसे कोई पूछने वाला हो कि हमने हाउस में एलान किया है कि 31 मार्च तक हरियाणा प्रांत के हर गांव को सड़क के बिना नहीं रहेगा। हर गांव तक पक्की सड़क पहुचेगी। प्रधान मंत्री जी हरियाणा प्रांत मतें आएंगी और हम लोगों ने यह प्रोग्राम रखा हुआ है कि हरियाणा प्रांत के आखिरी गांव को जो सड़क से मिलाना है उसका फीता प्रधान मंत्री जी के हाथ से कटवाना है। हमारी सैक ान चल रहा था इसलिए हमने उनसे टाईम नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय, हमने यह कहा था कि लगभग 175 गांव खादर के है या कुछ ऐसे गांव है जिनकी आबादी अढ़ाई सौ से कम है और कुछ गांव ऐसे है जो रेवेन्यू रिकार्ड में नहीं है या 5–7 गांव ऐसे है जहां पर हमने सड़क बनानी थी उस लैंड का लोगों ने हाई कोर्ट मैं स्टे ले लिया है। इसलिए हम उन सड़कों को नहीं बना सकते है। बाबू जी आप यह बातएं कि यदि कोई आदमी कानूनी स्टे ले आए तो क्या उस जगह पर सड़क बनाई जा सकती है? उसमें सरकार का क्या कसूर है? इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि डा0 मंगल सैन जी ने एक प्रैस सैक्रेटरी की बात कही और

बीच में ही कह दिया कि साहब मुझे एक लेडी ने टैलीफोन पर धमकी दी। अध्यक्ष महोदय किसी की बहन बेटी के बारे में किसी की बीबी के बारे में हाउस में ऐसी बातें कहना भाोभा नहीं देता। (ाोर)

श्री अध्यक्षः मैं मुख्य मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि जो बिजनैस अंडर कंसीड्रे ान है, उसी पर भाशण देने की कृपा करें। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय मैं एक मिनट में यह प्वायंट खत्म करता हूं मैं तो बधाई देना चाहता हूं उनको जिन्होंने हरियाणा प्रदे ा का नाम सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि सारे दे ा में ऊंचा किया है। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, जो मामला अंडर कंसीड्रे ान है मुख्य मंत्री जी को उसी के बारे में बोलना चाहिए। (ाोर)

श्री अध्यक्षः मैं मुख्य मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे स्वामी अग्निवे ा जी के काल अटैं ान मो ान पर अपनी स्टेटमैंट देने की कृपा करे।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस प्वायंट पर नहीं बोलूगा। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि सै ान बड़ा अच्छा गुजरा। अगर थोड़ी बहुत नोकझोंक आपस में हो भी गई तो माननीय सदस्य आपस में एक दूसरे को क्षमा करेंगे और हम

सब आपस में मिलकर हरियाणा के नवनिर्माण में भाक्ति से जुटेंगे और दोबारा 6 महीने के बाद जब सै ान होगा तो फिर हम सब मिलेंगे। इन भाब्दों के साथ मैं स्वामी अग्निवे ा जी के काल अटैं ान मो ान का जवाब पढ़कर सुनाता हूं। अध्यक्ष महोदय भट्ठा तथा कृशि सहित 36 ि ाड्यूल्ड रोजगारों में हरियाणा सरकार ने न्यूनतम वेतन निर्धारित किये है। इनमें से अधिकतम रोजगारों में न्यूनतम वेतन दिनांक 2.1.80 को ही नियत किए गए है। अनस्किल्ड श्रमिकों के न्यूनतम वेतन 240.00 रूपये प्रति मास या 9 रूपये 25 पैसे प्रति दिन बिना किसी भेदभाव के सभी रोजगारें के लिए नियत हैं दो रोजगार जिसे जनरल इंजीनियरिंग एंड फाउंडरिज इनमें न्यूनतम वेतन का दर 250 रूपये प्रति मास या 9.60 रूपये प्रति दिन नियत किया गया है। बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव को न्यूटरलाईज करने के लिए इन वेतन दरों को कौस्ट आफ लिविंग इंडैक्स के साथ 1.50 रूपये प्रति प्वायंट के हिसाब से जोड़ा गया है। इन दरो पर पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को पुनः विचार किया जाता है। कृशि रोजगार में न्यूनतम वेतन की दर दस रूपये प्रतिदिन है और यह दर 31 दिसम्बर 1980 को इंडैक्स नम्बर के आधार पर नियत की गई थी। न्यूनतम वेतन की दर 271.50 रूपये से 290.50 रूपये तक अंतर रखती है। हरियाणा राज्य का न्यूटरलाइजे ान दर उतरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है।

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि मुख्य मंत्री जी मेरे काल अटैं ान मो ान का जवाब दे रहे

है लेकिन इसकी कापी मुझे नहीं दी गई एक कापी मुझे मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः इसकी कापी सब मैम्बर साहेबान के पास उनके घर पर पहुंच जाएगी। इस वक्त कापियां तैयार नहीं हो सकती, टाईम बहुत कम है और इतनी जल्दी यह काम नहीं हो सकता। (व्यवधान)

चौधरी भजन लालः श्रम विभाग का क्षेत्रिय स्टाफ इन वेतनों को लागू करवाने का भरसक प्रयत्न करता है। श्रम अधिकारियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत वेतन न देने तथा कम वेतन दिये जाने के केसों में क्लेम सुनने के लिए अथौरिटी घोशित किया हुआ है। जब कि कृशि श्रमिकौं के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को अथौरिटी घोशित किया हुआ है।

यह असत्य है कि भट्ठा उद्योग में 10,000 से भी अधिक बंधवा मजदूर है क्योंकि हरियाणा राज्य में यह प्रथा नहीं है। तीन वर्श पहले बंधवा मजदूर का चरखी दादरी का एक केस सरकार के नोटिस में आया था जिसमें तीस मजदूरों को बंधवा बनाने का इल्जाम था। इस विशय में 4 मुलजिमों को गिरफतार किया गया था। इन में से एक को तीन मास की सजा हो गई और उन तीस महाराश्ट्र के लोगौं को उनके घर वापिस भेज दिया गया था। बंधवा मजदूर सिस्टम (ऐबोलि ान) अधिनियम के

अंतर्गत सरकार ने ऐसे केसों की सुनवाई के लिए ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर दी है और बंधवा मजदूरों की पहचान के लिए विजिलैंस कमेटियां बनाई जा रही है।

यह आम बात है जिसका कि सब को ज्ञान है कि हरियाणा में मजदूरों की कमी है। भट्ठा मालिकान दे ा के दूसरे राज्यों से जैसा कि राजस्थान यू0पी मध्य प्रदे ा और बिहार आदि से अपने भट्ठों को चलाने के लिए बहुत सा पैसा एडवांस देकर मजदूर अधिक संख्या में लोत है। बाद में वह पैसा उनके वेतन से काट लिया जाता है जोकि लगभग आठ माह के समय में पूरा कर लिया जाता है। भट्ठे पर काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ वेतन दिया जाता है। भट्ठा मालिकान जोकि दे ा के दूसरे राज्यों से मजदूर लाते है सरकार उन पर पूरी निगरानी करने के उपाय कर रही है। इंटर स्टेट माइग्रे ान वर्कर्ज ऐक्ट, 1979 के अंतर्गत सरकार द्वारा रूल्ज भी सरकारी गजट में छाप दिये गये है। पब्लिक के इतराज और सलाह आने परूल्ज लागू कर दिये जायेंगे और इस तरह से भट्ठा मजदूरों को बहुत सी सुविधायें जैसे दोनों तरफ का किराया स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें मुफ्त डिसप्लेसमैंट एलांउस जोकि पचास प्रति ात मासिक वेतन अथवा 75 रूपये दोनों में से जो ज्यादा होगा, उचित रिहाय ी आवास जब तक कि वह रोजगार में रहता है निर्धारित सुरक्षा पो ाक तथा लीगल सहायता आदि।

जैसा पहले बताया गया है श्रम विभाग का क्षेत्रिय स्टाफ न्यूनतम वेतनों को श्रमिकों को दिलवाने का भरसक प्रयत्न सारे हरियाणा राज्य में कर रहा है वि ोश रूप से फरीदाबाद बहादुरगढ़ यमुनानगर जगाधरी सोनीपत हिसार आदि। जहां कहीं भी वेतन न दने व कम वेतन देने संबंधी अथौरिटीज को क्लेम फाईल किये जाते है ऐसे केसों मैं लेबर आफिसर तथा तहसीलदारों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत अथोरिटीज घोशित किया हुआ है।

राज्य सरकार को न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 3(1) (बी) के अंतर्गत यह भाक्तियां प्राप्त है कि वह ऐसे मध्यांतरों के प चात न्यूनतम वेतन को नियुक्त अथवा निर्धारित करे परन्तु यह मध्यान्तर पांच वर्श से अधिक के नहीं होंगे। परन्तु हरियाणा राज्य में यह नीति बनाई हुई है कि प्रत्यें दो वर्श के प चात न्यूनतम वेतनों को निर्धारित और नियत करें क्यों कि न्यूनतम वेतन पिछले एक साल के समय से ही रिवाइज्ड किये गये है इसलिए वर्तमान में इनको रिवाइज्ड करना उचित नही होगा। ऐसा करने से उद्योागों पर बोझ पड़ेगा तथा वह पड़ौसी राजयों के साथ मुकाबले में भी नहीं आ सकेगे। इसलिए न्यूनतम वेतन को नियत/निर्धारित करने का नये वर्श के आरम्भ में विचार किया जायेगा।

स्वामी अग्निवे ा: स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री महोदय का आभारी हूं जिन्होंने समय निकाल कर मेरी काल अटैं ान

मो ान पर अपना वक्तव्य दिया है। लेबर का मामला बड़ा गम्भीर है इसलिए तीन–चार प्र न मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा। मुख्य मंत्री महोदय ने कोस्ट आफ लिविंग इंडैक्स के अनुसार मिनिमम वेजिज देने की बात कही है। पहले सरकार मिनिमम वेजिज 6 रूपये से आठ रूपये तक दिया करती थी और साथ ही यह फैसला किया था कि कोस्ट आफ लिविंग इंडैक्स यानी मूल्य सूचकांक अगर एक प्वायंट बढ़ेगा तो सरकार प्रति प्वायंट एक रूपया पचास पैसे बढ़ायेगी। इस सिस्टम के तहत उनको न्याय नहीं मिल पता क्योंकि पहले से ही सरकार ने उनको इतने निम्न स्तर पर रखा हुआ है कि एक रूपया पचास पैसे प्रति प्वायंट के हिसाब से अगर उनकी डेली वेजिज बढ़ती भी रहे तो भी उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक कजदूर को सुबह से भाम तक काम करने के बाद जो मजदूरी मिलती है उससे अपना और अपने बच्चों का पालन पोशण नहीं कर सकता। कम से कम सुबह और भाम की दो रोटी दो जोड़े कपड़े यानी मिनमिम स्टैंडर्ड आफ लिविंग मिनिमम न्यूट्रि ायस फूड प्रावाइड करने के बाद कौस्ट आफ लिविंग इंडैक्स का सिद्धांत लागू करना चाहिए। ये आव यक चीजें प्रोवाइड करने के बाद ही प्रति प्वायंट डेली वेजिज बढ़नी चाहिए वरना इसका कोई फायदा नहीं है।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी अगर आपके पास कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते है, आप स्पीच न करें।

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसा कि मुख्य मंत्री ने कहा कि मिनिमम वेजिज को कोस्ट आफ लिविंग इंडैक्स के साथ जोड़ा गया है ठीक जोड़ा गया है लेकिन इससे उनका स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कहता कि मुख्य मंत्री गलत ब्यानी कर रहे है मैं यह कह रहा में कि कौस्ट आफ लिविंग इंडैक्स के साथ जोड़ कर भी उनको आठ या नौ रूपये न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है, आप अंदाजा लगाएं आठ–नो रूपये में वही कैसे गुजार कर सकता है?

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछें।

स्वामी अग्निवे ा: स्पीकर साहब ऐबौल्यू ान आफ बौंडिड लेबर एक्ट पार्लियामैंट ने 1976 में पास किया था और उस एक्ट मैं साफ लिखा है कि जिला स्तर पर और सब–डिवीजन लैवल पर लेबर की सहायता के लिए विजिलैंस कमेटी बनाई जाएगी लेकिन यह कमेटी अभी तक बनी ही नहीं।

चौधरी भजन लाल: बना दी है। (व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ा: आपने कहा बनाने जा रहे है।

चौधरी भजन लाल: मैंने कहा है बना दी गई है। (व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, मैं मजदूरों में कई दिनों से काम कर रहा हूं लेकिन मुझे इस कमेटी की जानकरी

बिल्कुल नहीं हो पाई है। अगर कमेटी बना दी है तो मैं मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। विजिलैंस कमेटी की यह डयूटी बनती है कि अगर किसी मजदूर ने पहले से एडवांस लिया हुआ है आफटर दी कमेंसमेंट आफ दिस एक्ट यह रूपया मजदूर से वापिस नहीं लिया जाएगा। जिस दिन से यह ऐक्ट लागू हो गया उस दिन से सारे का सारा एडवांस गलत माना जाएगा और किसी भी ठेकेदार को यह अधिकार नहीं है कि मजदूर को ऐडवांस दिया हुआ रूपया इस एक्ट के लागू होने के बाद वसूल किया जाए और यह विजिलैंस कमेटी इस एक्ट के अंतर्गत निर्धारित किये गये प्रोवीजन के अनुसार मजदूरों की सहायता करेगीं।

श्री अध्यक्षः काल अटैं ान मो ान के बाद जब गवर्नमैंट की रिप्लाई आ जाए तो I have allowed only one question, although, under the Rules that is also not allowed.

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। गरीब मजदूरों के लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। आपने चूंकि इजाजत दी इसलिये मैं बोल रहा हूं। (विघ्न)

श्री दीपचंद भाटियाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब बात दरअसल यह है कि इनकों कमर्ि ायल बिजनैस वगैरा के बारे में कोई तजुर्बा नहीं है। मुझे इस बात का पता है कि कोई लेबर बिना ऐडवांस पेमैंट के काम नहीं करना चाहती।

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं हैं। स्वामी जी आप सवाल पूछिए।

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, भाटिया साहब ने जो कहा है उसके लिए मैं उन्हें दोश नहीं देता लेकिन मुख्य मत्री जी ने आज सदन में खड़े होकर यह बात स्वीकार की है कि राजस्थान मध्यप्रदे ा बिहार और उतर प्रदे ा से जो मजदूर लाए जाते है वे पे ागी देकर लाए जाते है।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी अब इस तरह बोलने का समय नहीं है। You have already spoken too much. Now, you are going beyond the Rule.

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मजदूर लाना भी एक जुर्म है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय मैं इनकी बात समझ गया। ये उसे कह नही पाए लेकिन इनकी भावना मैं समझ गया। इनका कहने का भाव यह था कि भट्ठे वाले जो पे ागी देकर मजदूर लोते है वे बड़ा भारी जुर्म करते है लेकिन अध्यक्ष महोदय स्वामी जी को यह पता नहीं कि इस काम कितनी दिक्कत है। इन्होंने तो भगूवे कपड़े पहने हुए है कभी न स्वयं काम किया है और न किसी कर करवाया है। अध्यक्ष महोदय हर भट्ठे वाले को सारे दे ा में और प्रदे ा में 20–25 हजार रूपये पे ागी देकर मजदूरों को लाना पड़ता है। इसमें अध्यक्ष महोदय जुर्म की कोई

बात नहीं हैं अगर ये दे ा का भट्ठा बैठाना चाहते है तो अलग बात है । इनकों चाहिए कि ये कोई प्रैक्टिकल बात करें। लेबर बाकायदा पैसे एडवांस में लेकर भट्ठे पर आते है। होता यह है कि वे कुछ सियासी आदमियों के हाथों में खेल जाते है और बिना काम किए पैसा लेना चाहते है तथा कहा यह जात है कि भट्ठा मालिक उन्हें बंधुंआ मजदूर बना कर रखते है। हकीकत यह नहीं है। कौन चाहता है कि उसकी बदनामी हो? स्पीकर साहब, हमारी पूरी कोि ा ा है कि किसी के साथ ज्यादती न हो लेकिन ऐडवांस देकर जो मजदूर लाएगा वह काम तो करवाएंगा ही। मजदरों के हित में जो भी बात ठीक है वह सरकार करेगी। अध्यक्ष महोदय इस वक्त हरियाणा प्रांत दे ा में पहला प्रांत है जिसने मजदूरों की मजदूरी 160 रूपये से बढ़ाकर 240–250 रूपये की है। इन भाब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं प्रार्थना करूंगा कि अब इस संबंध में कोई ज्यादा चर्चा करने की आव यकता नहीं है। धन्यवाद।

Mr. Speaker: Hon. Members, before I adjourn the House, I would like to thank all the Hon. Members for the unstineted support and cooperation that I have received during this Session from all sections of the House. I can tell you that I have been deeply touched by the respect that has been shown to me by everyone and every section of the House. I do feel that perhaps soemtimes I have failed to come up to the great expectations that were reposed in me but I can assure all members that I have sincerely and honestly tried to

thebest of my ability to fulfil the obligations under the existing rules and regulations. I wish you all the very best.

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते है। धन्यवाद।

Mr. Speaker: The House now stands adjourned sine-died.

(15.00बजे)

(The Sabha then *adjourned sine-die)

ANNEXURE

Allotment of residential plots to the persons belongs to scheduled castes

491. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister of State for Socail Welfare be pleased to state-

(a) the districtwise names of the persons belonging to scheduled castes and landless persons who have been given physical posessions of residential plots in the State during the current year (to-date); and

(b) whether there is any proposal under the consideration of the Government to provide plots to the scheduled castes, backward classes and landless persons in the State of Haryana; if so, the details thereof?

Revene Minister(Chaudhri Sheri Singh):

(a) physical possession was delivered to 6928 allottees of house sites during the year 1980-81 as per districtwise break up given in the Statement. The time and labour involed in supplying the names of the persons will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

(b) Yes. There is a scheme to provide house-sites measuring 100 sq. yards each, free of costs, to all landless Harijans, members of backward classes and economically weaker sections of society in rural areas of the State, who do not have their own residential accommodation. The plots are

allotted out of Shamlat/panchayat land or by acquiring suitable land. Upto the end of Feb. 1982 als many as 2,26,089 such persons have been allotted plots in rural areas of the State.

STATEMENT

Sr. No.	Name of district	Number of allottees to whom Physical possession of plots have been given,
1	Ambala	83
2	Kurukshetra	861
3	Karnal	75
4	Hissar	1
5	Bhiwani	925
6	Gurgaon	2515
7	Faridabad	255
8	Jind	2213
Total:		**6928**